खण्ड-247, अंक-9
बुधवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(18 मार्च, 1964 ई0)

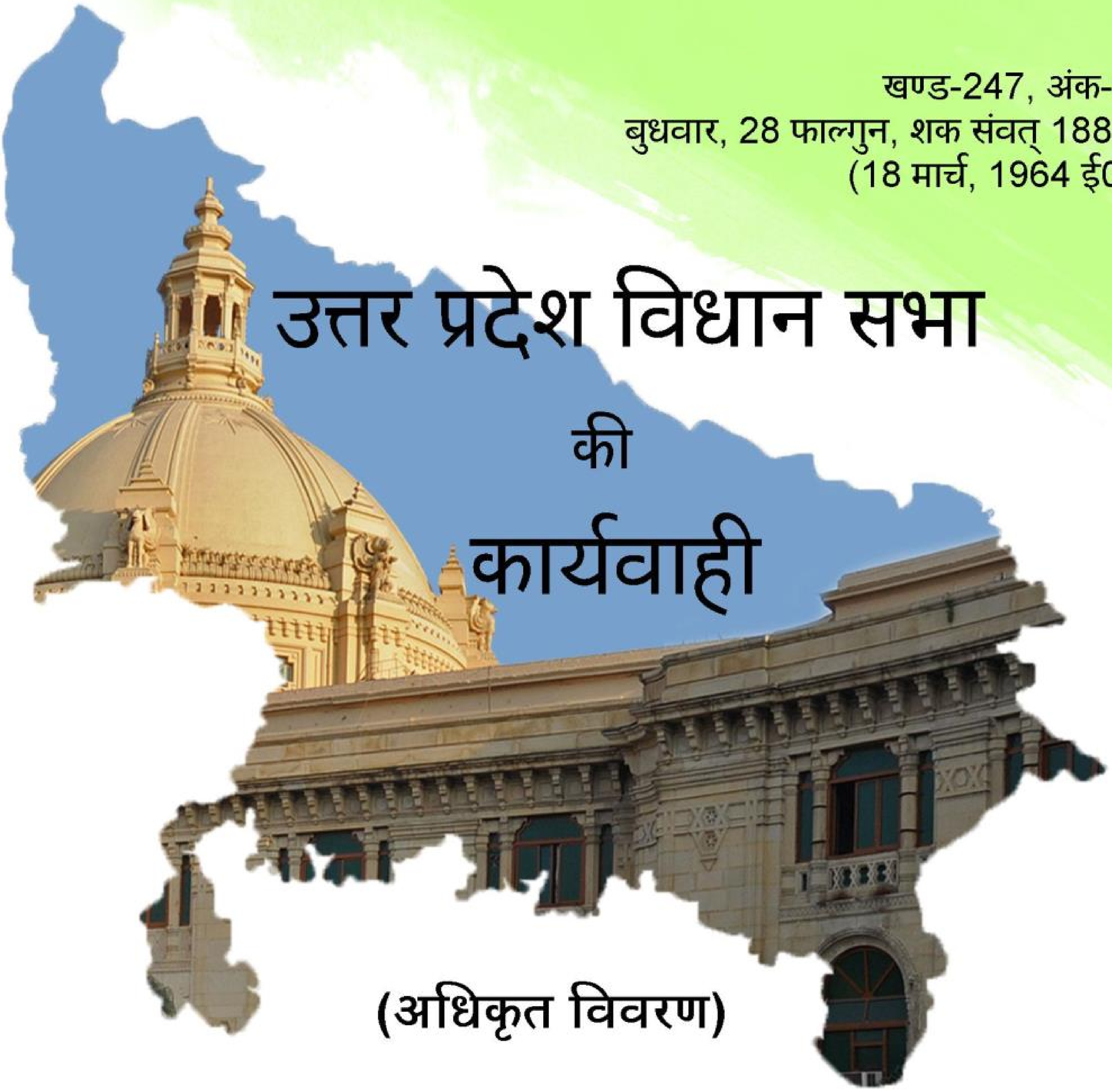

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 247 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२६७–२७०
प्रश्नोत्तर	२७१–३०१
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विधेयक में शाब्दिक संशोधनों की सूची मेज पर रखी गयी)	३०१
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३०१
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	३०२
प्रश्नों को कार्यसूची में न रखने के संबंध में आपत्ति	३०२
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	३०२–३०३
राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन कर के संबंध में याचिकाएं (याचिका समिति को निर्दिष्ट की गईं)	३०३–३०५
शिवनन्दन विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, छतौनी व नगराम, जिला लखनऊ के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	३०५–३०६
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	३०६
कानपुर की एलगिन मिल नं० १ में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३०६–३११
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	३११–३१२
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	३१२
अनुदान संख्या २४—उद्योग (जारी)	३१२–३२५
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ में संशोधन ..	३२६
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४—उद्योग (स्वीकृत)	३२६–३५१
मत्थियां	३५२–३५७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छ्न्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री

घनश्यामदास, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगवतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर

रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप-मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ मार्च, १९६४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बुन्देलखंड विकास योजनायें

**१—श्री बृजमोहन लाल गुप्त, (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की सरकारी योजना आयोग द्वारा जांच के आधार पर प्रदेश में बुन्देलखण्ड को भी पिछड़े क्षेत्रों में घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड की उन्नति और वहां का जनजीवन अच्छा हो सके इसके लिये क्या-क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार शीघ्र बुन्देलखण्ड के लिये कोई आयोग की स्थापना करने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

सरकार को ऐसी किसी जांच के बारे में कोई सूचना नहीं है।

प्रदेश की योजना में बुन्देलखण्ड को राज्य के अन्य विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ माना गया है। इस क्षेत्र की उन्नति के लिये बहुत सी परियोजनायें प्रदेश की योजना में सम्मिलित की गई हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह अनुमान किया गया था कि योजना काल में इस क्षेत्र की विशेष परियोजनाओं तथा इस क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली प्रादेशिक परियोजनाओं पर कुल व्यय २७.१३ करोड़ रुपया होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित प्रत्येक परियोजना पर हुए व्यय का अलग-अलग ब्यौरा सरकार नहीं रखती पर यह अनुमान किया जाता है कि योजना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में (१९६१–६४) लगभग १२.२२ करोड़ रुपया व्यय हुआ। अगले वर्ष की योजना में ६.६३ करोड़ रुपया, इस क्षेत्र की उन्नति के लिये, व्यय करने का प्राविधान किया गया है। विकास मदों पर पिछले तीन वर्षों में हुए अनुमानित व्यय तथा अगले वर्ष के प्रस्तावित व्यय का विवरण इस प्रकार है :—

(रु० करोड़ में)

मद	तृतीय योजना काल में अनुमानित व्यय	१९६१–६४ में अनुमानित व्यय	१९६४–६५ के लिये प्रस्तावित व्यय
१—कृषि कार्यक्रम ..	३.८०७	२.३४६	१.००७
२—सामुदायिक विकास सहकारिता तथा पंचायती राज	३.४०६	१.७१९	०.६९९
३—सिंचाई तथा बिजली	११.२००	५.३७३	३.१०१
४—उद्योग ..	०.९१३	०.२७५	०.२३२
५—यातायात ..	१.६७०	०.७१३	०.३९०
६—समाज सेवा ..	६.०५५	१.७८३	१.१८९
७—अन्य मदें ..	०.०८०	०.०१४	०.०१५
योग ..	२७.१३१	१२.२२३	६.६३३

इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति सरकार योजना के प्रारम्भ से जागरुक है और इसकी उन्नति के लिये पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रही है। अतः जांच कमीशन बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान श्री बी० आर० भगत के उस उत्तर की ओर गया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों और बुन्देलखण्ड के जिलों को, पूर्वी जिलों के साथ साथ पिछड़ा हुआ जिला माना है ? तो क्या सरकार भी बुन्देलखण्ड को पिछड़ा हुआ जिला मानकर पिछड़े जिलों की भांति उसका भी ध्यान रखेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन् मुझे योजना मंत्री के उस उत्तर की तो कोई साधिकार सूचना है नहीं लेकिन स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना है उसमें उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिले, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और बुन्देलखन्ड के डिस्ट्रिक्ट है और यही नहीं बुन्देलखण्ड का जो मोस्ट बैकवर्ड एरिया है पाठा बांदा में और ललितपुर सब डिवीजन झांसी में, यह बैकवर्ड में भी और बैकवर्ड हैं और सरकार की ओर से भी यहां दो, तीन पाकेट बैकवर्ड घोषित हैं ।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या मंत्री जी बुन्देलखण्ड की डाकुओं की समस्या को ध्यान में रख कर और दूसरी ओर नागपुर योजना के अनुसार बुन्देलखण्ड के ४ जिलों के लिये ४०० मील सड़क बनना थी जिसमें से कुल ६० मील के करीब ही बन सकी है इसको ध्यान में रख कर क्या सरकार बुन्देलखण्ड के लिये कोई स्कीम बनाने का विचार करेगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

वहां पर डाकुओं की क्या स्थिति है वह तो मेरे पास नहीं है वह पुलिस मिनिस्टर साहब बतायेंगे और सड़कों के विषय में प्रश्न पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर से कर लिये जायं तो स्थिति अच्छी तरह से मालूम हो जायगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में २७.१३१ रुपया वहां खर्च करने की योजना थी तो तीन वर्ष में केवल १२.२२३ रुपया ही क्यों खर्च हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस २७ करोड़ की योजना का जो फेजिंग हुआ है उसमें ६४ तक १२ करोड़ खर्च हुआ, ६४–६५ में ६ करोड़ व्यय होगा और अन्तिम वर्ष में बाकी ९ करोड़ के करीब व्यय हो जायगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

बुन्देलखंड में इस प्रदेश में सबसे अधिक बेकारी, भुखमरी और बेरोजगारी है और इसी कारण से वहां पर डाकुओं की समस्या हल नहीं हो पा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन सी-योजना वहां पर लागू होगी ताकि यह चीजें दूर हो सकें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

केवल बुन्देलखंड ही नहीं सारे भारत में सोशियो-एकोनामिक डेवलपमेंट के लिये तमाम योजनायें चालू हैं और उनके द्वारा भुखमरी, बेकारी को दूर करने का प्रयास हो रहा है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि बुन्देलखंड का विषय है और वहीं के प्रश्न के उत्तर से संबंधित मेरा प्रश्न था लेकिन वह सारे भारत का वर्णन कर रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष—

आप अपने प्रश्न का मतलब समझिये। आप ने प्रश्न किया कि बेकारी और भुखमरी को दूर करने के लिये कौन से कदम सरकार उठाने जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और भुखमरी का प्रश्न आप के बुन्देलखंड का ही नहीं है बल्कि वह सारे भारत का प्रश्न है और उसके लिये या इसी वास्ते योजनायें बनाई जा रही हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैंने प्रश्न यह किया था कि वहां की परिस्थिति को देखते हुये बेरोजगारी, भुखमरी और बेकारी को दूर करने के लिये सब से पहले कौन-सी योजना वहां लागू की जायगी ?

श्री राममूर्ति—

जितनी भी प्लान्स हैं और जितनी भी शाखायें योजना की हैं सब साथ-साथ चल रही हैं और सब ओर बहुमुखी विकास हो रहा है।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

बुन्देलखंड में काफी जमीन बेकार पड़ी है और वहां के लिये सिंचाई की बहुत ही कम योजनायें बनाई गई हैं जैसी कि प्रदेश के अन्य भागों में बनाई गई हैं और इस कारण से वहां जमीन बेकार पड़ी है और पैदावार भी बहुत कम है तो क्या सरकार वहां के लिये किसी विशेष योजना का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वहां के लिये बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जैसे माताटीला डेम, बरवा डेम, अर्जुन बांध, वहां पर कांस को हटा कर करीब १ लाख ८८ हजार एकड़ जमीन को रिक्लेम किया गया है। इस के अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी करीब-करीब ८४ हजार बन्धियों का है .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

८४ हजार बन्धियां क्या कह रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तो इसमें बहुत सी योजनायें हैं, जैसे ३२४६ पर्सियन व्हील लगा चुके हैं, ३४० वेल्स बन चुके हैं, ३३८९ केरोसिन वेल्स लगेंगे, बंधियां बनेंगी और परियोजनाओं का कार्यक्रम लिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

यह देखते हुए कि बुन्देलखंड में दूध देने वाले पशुओं को अच्छी नस्ल नहीं है उसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा अपने यहां के डी० एल० ओ० को दरख्वास्त दें जिससे अच्छे अच्छे सांड़ मिल सकें।

श्री उग्रसेन—

पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों के लिये केन्द्रीय सरकार ने पटेल कमेटी बनायी जिसने रपट भी दी, तो क्या मंत्री जी को कोई एतराज है कि वह भी बुन्देलखंड की विशेष स्थिति की जांच करा लें यह पता लगाने के लिये कि योजनाओं में अब तक कितना काम हुआ है और कितना बाकी रह गया है, इस संबंध में कोई कमेटी बनायेंगे ?

श्री राममूर्ति---

हमारे यहां से कोई कमेटी नहीं बैठी। लेकिन अगर पटेल कमेटी मुआयना करना चाहती है तो करे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मंत्री जी को ज्ञात है कि कांस के बड़े बड़े जंगल हैं और छोटी-छोटी रेवीन्स हैं जिनसे काफी मात्रा में पानी उपलब्ध है इसलिये कांस के जंगलों को खेती के लिये बनाया जा सके और रेवीन्स का पानी उनकी सिंचाई के लिये इस्तेमाल किया जा सके, इस बारे में कोई योजना बनायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

१ लाख ८८ हजार एकड़ जमीन रिक्लेम की जा चुकी है। रेवीन्स को स्वायल कनजरवेशन स्कीम में लिया गया है और इसीलिये नदी, नालों पर बंधियां बनाने का काम शुरू है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

आई० टी० आई०, इलाहाबाद में छात्रवृत्ति

*१---डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में अब तक विद्यार्थियों को वजीफा देने के लिए कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

इस बारे में रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*२---डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

क्या इलाहाबाद के आई० टी० आई० के प्रिंसिपल को सरकार से मीटिंग न बुलाने का कोई आदेश हुआ है ? यदि नहीं, तो कमेटी के चेयरमैन के बार-बार कहने पर भी मीटिंग क्यों नहीं बुलायी जा रही है ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं। इस बारे मे रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है।

*३---डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

क्या इस अनियमितता के कारण उक्त अधिकारी को दण्डित किया जायगा ?

श्री बनारसीदास---

इस समय यह प्रश्न नहीं उठता है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

मंत्री जी बतायेंगे कि इस मीटिंग को बुलाने का अधिकार चेयरमैन कमेटी को है या सेक्रेटरी को है ?

श्री बनारसीदास —

चेयरमैन के आदेशानुसार मीटिंग सेक्रेटरी बुलाता है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मंत्री जी बतायेंगे कि ६ महीने से लगातार चेयरमैन के बार-बार कहने पर भी सेक्रेटरी ने मीटिंग को नहीं बुलाया और इस तरह सरकार को जनता की निगाह में नीचा गिराया इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री बनारसीदास —

यह सेशन पहली अगस्त से शुरू होता था और स्टाइपेन्ड के सम्बन्ध में इस प्रकार का आदेश था कि सितम्बर के अन्त तक सब सिफारिशें भेज दी जाय। लेकिन इलाहाबाद में कुछ विशेष कारणों से मीटिंग नहीं बुलायी जा सकी, सितम्बर में सुपरवाइजर पर हमला किया गया बाद में हड़ताल हो गई। इसी तरह वहां यूनीवर्सिटी में उस समय झगड़ा होने की वजह से जिलाधीश ने सभी शिक्षण संस्थाओं को बन्द कर दिया। तो सितम्बर में मीटिंग नहीं बुलायी जा सकी। उसके बाद में प्रयास किया गया एक दो दफा तब भी मीटिंग नहीं हो पायी इसमें कोई सन्देह नहीं कि मीटिंग पहले होनी चाहिये थी और बाद में आदेश था जहां से इस प्रकार की सिफारिशें नहीं आई और यह आदेश इलाहाबाद से सम्बन्ध में लागू होता था कि दिसम्बर तक सारी सिफारिशें भेज दी जायं ताकि विद्यार्थियों को समय के अन्दर छात्रवृत्ति दी जा सके।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

जिन परिस्थितियों को मंत्री जी ने बताया उनका ज्ञान कमेटी के अध्यक्ष को भी था। इसके बावजूद भी उन्होंने उपयुक्त समझा कमेटी की बैठक बुलायी जाय तो सेक्रेटरी को कौन सा अख्तियार था जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष की बातों की अवहेलना करके सेक्रेटरी ने मीटिंग नहीं बुलायी ?

श्री बनारसीदास—

मुझे जो सूचना दी गयी है वह यह है कि चेयरमैन ने इस सम्बन्ध में अपना आदेश फ़रवरी या मार्च के महीने में भेजा जिस पर सेक्रेटरी का कहना यह था कि जिन तिथियों में मीटिंग करना चाहिये थी वह सार्वजनिक छुट्टी के दिन थे इसलिये कठिनाई थी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, मंत्री जी को विभाग ने गलत सूचना दी है। क्या मन्त्री जी मालूम करेंगे कि डायरेक्टर ने २ फरवरी को प्रिन्सिपल, आई० टी० आई०, इलाहाबाद को यह आदेश दिया था कि चेयरमैन से पूछ कर मीटिंग बुलायें और जनवरी में ज्वाइंट डायरेक्टर ने एक तार दिया था कि मीटिंग जनवरी में बुलायी जाय ?

श्री बनारसीदास—

यह सही है कि डायरेक्टर ने आदेश दिया था कि मीटिंग शीघ्र बुलायी जाय चेयरमैन से पूछ कर।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जब चेयरमैन ने १४ मार्च को मीटिंग बुलाने का आदेश दिया था तो उसको बदलने का अधिकार डायरेक्टर को किस प्रकार हुआ ?

श्री बनारसीदास—

१४ मार्च नहीं उन्होंने कहा। मैंने कहा ११ या २९ फरवरी को। तो सेक्रेटरी ने सूचना दी कि उन दिनों छुट्टी थी इसलिये मीटिंग नहीं बुलायी। लेकिन सवाल यह है कि मीटिंग पहले हो जानी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में प्रिन्सिपल की गलती थी, और यह उन्होंने गलत किया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि प्रश्नकर्ता स्वयं उस की चेयरमैन हैं और उनके निरंतर प्रयास के बावजूद प्रिंसिपल ने अवहेलना की, मीटिंग नहीं बुलायी। इससे चेयरमैन की अवहेलना तो हुई उसके अलावा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आज तक नहीं मिल पायी है। इन तमाम बातों की जांच या स्वयं निजी तौर से मंत्री जी जांच करेंगे कि प्रिन्सिपल ने जो अवहेलना की है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करें और जल्द से जल्द मीटिंग बुलायी जाय जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल सके ?

श्री बनारसीदास—

जब मीटिंग समय पर नहीं होती है इसलिये डायरेक्टर को आदेश दिया जा रहा है कि वह स्वयं इसको देखें, क्योंकि सिफारिश होती है जो डायरेक्टोरेट के अन्दर आती हैं। प्रिन्सिपल की इसमें असावधानी और ढिलाई थी कि उन्होंने मीटिंग नहीं बुलायी और समय पर लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। इस सम्बन्ध में अवश्य देखूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद क्षेत्र में ग्राम सेवकों की उन्नति

*१—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा), श्री ईश्वर शरण (जिला गोंडा) तथा श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार तुरन्त इस बात की जांच करायेगी कि फैजाबाद डिवीजन में १९६१ से आज तक जी० ओ० नं० ३०८४-XXXV-A-129 NES59, dated 14/15 June, 1961 के अनुसार पंचायत कृषि तथा सहकारिता विभाग में अपने निर्धारित संख्यानुसार प्रत्येक जिले में विकास विभाग द्वारा कितने ग्राम सेवकों और पंचायत मंत्रियों को पदोन्नति दी गयी है ?

*२—क्या सरकार इस बात की भी जांच करायेगी तथा बताने की कृपा करेगी कि १९६१ के बाद पंचायत विभाग के क्लर्कों को सहायक विकास अधिकारी पंचायत या पंचायत राज निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देकर और ग्राम सेवकों (फील्ड वर्कर) को इस पदोन्नति से वंचित रखा गया है, यदि हां, तो क्यों ?

*३—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि फैजाबाद मण्डल के विभाग में सहायक विकास अधिकारी के पद पर नये-नये लोग कुछ मास पूर्व रखे गये हैं ? उसमें किसी ग्राम सेवक को पदोन्नति नहीं दी गयी और जिनको पदोन्नति दी भी गयी उन्हें रिवर्ट कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रसंगगत प्रश्नों में वांछित सूचना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रसंगगत ग्राम सेवक आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों, अर्थात् कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, तथा निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, से प्राप्त करनी है। ये विभागाध्यक्ष उक्त सूचना अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों तथा जिला अधिकारियों से एकत्र कर रहे हैं जिसके एकत्र तथा संकलित होने में अभी और समय लगेगा।

श्री बब्बनसिंह—

यह प्रश्न १२-२-६४ को दिया गया था। इस में जो सरकार के आदेश हैं, उनका उल्लंघन किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर न देने के कारण क्या हैं ? ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कागजात हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। उनको ठीक कर के उत्तर देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात नहीं है। शायद माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। किसी ग्राम सेवक को परमानेन्ट वैकेन्सी के लिए नियुक्त नहीं किया जाता। कोई सेन्ट्रल कैडर नहीं है। डिवीजन में जो कार्यक्षेत्र कोआपरेटिव के हैं, पंचायत और कृषि के हैं तो इन ग्राम सेवकों और इन विभागों के सुपरवाइजर हैं या पंचायत सेक्रेटरी या और जो लोग हैं उनकी संख्या को देखते हुए उनके अनुपात को परसेंटेज देखकर इनका प्रोमोशन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

उस भ्रम को दूर करने के लिये आप कितनी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देंगे?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मैं इन प्रश्नों के उत्तर शीघ्र ही विस्तार पूर्वक दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यह बात आइन्दा नहीं चलेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कोटा फिक्स किया गया है वह क्या है और सरकार के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष—

आप भी एक क्वेश्चन दे दीजिए। तो उसके साथ आजायेगा।

डाक्टरों की कमी

*४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां कोई डाक्टर नहीं हैं और उन अस्पतालों में मरीजों का इलाज किस प्रकार से किया जाता है?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

प्रदेश में इस समय ३०३ राजकीय एलोपैथिक अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं है। उन अस्पतालों का कार्य कम्पाउन्डर्स द्वारा चलाया जा रहा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३०३ अस्पतालों में कितने ऐसे हैं जो देहाती क्षेत्रों में हैं और कितने ऐसे हैं जो शहरों में हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अधिकांश देहाती क्षेत्र के हैं। श्रीमन्, यदि आज्ञा हो मैं प्रत्येक जिले की परिस्थिति निवेदन कर दूं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, यह बहुत ही आवश्यक है कि कितने अस्पताल देहाती क्षेत्र में हैं और कितने शहरों में हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह हो या तो आप फिर से पूछ लीजिए।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

श्रीमन्, इसी सवाल में मैंने यह पूछा था।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो यह पूछा था कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां कोई डाक्टर नहीं हैं और उन अस्पतालों में मरीजों का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। आप पूछ लीजिए कि देहाती और शहरी अस्पतालों का विवरण दे दें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन अस्पतालों में डाक्टरों की जगह कम्पाउन्डर काम कर रहे हैं तो क्या यह कानूनी तौर से सही है या गलत, और अगर यह गलत है तो उनको बहैसियत डाक्टर के काम कैसे करने दिया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नहीं। वे बहैसियत डाक्टर के काम नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ काम चला रहे हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि ३०३ ऐसे अस्पताल हैं जहां डाक्टर नहीं हैं, तो यहां डाक्टरों का अभाव कितने दिन, कितने महीने, और कितने वर्षों से है ? और जब से है तब से आज तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, वस्तुस्थिति यह है कि पिछले ३ वर्षों से प्रश्न इस तरह से गम्भीर रूप से बना हुआ है। इस ओर सरकार के द्वारा कदम उठाये जा चुके हैं जिससे डाक्टरों को असुविधा न हो सके।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि पश्चिमी जिलों के अन्तर्गत परसराम अस्पताल में १९५८ से आज तक कोई भी डाक्टर नहीं गया ?

श्री अध्यक्ष—

यही तो कहा गया कि बहुत से अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जब से डाक्टरों का अभाव हो गया है तब से जहां जहां डाक्टर थे भी उनको भी सरकार ने ट्रान्सफर करके दूसरी जगह भेज दिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कहीं तो डाक्टर अस्पतालों में गये होंगे ?

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

३०३ अस्पतालों में डाक्टर कुछ दिनों से नहीं है अथवा बहुत दिनों से नहीं हैं और चूंकि उन अस्पतालों में कम्पाउन्डरों को काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है तो इसकी वजह यह तो नहीं है कि वे डाक्टरों को वहां टिकने नहीं देते खुद डाक्टर बने हुये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केडर की कमी है। टिकने न देने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि वे उसके मातहत होते हैं।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

जब ३०३ अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं तो ललितपुर आयुर्वेद कालेज से जो वैद्य निकलते हैं उनको फिलहाल वहां नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

डाक्टरों की कमी कब तक सरकार पूरा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह हो चुका है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जो डाक्टर यहां से विदेश पढ़ाई के लिये जाते हैं वे वहीं रुक जाते हैं और उनकी संख्या १२ हजार है और इसका कारण यह है कि उनको यहां पूर्ण सुविधा तथा वेतन नहीं मिलता है तो सरकार इस सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह बात कई मतर्बा आ चुकी है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

डाक्टरों की कमी का कारण यह भी है कि ५० पी०एम०एस० (वन) को पी० एम० एस० (टु) में कंवर्ट कर दिया है जिससे वे इस्तीफा देने के लिये मजबूर हो गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

हल्दौर जनाना अस्पताल में कितने दिनों से डाक्टर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

बहुत दिनों से नहीं है।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

सरकार आयुर्वेद कालेजों से पढ़े वैद्यों को रखने पर विचार कर रही है तो कितने टाइम के अन्दर इस पर विचार समाप्त हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बहुत जल्दी हम आशा करते हैं।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

डाक्टरों की इस कमी को दूर करने के लिये प्रदेश में जो हाई पावर कमेटी बनाई गई उसकी क्या गति है और उसने इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसी की संस्तुति के अनुसार यह विचाराधीन है कि वैद्य भी रखे जायं और डाक्टरों को अन्य सुविधायें भी प्रदान की जायं ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, डाक्टरों की कमी को देखते हुये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि देहात में जो हेल्थ सेंटर्स हैं इनको हेल्थ विभाग के अन्दर कर दिया जाय और जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ आफिसर हैं उनका प्रमोशन हो ? प्रमोशन न होने के कारण देहात में डाक्टर जाना पसंद नहीं करते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, वहां भी यही स्थिति है ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन अस्पतालों की संख्या क्या है जिनमें न तो डाक्टर है और न कम्पाउंडर हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मंत्री जी मेरे साथ चलें, मैं उनको कई जगह ऐसी दिखा दूंगा और मंत्री जी को अपने पास से खाना भी खिलाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

इसके बजाय अगर आप एक प्रश्न कर दें तो ज्यादा आसानी होगी ।

वैक्सीनेशन एसोसियेशन की कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही

*५०—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री, वैक्सीनेशन एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ने कार्यवाही कार्यकारिणी समिति २६ सितम्बर, १९६३ को उनके अतिरिक्त स्वायत्त शासन मंत्री, संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं उप-संचालक के पास कार्यवाही हेतु प्रेषित की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केवल इस विभाग में ही कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही प्राप्त हुई है, जिस पर उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव में कौन-कौन मुख्य बातें हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसमें यह है कि वैक्सीनेटर का वेतनक्रम ७५—३—१०५—द० रो०—४—१२५, पेड अप्रेंटिस का ६०—३—७५, ए० एस० वी० का १२०—७॥—१५०—द० रो०—१०—१२०, वैक्सीनेटर का फिक्स डी० ए० २५ रुपये तथा ए० एस० वी० का ५० रुपये हो । वाराणसी नगरमहापालिका के ए० एस० वी० का सवारी भत्ता बोर्ड के सन् १९५० के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र

शीघ्र दिया जाय। यह निश्चय किया गया कि जैसे महापालिकायें अपने वैक्सीनेटरों का ५ रुपये माहवार महंगाई का भत्ता बढ़ा कर देती हैं वैसे ही जिला परिषदों के वैक्सीनेटरों को भी मिलना चाहिये। यह निश्चय हुआ कि जिस प्रकार सन् १९६० ई० तक वैक्सीनेटरों को पेंशन मिलती थी, या इस समय महापालिकायें देने जा रही हैं वैसे ही प्रदेश के समस्त वैक्सीनेटरों को मिलनी चाहिये जब कि मैनुअल एक है। यह निश्चय किया गया कि नियमित रूप से हर पांच वर्ष पर ए० एस० वी० की परीक्षा हुआ करती थी, परन्तु सन् १९५५ के बाद से ८ वर्ष बीत गये अब तक नहीं हुई जिससे वैक्सीनेटर्स हतोत्साह हैं। अतः उक्त परीक्षा शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बतायेगी कि इन पर विचार कब तक हो जायगा ?

डाक्टर राममारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसको डायरेक्टोरेट में भेजा गया है आने पर जल्दी करेंगे।

मैनपुरी में पोस्ट मार्टम

*६—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जनवरी, १९६० से अब तक कितने मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम किये गये उनमें से कितने ऐसे पोस्टमार्टम हैं जिनमें मृत व्यक्तियों के मरने के कारण पुलिस में लिखायी गयी रिपोर्ट के कारण से भिन्न दिखलाये गये हैं और इस प्रकार के पोस्ट-मार्टम किन-किन अधिकारियों द्वारा किये गये थे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

४१६ पोस्ट मार्टम किये गये। इनमें से केवल १ पोस्ट मार्टम ऐसा हुआ जिसमें पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट में दिये गये मृत्यु के कारण से भिन्न कारण पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया। यह पोस्ट मार्टम डाक्टर एम० एल० चौबे, पी० एम० एस० प्रथम, चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल मैनपुरी ने मैनपुरी के सिविल सर्जन की उपस्थिति में किया।

मिर्जापुर जिले के डाक्टर का त्याग-पत्र

*७—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इमरजेंसी से एक माह पूर्व मिर्जापुर जिले में कितने मेडिकल आफिसर्स ने त्याग-पत्र दिया और कितनों का मन्जूर हुआ तथा जिनका मन्जूर हुआ उन्हें मंजूरी का पत्र कब गया ? यदि नहीं गया, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मिर्जापुर जिले में केवल एक डाक्टर ने उक्त अवधि में त्याग-पत्र दिया और वह स्वीकृत किया गया। यह डाक्टर मिर्जापुर जेल के थे। इसकी मंजूरी की सूचना स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने कारागार महा निरीक्षक तथा अधीक्षक, जिला जेल, मिर्जापुर को दिनांक ११ जून, १९६३ को दी थी। ऐसा ज्ञात होता है कि किसी कारणवश उक्त आदेश अधीक्षक, जिला जेल, मिर्जापुर को प्राप्त नहीं हो पाया। अतः उक्त डाक्टर को उसकी स्वीकृति की सूचना अभी तक नहीं पहुंच सकी है। मामले में जांच की जा रही है।

श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस्तीफा देने का क्या कारण था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

त्याग पत्र का कारण यही था कि वह निजी कारणों से जाना चाहते थे ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को मालूम है कि ये इस्तीफे ज्यादा तर इस वजह से दिये गये कि डाइरेक्टर साहब अपने आदमियों को शहर में रखना चाहते थे और दूसरों को देहात में ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो शहर के डाक्टर का ही मामला है । वह जेल के डाक्टर का था ।

श्री चिरंजीलाल जाटव--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक जिला जेल को वह सूचना नहीं प्राप्त हुई तो क्या इसकी सूचना डाक्टर को भेजी गई और अगर नहीं भेजी गई तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिला जेल अधीक्षक को यहां से भेज दी गई । जांच से पता लगा कि वहां पर नहीं पहुंची । इसलिये वह नहीं जा सकी ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तीफा मन्जूर किया गया और ८ महीने के बाद आज तक उनको इत्तला हो गई या नहीं कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इस डाक्टर ने अपना इस्तीफा इमरजेन्सी के पहले दिया था । इसलिये वह मंजूर किया गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इमरजेन्सी के पहले इस डाक्टर ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के कागज जो भेजे गये वह अधीक्षक, जिला जेल, मिर्जापुर को प्राप्त नहीं हुये और न कोई डाइरेक्टर की प्रतिलिपि प्राप्त हुई तो वह सरकारी आदेश कहां गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आई० जी० प्रोजन्स के पास पहुंचना चाहिये लेकिन प्रतिलिपि पहुंची जिला जेल में । इसलिये उसको नहीं मिल सकी ।

नियोजन विभाग में डेपूटेशन पर लिये गये क्लर्क

*८--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि नियोजन विभाग में कुछ लिपिक कलेक्टरेट तथा प्रदेशीय सरकार के अन्य विभागों में डेपुटेशन पर लिये गये हैं ? यदि हां, तो उनके डेपुटेशन की क्या अवधि है ?

*९--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग में कितने लिपिक डेपुटेशन पर लिये गये और कितने दिनों के बाद वापस किये गये और जो वापस किये गये

वे किस आधार पर वापस किये गये और जिनको नहीं किया गया वे किस आधार पर वापस नहीं किये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रसंगत सूचना† संलग्न है ।

श्री अहमद बख्श—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों की अवधि खत्म होती रहती है वह अपने महकमें को वापस कर दिये जायं, इसका हुकुम जारी किया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है । वैसे वह ३ साल के लिये आते हैं लेकिन विभाग चाहे तो वह उसको बढ़ा भी सकता है ।

श्री अहमद बख्श—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग डेपुटेशन पर लिये गये हैं उनके वापस न होने के कारण वे विभाग के अपने हकूक से महरूम रहते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जो लोग डेपुटेशन पर आते हैं वह यह सब खयाल करके ही रखे जाते हैं ।

श्री अहमद बख्श—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो लोग डेपुटेशन पर आते हैं उनके विभाग में उनकी बेसिक पे कम होती है और इस वजह से वहां काम करने वाले अपने हक से महरूम रहते हैं ?

श्री राममूर्ति—

अगर किसी खास जगह की यह बात हो तो देख ली जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कलेक्टोरेट के जो लोग नियोजन में लिये गये हैं वे ६,७ साल से वहां काम कर रहे हैं और उनका कंनफर्मेशन कहीं नहीं हो पा रहा है, तो क्या मंत्री जी उनको स्थायी करने के आदेश देंगे ?

श्री राममूर्ति—

जो जिस विभाग का आदमी होता है वहां उसका लियन रहता है । अगर वे समझते हैं कि उनका नुकसान हो रहा है तो वापस जा सकते हैं ।

देवरिया जिले के लिए नलकूप

*१०—श्री कैलाश—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिले के भटेनी भाटपार रानी तथा बनकटा ब्लाक में कितने नलकूप कहां-कहां बनने की योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में देवरिया जिले के भटेनी ब्लाक में २० सरकारी नलकूप तथा भाटपार रानी का बनकटा ब्लाक में १२ सरकारी नलकूपों के निर्माण की योजना है ।

---

†छापी नहीं गई ।

इनमें से केवल भटेनी ब्लाक में खिरिया ग्राम में एक नलकूप लगाने का स्थान निश्चित हो पाया है। शेष नलकूपों के निर्माण के लिये स्थानों के चुनाव के संबंध में सर्वे (Survey) कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ही यह कहा जा सकेगा कि वे कहां-कहां बनाये जायेंगे।

श्री कैलाश---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन नलकूपों से कितनी जमीन की सिंचाई होगी और कितनी बाकी रह जायगी ?

श्री राममूर्ति--

पूर्वी जिले में एक नलकूप से ६, ७ सौ एकड़ की सिंचाई हो सकेगी।

गुरसहायगंज चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*११---श्री होरीलाल यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ को गुरसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद, में ठेला से घायल किसी बालिका की प्राथमिक चिकित्सा करने से गुरसहायगंज के डाक्टर ने इन्कार कर दिया, तत्पश्चात् जिला सिविल अस्पताल में भी उसको प्राथमिक चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका और बालिका की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

गुरसहायगंज चिकित्सालय के डाक्टर ने कथित बालिका का इलाज करने से इन्कार नहीं किया था बल्कि उसे जिला अस्पताल ले जाने का परामर्श दिया था। जिला अस्पताल पहुंचने पर बालिका को भर्ती किया गया तथा उसका आवश्यक उपचार भी किया गया। इसी बीच बालिका के कोई संबंधी मिशन अस्पताल से एक डाक्टर ले आये और मरीज के बेडहेड टिकट पर अस्पताल से कोई शिकायत न होने के शब्द लिखकर रोगी को मिशन चिकित्सालय ले गये जहां दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई।

श्री होरीलाल यादव--

क्या यह सही है कि गुरसहायगंज के डाक्टर ने उस बालिका को सदर अस्पताल ले जाने का परामर्श दिया और उसकी मरहम पट्टी भी नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

स्थिति यह थी कि उसके काफी गम्भीर चोटें थीं और वहां पर्याप्त साधन नहीं थे कि उसका इलाज हो सकता। यदि उसकी चादर हटा दी जाती तो अधिक खून निकल जाने से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी, इसलिये उन्होंने ट्रक से उसे सदर अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की।

श्री ईश्वर शरण---

श्रीमन्, जो प्रश्न किये जाते हैं वे इसलिये किये जाते हैं कि सरकार को जानकारी बढ़ायी जाय कि वहां यह कमियां हैं और उनको दुरुस्त किया जाय, लेकिन सरकार की ओर से उनको शील्ड किया जाता है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गुरसहायगंज में उसकी प्राथमिक चिकित्सा क्यों नहीं की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

कई बार गंभीर चोटें लगने से शरीर के अन्दर की शक्ति से ब्लड क्लाट हो जाता है और खून बहना रुक जाता है। वही दशा बालिका की थी। अगर वह डाक्टर घाव साफ करने की कोशिश करते तो खून अधिक निकलने से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी, इसलिये उन्होंने उसे सदर अस्पताल भिजवाने का इन्तजाम किया ताकि उसका आपरेशन हो सके।

श्री होरीलाल यादव--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उस बालिका को सदर अस्पताल में दो घंटे तक खुले मैदान में रखा गया और कोई उसका इन्तजाम नहीं किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह बात बिलकुल गलत है। अस्पताल में वह बालिका गयी, दवाई दी गयी, आपरेशन थिएटर तैयार करने का आर्डर दे दिया गया, इसी बीच में उसके सम्बन्धी एक दूसरे अस्पताल के डाक्टर को लिवा लाये और उसको दूसरे अस्पताल में ले गये जिस अस्पताल का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं था। बालिका वहीं मरी है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि जब बालिका अस्पताल में ले जायी गयी तो डाक्टर ने कहा कि दो घंटे के अन्दर मर जायगी, इस वजह से परेशान हो कर मिशन अस्पताल में ले गये और ले जाने से पहले डाक्टर ने मजबूर किया कि लिख दें कि कोई शिकायत नहीं है तब ले जा सकते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह बात बिलकुल सही नहीं है। सिविल सर्जन की रिपोर्ट है कि वह आपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे। अगर उसके सम्बन्धी नहीं चाहते थे कि बालिका को वहां रखें तो सिविल सर्जन मजबूर नहीं कर सकते थे।

श्री उग्रसेन--

जब उसकी स्थिति इतनी गम्भीर थी और डाक्टर के पास दवा नहीं थी तो क्या डाक्टर ने इतना भी नहीं किया कि कोई एम्बुलेन्स मंगवा दे और सदर अस्पताल के इंचार्ज को चिट्ठी लिख दें कि हम आपरेशन नहीं कर सकते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

दवा उसके पास नहीं थी, ऐसा मैंने नहीं कहा।

श्री उग्रसेन--

कोई चिट्ठी लिख कर उन्होंने दी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

ऐसी तो कोई इत्तिला नहीं है, लेकिन बहरहाल वह किया ही होगा।

घोसी तहसील में कूप निर्माण ऋण

*१२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रधौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, में वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में सरकारी सहायता एवं ऋण से किन-किन व्यक्तियों द्वारा कूप निर्माण कराये गये तथा सम्बन्धित व्यक्तियों ने दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ को जिलाधीश, आजमगढ़, को इस आशय का पत्र लिखा है कि पूरी धनराशि सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई और उसकी वसूली हो रही है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

५ फरवरी, १९६४ को विधान सभा में यह उत्तर दिया जा चुका है कि सरकारी ऋण की सहायता से केवल एक व्यक्ति श्री डोमा ने कुवां बनवाया। कथित दिनांक १९-९-६३ का पत्र जिला नियोजन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या नियोजन मन्त्री बतायेंगे कि १९५५-५६ में जिस आदेश के अनुसार ऋण और अनुदान दिया जाता था उसमें कुएं बनाये जाने के ऋण और अनुदान में छूट देने का कोई प्राविधान था ? यदि था, तो इस व्यक्ति को छूट दी गयी या नहीं ?

श्री राममूर्ति---

मैं पांडेय जी के लिये कुल मालूमात करा दूं कि कायदे से छूट मिलनी चाहिये, लेकिन जिस खेत के नक्शे में उसने बतलाया था कुआं बनाने के लिये वहां नहीं बनाया। डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां से एक जी० ओ० निकला था, ऐसी शिकायतें आयीं कि लोग पुराने कुए बतला दिया करते थे और लोन ले लेते थे। उसको रोकने के लिये हिदायत दी गयी। लेकिन हो सकता है कि कुआं ठीक बन गया हो, अगर राम सुन्दर जी बतला दें तो उसको छोड़ दिया जायगा और सबसिडी मिल जायगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या विकास मन्त्री जी को मालूम है कि कुएं की जांच करने वालों ने रिपोर्ट की कि कुआं ठीक बना, ठीक वक्त से बना और कुए का जो ऋण दिया गया उसमें सीमेंट भी नहीं दिया गया, फिर भी कुएं के ऋण का पूरा रुपया उससे वसूल किया जा रहा है, उसकी कुर्की भी हुई ?

श्री राममूर्ति---

मैंने अर्ज किया कि सिर्फ २४० रुपये का सामान दिया गया था, लेकिन चूंकि जी० ओ० निकला था और कुआं जो बना है वह दूसरी जगह पर बनाया गया है तो आदेश हुआ कि फुल लोन उसका रोक दिया जाय और रुपया वसूल किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमान्, पूरी तकावी नहीं दी गयी और वह वसूल की जा रही है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने उत्तर में बता दिया है कि जो २४० रुपया दिया गया वही वसूल किया जा रहा है। अब अगर और कोई बात है तो आप उनको बता दें।

छिबरामऊ जनाना अस्पताल

*१३---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ जनाना अस्पताल में कितने दिनों से लेडी डाक्टर काम कर रही है और उस दिन से कितने मरीज इस अस्पताल में दाखिल हुये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

महिला चिकित्सालय, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद, में महिला चिकित्सक (लेडी डाक्टर) ने १ नवम्बर, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कार्य किया। इस समय एक पुरुष चिकित्सक (मेल डाक्टर) अपने कार्य के साथ-साथ इस चिकित्सालय का कार्य भी देख रहे हैं।

१ नवम्बर, १९६३ से १५ फरवरी, १९६४ तक उक्त चिकित्सालय में दाखिल होने वाले रोगियों की संख्या निम्नलिखित है:—

(१) आभ्यन्तर रोगी	..	११
(२) बाह्य रोगी	..	१,३७७

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अस्पताल को मंजूर किये हुये कितने दिन हो गये और अभी तक केवल दो माह के लिये ही लेडी डाक्टर का प्रबंध हो सका है ? इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२६ जून, १९६३ से यह चिकित्सालय कार्य कर रहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

जिन-जिन अस्पतालों में लेडी डाक्टर नहीं हैं, क्या सरकार आर्जी तौर पर वहां के लिये कोई इंतजाम करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां पर दोनों तरह के अस्पताल हैं वहां पर एक अस्पताल का डाक्टर ही दोनों जगह का काम देखता है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

कौन से डाक्टर हैं, जो इन अस्पतालों की भी देखभाल करते हैं ? क्या सरकार को विश्वास है कि वह डाक्टर लेडी अस्पताल का काम भी ठीक प्रकार से करते होंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डाक्टर का नाम एच० एम० तिवारी हैं, जो मेल डाक्टर हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

परिवार नियोजन के लिये जो लेडी डाक्टर रखी गयी हैं उनके पास काम बहुत कम होता है । तो क्या सरकार उनको ऐसी जगह भेजने का प्रबंध करेगी जहां पर यह दोनों तरह का काम देख सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अगर कहीं अधिक हैं तो जरूर विचार करेंगे ।

डाक्टर रहित चिकित्सालय

*१४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं जिनमें केवल कम्पाउन्डर कार्य कर रहे हैं और डाक्टर नहीं हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस समय प्रदेश के ३०३ राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं और वहां केवल कम्पाउन्डर कार्य कर रहे हैं ।

*१५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त कम्पाउन्डर मर्ज को देखकर पर्चा लिखने का कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

डाक्टर रहित चिकित्सालयों में अनुभवी कम्पाउन्डर साधारण मर्ज को देखकर दवाई देने का कार्य कर रहे हैं।

हरखपुर खास में कूप निर्माण ऋण

*१६--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या विकास मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड महाराजगंज के अन्तर्गत ग्राम हरखपुर खास में सरकारी सहायता से कितने कुयें बने हैं ?

श्री राममूर्ति--

वर्ष १९६२-६३ में तीन व्यक्तियों को कूप निर्माण हेतु सरकारी ऋण दिया गया किन्तु अभी तक उनके निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका है।

*१७--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--

क्या यह सच है कि उन लोगों ने कुयें की रकम घर बनवाने में खर्च की और एक भी कुआं मौजूदा समय में नहीं बना है ? क्या सरकार उनसे सहायता की गयी रकम वसूल करने का प्रबंध कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त लोगों ने ऋण को घर बनाने में खर्च किया है पर यह सही है कि कुओं का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। उनको इस आशय की नोटिस दी जा चुकी है कि यदि वे १९६३-६४ के अन्दर कुओं का निर्माण पूरा नहीं कर लेंगे तो उनसे पूरे धन की वसूली की जायगी।

ए० डी० ओज० में ग्राम सेवक व सेनेटरी इन्सपेक्टर

*१८--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या नियोजन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कोई जी० ओ० नं० ३०८-३५-१२९ ए० ई० एस०-५८ दिनांक १५ जून, १९६१ विकास आयुक्त के यहां से सब जिलाधीशों को भेजा गया कि २/३ ए०डी० ओज० ग्राम सेवक में से लिये जायेंगे ? यदि हां, तो सूबे में ऐसे कितने ए० डी० ओज० उक्त आदेश के बाद लिये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रस्तुत प्रश्न से सम्बन्धित सूचना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, को प्रसंगत सहायक विकास अधिकारियों के सम्बन्धित विभागाध्यक्षों, अर्थात निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, कृषि, निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, से प्राप्त करनी है। इन विभागाध्यक्षों को उक्त सूचना अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों/जिला अधिकारियों से एकत्र करनी है। इस प्रकार प्रश्नगत सूचना एकत्र कर एक संकलित रूप में प्रस्तुत करने में अभी और समय लगेगा।

*१९--श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जिला पीलीभीत में कितने ग्राम सेवक तरक्की पाकर ए० डी ओज० हुये वे कौन-कौन हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला पीलीभीत में तीन ग्राम सेवक, सर्वश्री धर्मवीर सिंह, बृजपालसिंह व अगनेलाल, स्थानापन्न रूप से (Officiating), तथा दो ग्राम सेवक सर्वश्री जयवीरसिंह व आर० पी० अवस्थी, अल्पकालीन अवधि हेतु (Stop-Gap arrangement) सहायक विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किये गये ।

*२०-श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में कितने सेनेटरी इन्सपेक्टर बहैसियत ए०डी० ओ० पब्लिक हेल्थ हैं जो प्लानिंग विभाग में काम कर रहे हैं और उनमें कौन-कौन स्थायी किये गये हैं तथा कौन-कौन अस्थायी हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

नियोजन विभाग में २६३ सेनेटरी इन्सपेक्टर बहैसियत सहायक विकास अधिकारी (पब्लिक हेल्थ) कार्य कर रहे हैं जो अस्थायी हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जी० ओ० का हवाला मैंने दिया उसके मुताबिक २/३ ए० डी० ओज० ग्राम सेवकों में से आयेंगे, यह सही है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

बी० एल० डब्लू० और ग्रुप ३ की संख्या देखकर निर्धारित होता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या ग्राम सेवकों की उन्नति का कोई कोटा है और यदि हां, तो उसका पालन इस केस में किया गया है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

ऐसा पत्र है जरूर कि ग्राम सेवकों में आवश्यकतानुसार प्रोमोशंस किये जावें और किये भी गये ।

पीलीभीत जिले में ग्राम सेवकों की पदोन्नति न होना

*२१-श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सत्य है कि पीलीभीत जिले में सन् १९६३ में पांच कोआपरेटिव सुपरवाइजर और ए० डी० ओ० कोआपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति किये गये हैं जबकि विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, के पत्र सं० ३०८-३५-१२९ ए० ई० एस०-५८, दिनांक, १५ जून, १९६१ ई० के अन्तर्गत कम से कम तीन ग्राम सेवकों को पदोन्नत किया जाना चाहिये था ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह सही है कि पीलीभीत जिले में पांच कोआपरेटिव सुपरवाइजर, ए० डी० ओ०/कोआपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर (स्टाप गैप अरेन्जमेंट में) पदोन्नत किये गये हैं ।

यह सही नहीं है कि राजाज्ञा संख्या ३०८४/३५-क-१२९ एन० ई० एस०-५८, दिनांक १५-६-६१, के अनुसार ३ ग्राम सेवक पदोन्नत किये जाने चाहिये थे ।

*२२--श्री गणेशचन्द्र काछी--

यदि हां, तो ग्राम सेवकों की स्थानापन्न पदोन्नति न करने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम सभा बवइयां के कागजों की जांच

*२३-श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५-४६ एवं ४७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तरीय जांच कब समाप्त हुई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला देवरिया की ग्राम सभा बवइयां हरपुर की खंड विकास अधिकारी बिशनपुर की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक २१-८-६१ पर सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने अपनी जांच १२-१-६२ को समाप्त की । उक्त रिपोर्ट से उक्त गांव सभा के कोष के रख-रखाव के बारे में कुछ अनियमितायें प्रकाश में आईं । इस जांच के फलस्वरूप उक्त गांव सभा के वर्ष १९५९-६० तथा १९६०-६१ के हिसाब-किताब का सम्प्रक्षण कराया गया ।

*२४-श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व प्रधान के २७ नवम्बर सन् १९६१ के पत्र की जांच हुई ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

भूतपूर्व प्रधान ने दिनांक २७-११-६१ को कोई पत्र नहीं दिया था वरन् उन्होंने उक्त तिथि को एक अपना लिखित बयान दिया था जिस पर सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जांच की गई थी । भूतपूर्व प्रधान ने अपने दूसरे बयान दिनांक ६-११-६२ में यह कहा कि श्री अवरनाथ त्रिपाठी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ने उनसे जबरदस्ती प्रासंगिक बयान लिखा लिया था । उक्त बयान की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५२-३५३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० और ६०-६१ के हिसाब के व्योरों में कोई आपत्तिजनक बात पाई गयी या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अभीअभी जब मैं आ रहा था तो आडिट रिपोर्ट मुझे मिली है । उसमें ३, ४ स्थानों पर उन्होंने दिया है, बहुत व्योरा है । आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं या माननीय सदस्य आकर देखने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

इस सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने जबरदस्ती लि लया और उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय--

पंचायत राज्य निदेशक ने ६ मार्च को फिर आदेश दिया है कि इस मामले को फिर से देखा जाय और ए० डी० ओ० पंचायत की गलती है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय ।

आजमगढ़ में शवगृह

*२५--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ दिनों पूर्व आजमगढ़ शहर के पोस्टमार्टम हाउस को जो नगर के मुख्य मार्ग पर और घनी आबादी के बीच है वहां से हटाने का निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो अब तक वह क्यों नहीं हटाया गया ? क्या उसे हटाने में सरकार शीघ्रता करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां, ऐसा निश्चय किया गया था । परन्तु देश में संकटकालीन स्थिति के कारण सरकार ने यह निर्णय किया कि नये भवनों का निर्माण तब तक न किया जाय जब तक कि वे अत्यन्त आवश्यक न समझे जांय । इस निर्णय के अनुसार नये भवनों के निर्माण के सभी प्रस्ताव स्थगित कर दिये गये, जिनमें आजमगढ़ में शव-गृह के लिये एक नये भवन के निर्माण का कार्य भी सम्मिलित था । यह कार्य कब तक लिया जा सकेगा, यह कहना अभी सम्भव नहीं है ।

श्री मंगलदेव --

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण क्यों नहीं आवश्यक समझा गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आवश्यक इतने मायने में है ही कि स्वीकार किया जा चुका है और धन उपलब्ध होते ही इसे ले लिया जायगा ।

नगरा अस्पताल

*२६--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--

क्या यह सही है कि जिला बलिया के अन्तर्गत नगरा ब्लाक सब ब्लाकों में बड़ा है और इसमें सरकारी एलोपैथी अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

नगरा में एक एलोपैथिक अस्पताल २४ फरवरी, १९६४ से खोल दिया गया है ।

*२७--श्री गंगाप्रसादसिंह--

क्या यह सही है कि सीअर, जिला बलिया, ऐसे बड़े ब्लाक में जिला परिषद् का एक छोटा अस्पताल है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उपर्युक्त अस्पताल का प्रान्तीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जिला परिषद् बलिया का एलोपैथिक औषधालय सीअर ब्लाक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कार्य कर रहा है । इस औषधालय के प्रान्तीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नोट--तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

पानी के पम्प व इंजिन

*२८—श्री ब्रह्मदत्त माथर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर के ब्लाकों में किसानों को जिन पानी के पम्प तथा इंजन की खरीद पर वह सहायता प्रदान करती है तथा सरकारी अधिकारी उनकी खरीद के लिये सिफारिश करते हैं, उन इंजनों तथा पम्पों की लिस्ट क्या है जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है ?

श्री रामभूति—

सरकार द्वारा अप्रूव्ड पानी के पम्प तथा इंजनों की सूची संलग्न है। यह सूची शासकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर दी गई थी। अतः इस संबंध में किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५४ पर)

*२९—श्री ब्रह्मदत्त माथर—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि माह जून, १९६३ में पानी के इंजन लगे पम्पों के विक्रेताओं की जो मीटिंग कानपुर में हुई थी और जिन लोगों ने सरकार की सब शर्तें मान ली थीं उनके नामों की अप्रूव्ड लिस्ट अब तक नहीं छपी है, उसका क्या कारण है ; तथा इस देरी से जो किसानों को असुविधा हो रही है उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री रामभूति—

इन लोगों के नामों की अप्रूव्ड लिस्ट निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा १०-१-१९६४ को प्रसारित कर दी गई थी और वह दिनांक २२-२-१९६४ के सरकारी गजट में छप चुकी है। किसानों को इस देरी से कोई असुविधा नहीं हुई है क्योंकि पुरानी अप्रूव्ड फर्मों को पुरानी शर्तों पर इन्जन तथा पम्प किसानों को बेचने के लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये थे।

ज्ञानपुर विकास खंड के खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध जांच

*३०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी स्थित विकास खंड ज्ञानपुर के खाद्य निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार के संबंध में जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच की गयी थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां।

*३१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो क्या शिकायतें थीं, जांच के परिणाम स्वरूप क्या तथ्य सामने आये तथा सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कुछ लोगों ने यह शिकायत की थी कि खाद्य निरीक्षक निर्धारित लाइसेन्स फीस अधिक रुपया लेकर दूकानदारों का लाइसेन्स बनाते हैं और उनसे लाइसेन्स देते समय भी कुछ रुपया वसूल कर लेते हैं तथा जनता के खाद्य निरीक्षक सभ्यता से बात नहीं करते।

जांच करने पर शिकायत करने वालों में से कुछ ने शिकायतों की पुष्टि की, कुछ ने यह बयान दिया कि उन्होंने शिकायती पत्र चीनी का कोटा बढ़ाने की अर्जी समझकर उस पर दस्तखत कर दिए। कुछ शिकायत करने वाले उनके घरों पर जाने पर भी सामने नहीं आए।

जांच के फलस्वरूप ऐसा पता चला कि खाद्य निरीक्षक ने कुछ लोगों के खिलाफ लाइसेन्स न होने के कारण कानूनी कार्यवाही की थी और कुछ सेम्पुल्स भी भरे थे। इस कारण उनसे रुष्ट होकर उन लोगों ने शिकायत की थी। पर उक्त शिकायतों के संबंध में स्पष्ट गवाही न मिली और शिकायत साबित न हुई।

यह भी पता चला कि दुकानदार खाद्य पदार्थ का व्यवसाय बगैर लाइसेन्स लिये वर्षों से कर रहे थे और उन्हें पहली बार लाइसेन्स लेना पड़ा था। दुकानदारों के खिलाफ लाइसेन्स सम्बन्धी देर में कार्यवाही करने के लिये खाद्य निरीक्षक को सख्त चेतावनी दी गयी।

[१८ मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२६ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आई० टी० आई० बरेली, में वजीफा

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली के इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, कलक्टरबकगंज, में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को अब तक वजीफा नहीं मिला है जिससे उनमें बड़ी बेचैनी है? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। वजीफा मिल गया है।

कुरावली विकास खण्ड में स्कूल इमारतें

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले में कुरावली के विकास खंड अधिकारी से मिल कर कुछ ग्राम सभाओं के प्रधानों ने स्कूलों की इमारतें बनाने के नाम से कई हजार रुपया ले लिया है, जिसे काफी समय बीत चुका है, पर आज तक इमारतें नहीं बनी हैं?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। स्कूल भवन निर्माण हेतु जो धन दिया गया है उससे कुछ इमारतें बन गई हैं और कुछ में कार्य प्रगति पर है।

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

यदि हां, तो किस-किस ग्राम सभा के प्रधान पर इस वक्त ऐसा रुपया बाकी है और विकास खंड अधिकारी ने उसे वापस क्यों नहीं लिया है?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न ही नहीं उठता।

*५—श्री ऊदल—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*६—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[१९ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९—११—श्री भतोलासिंह (जिला बांदा)—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

[हटा दिया गया ।]

*१३-१४—श्री खेमचन्द (जिला आगरा), श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

[२६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६-१७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

मुरादाबाद जिले में लेबर वेलफेयर आफिसर के विरुद्ध शिकायत

*१८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने कोई ऐसा आदेश अयोध्या शुगर मिल्स राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद, के लेबर वेलफेयर आफिसर के पास भेजा है कि वह लेबर वेलफेयर के अलावा इसी कारखाने की दूसरी ब्रांच डिस्टिलरी में भी मैनेजर का कार्य करें ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं । परन्तु यू० पी० फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ के नियम १८ के अन्तर्गत कथित वेलफेयर आफिसर को डिस्टिलरी के कार्य सम्पादन की देखभाल (सुपरविजन) करने की इजाजत दी गई है ।

*१९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि लेबर वेलफेयर आफिसर के विरुद्ध आम मजदूरों में बेचैनी है कि वह मजदूरों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त मैनेजरी छोड़ने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—

ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं प्राप्त हुई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*२०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी तुरन्त इस आफिसर का तबादला अन्य मिल में करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—

सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

*२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

फिरोजाबाद में चूड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन

*२२—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग में फिरोजाबाद के कांच के चूड़ी उद्योग की प्रतिनिधि संस्था की ओर से एक प्रतिवेदन इस आशय का हाल में प्राप्त हुआ है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत चड़ी उद्योग में कम से कम उजरत निश्चय करने के लिये बनायी जाने वाली कमेटी में उपरोक्त संस्था का भी एक प्रतिनिधि लिया जावे? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बनारसी दास—

जी हां। सरकार ने कमेटी नियुक्त करने के बजाय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के प्रस्ताव को सरकारी गजट में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ जो इससे प्रभावित होंगे, प्रकाशित करने का विचार किया है। अतएव कथित कमेटी में किसी भी संस्था के प्रतिनिधि के लिये जाने का प्रश्न नहीं उठा। संस्था को सूचित कर दिया गया है कि उनकी प्रार्थना दृष्टिगत की गई है और उनके न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के विचार उचित समय पर यथोचित रीति से आमन्त्रित किये जायेंगे।

*२३—श्री झिलमिटराम—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४–२५—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) तथा श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज

*२६—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज कितने हैं जो जिलों में ३ साल से अधिक एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां कब से नियुक्त हैं?

श्री बनारसीदास—

प्रदेश में ३ (तीन) असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐसे हैं जो एक स्थान पर ३ साल से अधिक से कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति स्थान व तिथि का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम व नियुक्ति स्थान			नियुक्ति की तिथि
श्री राम पाल सिंह राठौर, सहायक निबन्धक, कानपुर	..	..	१६–४–६०
श्री रामानुज सिंह, सहायक निबन्धक, बलिया	..	..	२०–२–६१
श्री बनवारी राम, सहायक निबन्धक, गोंडा	..	..	२३–१–६१

*२७—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या यह सही है कि कानपुर जिले के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को १५ साल से ऊपर कानपुर में ही विभिन्न पदों पर कार्य करते हो गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं ।

लाजपतराय अस्पताल, कानपुर

*२८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शहर कानपुर स्थित लाजपतराय अस्पताल में आपरेशन थियेटर में मरीजों के आपरेशन नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो आपरेशन न होने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर में आपरेशन थिएटर में मरीजों के आपरेशन हो रहे हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

*२९—श्री शिवनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल में १ जनवरी, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कितने आपरेशन हुये और उनमें कितने आपरेशन सफल हुये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

२१,९८५ आपरेशन हुये जो सफलतापूर्वक किये गये । इनमें से आपरेशन के पश्चात् ५४ मरीजों की मृत्यु हो गई ।

*३०—श्री शिवनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत लाजपतराय अस्पताल में मरीजों के एक्सरे की व्यवस्था है या नहीं ? यदि हां, तो १ सितम्बर, १९६३ से १ जनवरी, १९६४ तक कितने एक्सरे किये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला कानपुर के अन्तर्गत लाला लाजपतराय अस्पताल में मरीजों के एक्सरे की समुचित व्यवस्था है । १ सितम्बर, ६३ से १ जनवरी, ६४ तक उक्त अस्पताल में ३,९२८ एक्सरे किये गये ।

सराय मुहाना में गांव पंचायत की स्थापना

*३१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मेरे ५ फरवरी और ६ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २६ और ४३ के उत्तर के अनुसार सराय मुहाना गांव में २२'५ एकड़ भूमि पर, जो उसके कुल रकबे का ९८.९ प्रतिशत है, "दि फाउन्डेशन फार न्यू एजुकेशन' का स्वामित्व १९२९–३० से बहैसियत जमींदार के है और मेरे २७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ७६ के अनुसार उस गांव के कुल तीन खेती करने वाले किसानों से लगान की वसूली यह शिक्षा संस्था करती है तो इस गांव में पंचायतराज अधिनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत गांव पंचायत स्थापित की गयी है ?

श्री राममूर्ति—

सराय मुहाना गांव में गांव सभा एवं गांव पंचायत की स्थापना उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ तथा १२ एवं तद्न्तर्गत बने नियमों के अनुसार की गई है । नियमों में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि जिस गांव में जमींदारी कायम हो उस गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना न हो ।

*३२—श्री रघुनाथसिंह—

इस गांव में पंचायती राज की स्थापना यदि वैधानिक है, तो उसी गांव में उस शिक्षा संस्था की जमींदारी कैसे बनी हुई है ?

श्री राममूर्ति—

रिसी बैली ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऐक्ट २१, १८६० के अन्तर्गत है और गांव सराय मुहाना की भूमि उक्त संस्था द्वारा शिक्षा प्रसार के लिये अर्जित की गई है। इसलिये इस ग्राम में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २(१) (स) के अन्तर्गत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार वहां उक्त शिक्षा संस्था की जमींदारी बनी हुई है।

*३३–३५—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[२४ मार्च १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६–३८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९—श्री उल्फत सिंह यादव—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

एम्प्लायमेंट दफ्तर, खीरी के हेड क्लर्क पर घूसखोरी का मुकदमा

*४०—श्री श्रीराम, श्री मन्नालाल (जिला खीरी), श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतानें की कृपा करेंगी कि खीरी जिला के एम्प्लायमेंट दफ्तर के हेड क्लर्क को जिलाधीश, खीरी द्वारा हस्ताक्षर किये गये दस-दस के नोट रिश्वत में देते हुये सन् १९६३ में पकड़े गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त क्लर्क को क्या दंड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, उन पर मुकदमा चलाया गया परन्तु वे अदालत से बरी हो गये।

जुनावई ब्लाक चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*४१—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक जुनावई, जिला बदायूं, की डिस्पेंसरी में डाक्टर कितने दिनों से नहीं है और डाक्टर न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जुनावई ब्लाक चिकित्सालय में १३ जुलाई, १९६१ से कोई डाक्टर नहीं है। इसका कारण डाक्टरों का अभाव है। उचित संख्या में उपलब्ध होने पर ही कथित चिकित्सालय में डाक्टर भेजना संभव होगा।

*४२—श्री मन्नालाल—

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३–४४––श्री उग्रसेन––

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५––श्री कल्पनार्थसिंह––

[वापस ले लिया गया ।]

*४६–४७––श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)––

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८–४९––श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)––

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०––श्री रघुनाथसिंह––

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेजों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों का संरक्षण

१––श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में डाक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भर्ती के संबंध में देहाती क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये कितने प्रतिशत संरक्षण देने का उनका आदेश है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

३.१ प्रतिशत ।

फर्रुखाबाद जिले में प्रान्तीय रक्षक दल प्रशिक्षण

२––श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सन् १९६१–६२ और १९६२–६३ में प्रत्येक विकास क्षेत्र स्तर पर और जिले के स्तर पर कितने–कितने व्यक्तियों को प्रान्तीय रक्षा दल का प्रशिक्षण दिया गया और उनमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों वर्ष प्रशिक्षण में सम्मिलित रहे ?

श्री राममूर्ति––

सन् १९६१–६२ में कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं चलाया गया । सन् १९६२–६३ में जिला स्तर पर एक शिविर चलाया गया जिसमें ३१९ व्यक्ति प्रशिक्षित हुये । इसके अतिरिक्त छिबरामऊ विकास क्षेत्र ने अपनी पहल पर एक शिविर आयोजित किया जिसमें १७ हल्का सरदार और ९३ दलपति शामिल हुये । इस शिविर का खर्चा जनता ने वहन किया । इस शिविर के ३४ व्यक्ति जिला स्तरीय शिविर में भी शामिल हुये ।

३––श्री महरामसिंह––

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे प्रान्तीय रक्षा दल में कितने व्यक्ति हैं जो अवैतनिक स्थायी रूप में कार्य करते रहते हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

इस जिले में प्रान्तीय रक्षक दल के अवैतनिक कार्यकर्ताओं की संख्या इस प्रकार है :

हल्का सरदार	..	१६८
दलपति	..	१,२१४
टोली नायक	..	४,२९६
रक्षक	..	३७,३१५

प्रान्तीय रक्षक दल एक स्वयंसेवी संगठन है। इन अवैतनिक कर्मचारियों को निम्न सुविधायें दी जाती हैं :--

१--कुछ समृद्ध पंचायतों की ओर से वर्दी दी जाती है।
२--होम गार्ड्स में भर्ती के समय प्राथमिकता दी जाती है।
३--भर्ती के समय आयु के संबंध में १० साल की छूट दी जाती है।
४--जब कहीं डियूटी पर बुलाये जाते हैं तो इनको डियूटी अलाउन्स दिया जाता है।

आबकारी विभाग अधिकारी

४--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आबकारी विभाग में ऐसे कितने गजेटेड अफसर हैं जिनको एक ही जिल में तीन साल से ऊपर हो चुके हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस समय आबकारी आयुक्त के अधीनस्थ तीन गजेटेड अफसर हैं जिनको तीन साल से ऊपर उसी जिले में ही वर्तमान पद पर हो गये हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं :--

१--श्री गिरीशदत्त पांडेय, सहायक आबकरी आयुक्त, लखनऊ।
२--श्री देवी शंकर बाजपेयी, आबकारी अधीक्षक, लखनऊ जिला, लखनऊ, तथा
३--श्री सी० एफ० चैट्री, आबकारी अधीक्षक, गोरखपुर।

५--श्री श्रीराम तिवारी--

क्या सरकार की ऐसी नीति नहीं है कि एक जिले में अफसरों को तीन साल से अधिक न रखा जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

साधारणतः तीन वर्ष के बाद अफसरों का तबादला हो जाता है।

दहगवां में दुकानों का निरीक्षण

६--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के बिक्री कर अधिकारी फरवरी, १९६३ में ग्राम दहगवां, जिला बदायूं गये थे ? यदि हां, तो उन्होंने किस-किस दुकान का निरीक्षण किया तथा क्या परिणाम निकाला ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

सहायक बिक्री-कर अधिकारी, बदायूं फरवरी, १९६३ में दहगवां गांव गये थे। उन्होंने (१) श्री बांके लाल पुत्र गोविन्द राम भट्ठे वाले (२) श्री बृजपाल गिरेन्द्रपाल भट्ठे वाले, और (३) श्री बाबू राम सर्राफ की दुकान का निरीक्षण किया था। उनके द्वारा किये गये निरीक्षण का पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५५ पर)

डाक्टर रहित चिकित्सालय

७—श्री मन्नालाल—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६४ को प्रदेश में ऐसे राजकीय चिकित्सालयों की संख्या कितनी थी जिनमें डाक्टरों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१ जनवरी, १९६४ को प्रदेश में ऐसे राजकीय चिकित्सालयों की संख्या २९१ थी जिनमें डाक्टरों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है ।

८—श्री मन्नालाल—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अभाव कब तक पूर्ण कर दिया जायगा तथा इस अभाव को स्थायी रूप से हल करने के लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि यह अभाव कब तक दूर हो जायगा । इस समस्या का निवारण करने हेतु सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की थी तथा उसके द्वारा दिये गये सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

आजमगढ़ विकास खण्ड में कुओं का निर्माण

९—श्री उमाशंकर—

क्या विकास मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला विकास खंड, आजमगढ़ के ग्राम बेरमा में सरकारी सहायता से कितने कुयें बने हैं ?

श्री राममूर्ति—

एक ।

१०—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उन लोगों ने कुयें की रकम कुआं न बनवाकर अन्यत्र अपने दूसरे कार्यों में खर्च कर दी है ? मौजदा समय में एक भी कुआं नहीं बना है ।

श्री राममूर्ति—

जैसा कि प्रश्न ९ के उत्तर में कहा गया है, कि एक कुंआ बना है । तीन कुओं की धनराशि अन्यत्र व्यय की गई प्रतीत होती है ।

११—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार उनसे सहायता दी गयी रकम वसूल करने का प्रबन्ध कर रही है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

उक्त तीन व्यक्तियों में से एक से कुल धन वसूल किया जा रहा है । शेष के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

होम्योपैथिक चिकित्सालय

१२—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में कितनी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी हैं ? ये किस-किस स्थान पर हैं और प्रत्येक डिस्पेंसरी पर औसतन प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५६-३५७ पर)

१३--श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि होम्योपैथिक चिकित्सालयों से प्रतिवर्ष कितने रोगियों का उपचार होता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

२,८९,७०१ रोगियों का ।

भाटपार रानी रामपुर सड़क

१४--श्री कैलाश--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत भाटपार रानी से सोहनपार होते हुये रामपुर तक १२ मील जो सड़क कच्ची है उसमें क्या भाटपार रानी से सोहनपार तक लगभग १ मील सड़क नहीं बनी है ।

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१५--श्री कैलाश--

यदि हां, तो क्या सरकार यह देखते हुये कि उक्त सड़क सलेमपुर पूर्वी क्षेत्र म प्रतापपुर मिल में गन्ना लाखों मन ले जाने की एकमात्र सड़क है उसके वास्ते जमीन जल्द से जल्द एक्वायर कर के उसे बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों† की सूची सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १० फरवरी, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश परिषद् ने अपनी दिनांक १३ फरवरी, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १२ मार्च, १९६४ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का ७वां अधिनियम बन गया ।

---

†छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा —

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २५ फरवरी, १९६४, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ९ मार्च, १९६४, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १३ मार्च, १९६४, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का ८वां अधिनियम बन गया।

प्रश्नों को कार्यसूची में न रखने के सम्बन्ध में आपत्ति

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, सचिव, विधान सभा ने एक पत्र खाद्य तथा रसद (ख) विभाग को लिखा उसकी एक प्रति हमें भेजी और यह चिट्ठी लिखी गई १४ मार्च, १९६४ को ९ मार्च, ४६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के संशोधन के सम्बन्ध में इसमें यह लिखा गया कि उक्त संशोधित उत्तर की ५ प्रतियां १४-३-६४ को सायंकाल ५ बजे के पूर्व इस सचिवालय में पहुंच जानी चाहियें जिससे उसे १६-३-६४ की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा सके। मेरा निवेदन है कि १६ मार्च, की तिथि बीत गई और अभी भी कार्य-सूची में उसे शामिल नहीं किया गया और न उसकी कोई नोटिस दी गई। और यह नोटिस भी संयोग से मुझे आज मिली। इस सम्बन्ध में आप निश्चित व्यवस्था दें कि इस तरह के जो संशोधित उत्तर सदन में आने चाहिये उसके लिये कोई निश्चित तिथि हो। अगर इस प्रकार विभाग विलम्ब करेगा तो उसका सदन की कार्यवाही पर असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैं देखकर ही बता सकूंगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

यह सत्र जब से शुरू हुआ मैंने कई सवाल दिये। उसकी कोई सूचना हमें नहीं मिली कि सवाल स्वीकार हुए या नहीं, इत्यादि। मैं आपके यहां जाता भी नहीं हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—

हमारे साथ तो इससे आप बड़ी बेइंसाफी कर रहे हैं कि आप हमारे पास आते नहीं हैं। वह बेइंसाफी आप पहले दूर कर दीजिये, आप आइये और अगर आप की शिकायत को मैं न देखूं तो आप जो जी चाहे यहां कह सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप मेरे यहां आ जायं।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

यही व्यवस्था की बात मेरे लिये है। जब से सदन चला मैंने ५० के करीब प्रश्न भेजे। उसके लिये आप कृपा करके यही मेहरबानी करें।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

पांडेय जी, आप जरा बैठ जाइये। आप नये सदस्यों को कहने दीजिये। आप तो बहुत दिनों से यहां हैं, आप तो मेरे यहां आ सकते हैं और आपकी कद्र भी है। (हंसी)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

जिनकी कद्र नहीं है वह कहां जायं जरा यह भी बता दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मैं तो दूसरी बात कह रहा था। मैंने एक पत्र आपकी सेवा में भेजा था और मुझे आशा है कि वह आपको प्राप्त भी हो गया है। मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष--

मैं उसे देख रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

एक निवेदन उसमें यह करना है कि जरा सा आप उस सम्बन्ध में कार्यवाही विभाग से भाषणों की प्रतिलिपियां मंगा लेंगे और देखेंगे कि कितने-कितने मिनट किसको दिये गये हैं। कितने मिनट मुझे दिये गये हैं जबकि कितने लोगों को १५ मिनट, १६ मिनट और २० मिनट दिये गये हैं। तो जिस वक्त उपाध्यक्ष पीठासीन हों उस वक्त इस प्रकार की कार्यवाही हो तो वह मेरे लिये और इस सदन के लिये भी अनुचित होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मुझे एक निवेदन यह करना था कि उपनेता सदन यहां पर उपस्थित हैं। हमने सुना यह है कि ३० तारीख को यह असेम्बली समाप्त हो जायगी और १३ अप्रैल से फिर मिलेगी। तो माननीय उपनेता सदन बता दें कि उन्होंने क्या कार्य-क्रम निश्चित किया है जिससे हम सदस्यों को अपने कार्य-क्रम निश्चित करने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं। सरकार का प्रस्ताव मेरे पास आया है, लेकिन अन्तिम निर्णय तो मुझे करना है सरकार तो केवल अपना प्रस्ताव ही रख सकती है वह मेरे पास आ गया है। मैंने विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित कर लिया है उनसे डिस्कस करके कर लेंगे। वह हो जायगा।

श्री उग्रसेन--

हम तो सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कहते हैं कि जो प्रस्ताव आया है वह गलत है। असेम्बली साल में ९ महीना चले चाहे हमारा भत्ता कम कर दीजिये।

राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन कर के सम्बन्ध में याचिकाएं

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

किन्तु सत्तारूढ़ दल के लोग व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते (हंसी)।

श्री जे० पी० मिश्र--

ठीक है, तो फिर निवेदन ही सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, निवेदन कर दीजिये ।

श्री जे० पी० मिश्र--

आज आइटम्स ५,६,७,८ जो हैं वह पोलिटिकल स्टन्ट है म्युनिसिपल एलेक्शंस के लिये....

श्री अध्यक्ष--

नो, नो, प्लीज ।

श्री जे० पी० मिश्र--

यह कानून पास हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--

मैं मानता हूं । आप बैठ जाइये । यह याचिकायें हैं । मैं स्वयं यह सोच रहा हूं कि याचिका समिति के अधिकारों को और विस्तृत कर दूं ताकि जनसाधारण की आवाज को हमारे सदन में पहुंचने में अधिक से अधिक सुविधा हो। चाहे ये याचिकायें स्टंट हों चाहे कुछ हों, स्टंट भी अगर होगा तो माननीय मिश्र जी, सदन की शोभा यह है कि हम यह दिखला दें और सिद्ध कर दें कि असली वाकया क्या है । तो मैं सोच रहा हूं अगर मुझ में शक्ति होगी तो मैं अपने आदेश से याचिका समिति का क्षेत्र बढ़ा दूंगा और अगर सदन में शक्ति निहित होगी वह देख रहा हूं तो सदन के सामने रख दूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि याचिका समिति की शक्ति का विस्तार हो।

†श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, यह प्रश्न उस समय उठाया गया है जबकि मैं याचिका प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि याचिकायें माननीय सदस्यों के पास जनता की ओर से आती हैं, और वे लोग उनको सदन में उपस्थित करने के लिये भेजते हैं और हम लोग उसको आपके पास भेजते हैं। लेकिन माननीय मिश्र जी कहते हैं कि पोलिटिकल स्टंट है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं ऐसी बात नहीं है मैंने तो कह दिया कि अगर स्टंट भी हो तो ऐसा आब्जेक्शन नहीं किया जा सकता ।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खीरी जिले के श्री कैलाश नाथ तथा अन्य ५०० लोगों की ओर से याचिका उपस्थित करता हूं । वह इस प्रकार है--

आदरणीय सदन,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश भूमि तथा भवन-कर अधिनियम के लागू होने से उत्पन्न अविलम्बनीय लोक महत्व की स्थिति के सम्बन्ध में श्री कैलाशनाथ आदि की याचिका ।

निम्न हस्ताक्षरित याचकगण आदरणीय सदन से निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं--

१--यह कि उत्तर प्रदेश भूमि तथा भवन-कर अधिनियम सरकार द्वारा पारित होकर प्रदेश में लागू किया जा रहा है ।

२--यह कि उक्त कराधान मध्यम वर्ग तथा गरीब जनता पर पड़ रहा है ।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

३---यह कि स्थानीय निकायों द्वारा अधिकांश नगरों में मकानों पर पहले से ही टैक्स लगाया गया है, जो कि मकान मालिक किरायेदारों से वसूल कर रहा है। दुबारा राज्य सरकार द्वारा उसी वर्ग पर उसी मद में दोहरा टैक्स लगाने से देश की गरीब जनता की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक हो रही है।

४---यह कि उक्त टैक्स छादक, झोपड़ी तथा छोटे-छोटे मकानों पर भी लगाया गया है जिससे कि अति गरीब जनता को भी छूट नहीं मिल सकी है।

५---यह कि उक्त टैक्स लगाने से नवीन मकान बनवाने की वृत्ति समाप्त हो जायगी जिससे कि आवास समस्या और भी भयंकर हो जायगी।

६---यह कि यदि उक्त कानून वापस न किया गया तो गरीब जनता को मजबूर होकर बेघरबार होना पड़ेगा।

७---यह कि अनेक बार जनता द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन कर यह मांग की जा चुकी है कि सरकार द्वारा उक्त कानून अविलम्ब वापस लिया जाय। परन्तु उक्त समाज विरोधी कानून सरकार द्वारा वापस न लेने से जनता में घोर उत्तेजना तथा असन्तोष व्याप्त हो रहा है।

८---यह कि यदि शीघ्र ही उक्त कानून वापस न लिया गया तो आवास समस्या इतनी भीषण हो जायगी कि भीषण सर्दी, वर्षा तथा लू में गरीबों के बच्चे बेघर होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिये मजबूर होकर तड़पेंगे। उस दशा में जनता की असन्तोष की सीमा न रह कर प्रदेश में विद्रोहाग्नि भड़क सकती है। अस्तु, हम याचकों की विनम्र प्रार्थना है कि आदरणीय सदन सरकार को यह आदेश दे कि उत्तर प्रदेश भूमि तथा भवन-कर अधिनियम अविलम्ब वापस लिया जाय तथा इसके लिये और भी जो आवश्यक हो वह आदेश दिये जायं।

श्रीमन्, उसी प्रकार की एक दूसरी याचिका भी कानपुर के श्री भोला सिंह तथा अन्य २०६४ लोगों की ओर से है। उसको भी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से फतेहपुर के ४३९ लोगों की ओर से याचिका उपस्थित करता हूं। जो याचिका मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसका विषय वही है जो माननीय राजेश्वर प्रसाद जी ने आपके सामने पढ़ी है।

श्रीमन्, एक चौथी याचिका भी मैं आपके सामने धन्ना आदि हरदोई निवासी १,५७१ लोगों की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। इसका विषय भी वही है।

श्री अध्यक्ष---

ये चारों याचिकायें मैं याचिका समिति को भेजता हूं जो इनके विषय में अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

शिवनन्दन विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूल, छतौनी व नगराम, जिला लखनऊ के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मैंने, नियम ५२ के अन्तर्गत श्री लखी सिंह जी की एक सूचना को स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है---

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

"शिक्षा विभाग तथा अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण छात्रों में असंतोष व्याप्त है चूंकि शिवनन्दन विद्यालय हायर सेकन्डरी स्कूल, छतौनी व नगराम, जिला लखनऊ के छात्रों को जो अनुसूचित जातियों तथा योग्यता के कारण छात्र-वृत्ति के हकदार हैं परन्तु सन् १९६३ से फरवरी, सन् १९६४ तक छात्र-वृत्ति का उन्हें रुपया नहीं दिया गया। महंगाई और अकाल की वजह से इन छात्रों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जब प्रधानाचार्य से अपना रुपया मांगते हैं तो फटकार मिलती है। इससे इस इलाके के हजारों लोगों में अशान्ति और चिन्ता का वातावरण है। इसी तरह से छात्रों में असन्तोष की लहर दौड़ती जा रही है। यदि संभाला न गया तो स्थिति भयंकर रूप ले सकती है।

अस्तु, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं माननीय सम्बन्धित मंत्री जी से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

यह शिक्षा मंत्री जी के पास जायगा और तिथि निश्चित की जायगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक और सूचना नियम ५२ की है जो श्री काशीनाथ जी की है, वह भी मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है।

एक और भी है जो मैंने देखा नहीं है, जब मैं आ रहा था तब वह मिला।

कानपुर की एलगिन मिल नं० १ में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत् उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, गत ७ मार्च को एलगिन मिल्स कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष ने एलगिन मिल नं० १ तथा २ के श्रमिकों को १६,०९,००० रुपये का बोनस देने की घोषणा की थी। इस धनराशि में १०,७३,००० तो वर्ष १९६२-६३ का सामान्य बोनस है तथा ५,३६,००० रुपया शताब्दि बोनस के रूप में दिया जाना है।

यह बताया जाता है कि गत १० मार्च को शाम को ४ बजे एलगिन मिल के विभागों के दस कर्मचारी मिल के टेक्निकल एडवाइजर से मिले और उन से बोनस के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा जो उन्होंने दे दिया। लगता है कि श्रमिक इससे सन्तुष्ट न हुये और ११ मार्च को २ बजे जब कि सबेरे की पाली समाप्त होती है काफी श्रमिकों ने मिल कर मैनेजर के दफ्तर के सामने एकत्रित होकर नारा लगाना प्रारम्भ किया। श्रमिकों ने मिल के अधिकारियों का आना जाना भी बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप मिल मैनेजर तथा अन्य अधिकारी ११ तारीख की रात्रि को अपने दफ्तर से बाहर न जा सके।

टेलीफोन द्वारा सूचना मिलने पर श्रम विभाग के एक संराधन अधिकारी स्थान पर पहुंचे। श्रमिकों ने अभी तक अपनी कोई निश्चित मांग नहीं बतायी थी और न मिल के प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से मालूम था कि उनकी मांगें क्या हैं। संराधन अधिकारी के प्रयत्न करने पर ज्ञात हुआ कि श्रमिकों की मांगें निम्नांकित हैं—

(१) शताब्दि बोनस वेतन के आधार पर न बांटा जाय और मिल के अधिकारियों तथा श्रमिकों को समान रूप से दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) शताब्दि बोनस केवल एलगिन मिल नं० १ के श्रमिकों को तथा मिल नं० २ के केवल उन श्रमिकों को दिया जाय जो मिल नं० १ से स्थानान्तरित किये गये हैं और मिल नं० २ के अन्य श्रमिकों को न दिया जाय ।

(३) साल १९६२-६३ के बोनस की धनराशि निकालने के लिये सूती वस्त्र उद्योग वेतन मंडल द्वारा दिये गये ८ रुपये प्रति मास की वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते के समाविष्ट भाग को भी मूल वेतन का भाग माना जाय ।

(४) वार्षिक बोनस तथा शताब्दि बोनस दोनों का वितरण ३१ मार्च तक कर दिया जाय ।

संराधन अधिकारी ने मिल के प्रबंधकों को श्रमिकों की मांगों से अवगत किया । प्रबंधकों ने बताया कि इन मांगों पर कम्पनी का बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ही कुछ निश्चय कर सकता था जिस में समय लगेगा । तब श्रमिकों से यह कहा गया कि वह मिल के बाहर चले जायं और उन की मांगें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के सामने रखी जायंगी । जिले के अधिकारियों ने भी श्रमिकों को समझाया परन्तु उन का प्रदर्शन जारी रखा रहा और श्रमिक मिल के दफ्तर के चारों ओर बैठ गये । चूंकि स्थिति काफी गम्भीर हो गई थी और सुव्यवस्था का भी प्रश्न था, इसलिये पुलिस का भी प्रबंध किया गया ।

१२ मार्च को सुबह साढ़े दस बजे श्रमिकों ने मिल का चलना बन्द कर दिया और मिल में पूरी हड़ताल हो गई । कानपुर क्षेत्र के उप-श्रमायुक्त सारे दिन मिल में रहे और उन्होंने प्रयत्न किया कि श्रमिक यह आन्दोलन बन्द कर दें । उन्होंने यूनियन के कार्यकर्त्ताओं से भी बातचीत की, परन्तु उन्होंने बतलाया कि यह प्रदर्शन तथा हड़ताल श्रमिकों ने स्वयं की है और उसमें उनका कोई हाथ नहीं है । १२ और १३ मार्च को श्रमिकों की हड़ताल जारी रही तथा काफी संख्या में श्रमिक मिल के भीतर ही बने रहे । १४ मार्च को भी हड़ताल जारी रही । जब मिल के प्रबंधकों ने देखा कि श्रमिकों का आन्दोलन बढ़ रहा है और लोग काम पर आने वाले नहीं हैं तो उन्होंने १४ मार्च को सवा ग्यारह बजे तालाबन्दी शुरू कर दी जो अभी तक चल रही है ।

तालाबन्दी के पश्चात् यह प्रयत्न किया गया कि श्रमिक मिल के बाहर चले जायं, किन्तु वह लोग प्रदर्शन करते रहे । मिल में लगभग ५ लाख रु० की लागत का कपड़ा मशीनों में लगा हुआ था जिसे जल्दी न निकालने से उसके क्षति की सम्भावना थी । मिल के प्रबंधकों ने टेक्नीकल तथा सुपरवाइजरी कर्मचारियों की सहायता से कुछ कपड़ा मशीन में से निकाला । जिले के अधिकारियों के हस्तक्षेप से श्रमिक १५ मार्च को दो बजे मिल से बाहर चले गये ।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है श्रमिकों ने अपनी कोई स्पष्ट लिखित मांग प्रदर्शन करने से पहले नहीं दी थी जिन मांगों का ऊपर उल्लेख किया गया है । पीछे से श्रमिकों ने यह भी मांग की है कि एलगिन मिल के चार अधिकारियों को निकाल दिया जाय । ऐसी व्यवस्था में ताला बन्दी अभी जारी है और स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

राष्ट्रीय संकट के समय इस मिल के बन्द होने से दो लाख रु० प्रति दिन का उत्पादन कम हो रहा है तो सरकार ने अब तब इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

इसमें कोई संदेह नहीं कि हानि हो रही है । सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि यहां पर कोई सम्मानपूर्ण फैसला हो । इसीलिये हमारे श्रमायुक्त और दूसरे अधिकारी संलग्न हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

लाक आउट कर दिया गया है, अतः इसको देखते हुए कि लाक आउट आज तक कायम है और अभी तक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग उन समस्याओं के बारे में जो यूनियन ने मांग की है, नहीं बैठी तो मंत्री जी कोई दबाव मालिकों पर डालेंगे जिससे बैठक करके वेज बोर्ड के फैसले के मुताबिक बोनस दे दें ?

श्री बनारसीदास---

मैं समझता हूं यह प्रश्न बहुत असंगत है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को, जब तक इस बात पर विचार न किया जाय कि मांग क्या है, बोनस देना उचित है कि नहीं, किसी प्रकार से किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी बतायेंगे कि एलिगन मिल नम्बर १ में जो वाद-विवाद खड़ा हो गया है उसका कारण वहां का वेलफेयर अफसर है।

श्री बनारसीदास--

वैलफेयर आफिसर की ड्यूटी प्रबंध के साथ नहीं होती।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न उचित है या नहीं। पर क्या माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न द्वेषपूर्ण और अनर्गल है ?

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बोलते रहेंगे तो कैसे होगा ? यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी को आवेश में नहीं आना चाहिए था। इसलिए ही मैंने रोक दिया था और कहा था कि सेकन्ड भाग जो है उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना यह है कि क्या वेलफेयर आफिसर का हाथ उसके पीछे है ? अतिरिक्त जो पोर्शन प्रश्न का है उसको मैं निकलवा दूंगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि एलगिन मिल में पहले २५ नये पैसे बोनस मिलता था ? मालिकों ने ४ आने से ३, १/२ आने दिया जबकि मुनाफा उनका बढ़ गया था। पूछने पर यह कहा गया कि अब की बार हमने सुरक्षा फंड में बहुत रुपया दिया है। इसलिए ३, १/२ आने ही देंगे। अब वह २२, १/२ नये पैसे से २० नये पैसे कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बोनस का क्या आधार है और इस मामले में हस्तक्षेप कराने की कोशिश करेंगे ताकि मजदूरों को प्रदर्शन करने से रोका जा सके ?

श्री बनारसीदास--

बोनस का आधार जो है वह यह है कि जितना सरप्लस होता है उस सरप्लस का कितना अंश मजदूरों को दिया जाय और साल भर का वेतन वेज कितना है उसी पर बांटा जाता है। यह चार आने भी हो जाता है, उससे कम और उससे अधिक भी हो सकता है। यह बात सही है कि गत साल के अन्दर २२ नये पैसे हुआ। जो बोनस दिया जाता है वह करीब २० न० पै० प्रति व्यक्ति और सेंटीनरी का बोनस जोड़ कर २८, १/४ न० पै० प्रत्येक रुपये के हिसाब से है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उनका बोनस डिक्लेयर हुआ है वह बोनस क्या बोनस कमिश्नर के निर्णय के आधार पर घोषित किया गया है ?

श्री बनारसीदास--

बोनस कमिश्नर की रिपोर्ट यह है कि जितना अवेलेबिल सरप्लस हो उसका ७ प्रतिशत वर्कर्स को दिया जाय और कम से कम ४ प्रतिशत या ४० रुपये दोनों में से जो भी अधिक हो दिया जाय परन्तु २० परसेन्ट दिया जायगा। आज वेज कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार और सेन्टनरी बोनस को लगा कर वेज बोर्ड बोनस की जो रिपोर्ट है उससे भी ज्यादा है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मन्त्री भी वेलफेयर अफसर की . . . . (व्यवधान)

श्री बनारसीदास--

अगर माननीय सदस्य को, जो मजदूरों के बड़े नेता बनते हैं, मालूम होता कि वेलफेयर आफिसर की क्या ड्यूटी है तो यह प्रश्न ही नहीं उठाते। लेबर वेलफेयर आफिसर की ऐसी कोई भी ड्यूटी नहीं है। यह मैनेजमेंट का ही कर्तव्य है। और वहां के जितने मैनेजर तथा आफिसर्स थे उन्होंने पुलिस व डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को उसकी सूचना दी और १२ तारीख को जिला अधिकारियों ने आ कर उनको निकलवा दिया और साढ़े दस बजे तक लाक आउट डिक्लेयर हो गया। वर्कर्स मिल से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। मिल के मैनेजर ने इस बात की आशंका व्यक्त की कि मिल की मशीनरी तथा सम्पत्ति को हानि पहुंचने की आशंका है तो पुलिस फोर्स से मैनेजर ने वर्कर्स को निकलवा दिया, लेकिन कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

श्रमिकों ने स्ट्राइक पर जाने से पहले कोई नोटिस दिया था या नहीं ?

श्री बनारसीदास--

कोई नोटिस श्रमिकों की तरफ से नहीं दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मजदूरों का कहना है कि ७० लाख रुपया मिल ने कमाया और बोनस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक उनको पारसाल का बोनस नहीं मिल रहा है और उस की लिखित सूचना मजदूरों ने मैनेजमेंट को दी थी कि उनकी मांगों पर सोच-विचार करके अपना निर्णय मैनजमेंट मजदूर संघटनों को दे लेकिन मैनजमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की जिससे मजबूर हो कर मजदूरों को यह कदम उठाना पड़ा ? इस स्थिति में स्वयं माननीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करेंगे जब कि ८ दिन से लाक आउट है और ६ हजार मजदूर बेकार पड़ा हुआ है जिससे प्रोडक्शन तथा मजदूरी का नुक्सान हो रहा है ?

श्री बनारसीदास--

इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि नोटिस कोई नहीं दिया गया मांगों के सम्बन्ध में। ७ तारीख को सेंटिनरी का समारोह होने वाला था। ३ तारीख को वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और उन्होंने यह मांग की कि बोनस का नोटिस लगा दिया जाय। मैनजमेंट ने बोनस का नोटिस लगा दिया और उसके बाद ७ तारीख को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने बोनस का फैसला कर दिया।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

क्या बोनस कमीशन की रिपोर्ट सूबे में लागू हो गयी है ?

श्री बनारसीदास---

अभी यह रिपोर्ट लागू नहीं हुई है ।

श्री रक्षपालसिंह---

हर साल बोनस तथा भत्ते का प्रश्न अलग है । सवाल यह है कि शताब्दि समारोह के अवसर पर मेले के प्रबन्धकों ने १६ लाख का बोनस देने की घोषणा की । इस पर मजदूर कहते हैं कि ३४ पैसे के हिसाब से वह लगना चाहिये था जब कि १८ पैसे के हिसाब से लगाया गया है । तो किस हिसाब से मिलना चाहिये इसे माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास---

यह बोनस का सवाल एलगिन नम्बर वन का है । टोटल बोनस का अमाउन्ट ८ लाख ६२ हजार आता है और नार्मली जितने भी वर्कर्स का वेज बिल आता है उसके हिसाब को बिठा कर वह २० पैसे के हिसाब से आता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

यह जो ६ हजार मजदूरों की रोजी का मामला है और इसका प्रभाव उद्योग पर भी पड़ने वाला है तो क्या सरकार तुरन्त अपनी तरफ से एक आदमी को नियुक्त करेगी जो तुरन्त जाकर आन दी स्पाट इंक्वायरी करे और शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान करे ?

श्री बनारसीदास---

श्रमायुक्त इस सम्बन्ध में पूर्णतया सतर्क है और उनसे कहा गया है और उन्होंने पूर्णतया जांच की है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मामले की गंभीरता को देखते हुए और ला एंड आर्डर तथा इमर्जेंसी को सामने रख कर क्या माननीय मुख्य मन्त्री अपने इनिशियेटिव पर इस मामले को समाप्त करने की कोशिश करेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री उग्रसेन---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मिल मालिकों ने लाक आउट करने से पहले श्रम विभाग से कोई हुक्म लिया था ? यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्या वे डी० आई० आर० में मुकदमा चलायेंगे ?

श्री बनारसीदास---

मुकदमा करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । पहली बात यह है कि हड़ताल इल्लीगल है इसलिये सिवाय लाक आउट करने के और कोई चारा नहीं था ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

क्या सरकार बतायेगी कि स्ट्राइक के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

श्री बनारसीदास---

यह तो जाहिर है कि इसके कारण कई लाख रुपये रोज का नुकसान है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने बताया कि ८ लाख के हिसाब से २० नये पैसे बोनस आता है और १६ लाख पर ३४ नये पैसे आता है तो इतना अन्तर क्यों है ?

श्री बनारसीदास--

ऐसा नहीं है। मैंने अर्ज किया कि नारमल बोनस में २० नये पैसे आते हैं और सैंटीनरी के हिसाब से २८ नये पैसे आते हैं। उसका हिसाब अलग है। ३४ पैसे तो किसी हिसाब से नहीं आते हैं।

श्री बृजभूषणशरण--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछली साल कितना सरप्लस अवेलेबिल था और इस साल कितना है ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन् १९६१-६२ में १७ लाख था और जो बांटा जा रहा है वह ५० लाख है।

श्री चन्द्रजीत यादव--

जब से स्ट्राइक और लाक आउट हुआ है तब से आपने या श्रमायुक्त ने दोनों की मीटिंग करके समस्या के समाधान की कोशिश की है और क्या आपका प्रस्ताव है ?

श्री बनारसीदास--

शुरू में कठिनाई यह रही कि जितने भी मजदूर नेता थे उनको भी मानने से उन्होंने इंकार किया। स्वयं उन्होंने ऐक्शन कमेटी बनाई और यह कहा कि स्ट्राइक की हमारी जिम्मेदारी नहीं है और एक हुल्लड़बाजी की। मजदूर नेताओं की वजह से शान्ति रही, उन्होंने समझा बुझाकर मिल से निकाला जिससे झगड़ा न हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, हड़ताल को इल्लीगल बताकर लाक आउट किया गया है जिससे वे मजदूरों की जनरल छटनी कर सकें तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वे श्रम विभाग के किसी अधिकारी से समझौता करायें जिससे इमर्जेंसी के समय में छटनी न हो ?

श्री बनारसीदास--

मैं नहीं समझता कि छटनी करने का कोई षडयंत्र है। जहां तक स्ट्राइक का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि वह इल्लीगल है, मेरी मजदूर नेताओं से भी बातचीत हुई। लाक आउट के लिये मिलमालिकों ने अपनी मजबूरी जाहिर की और उनको इजाजत दी गई। लाक आउट करने से किसी को विक्टीमाइज करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अगर कानून के अनुसार कोई दोषी है तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी और हम चाहते हैं कि सब लोगों के माध्यम से इसका फैसला शीघ्र से शीघ्र हो और जल्दी ही कोई न कोई रास्ता निकलेगा कि यह समाप्त हो।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४३--लेखन-सामग्री और मुद्रण

श्री अध्यक्ष--

अब १९६४-६५ के आय-व्ययक पर मतदान होगा। अगर सदन की इजाजत हो तो जिन पर विवाद नहीं होना है उनको पहले पेश कर दिया जाय।

गृह उप-मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,७५,१५,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३---लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,७५,१५,-४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८---औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८---औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,४१,४९,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,४१,४९,६०० रुपये की मांग वितीय वर्ष १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४---उद्योग

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४---उद्योग के अन्तर्गत ११,४९,३९,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहने की विस्तृत रूप से बहुत आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि-प्रधान प्रदेश रहा है और सदैव से यहां के निवासी अपने जीवन-यापन के लिए खेती के ऊपर ही निर्भर रहे । अतएव आबादी जब बढ़ रही हो, फीकस जमीन हर काश्तकार के पास कम होती चली जा रही हो और खेती से पैदावार की भी एक सीमा है, उस के बाद खेती से पैदावार भी दैवी आपदाओं के कारण कम हो रही हो, जब ईश्वर भी पक्ष में हो, किसान पूरी मेहनत करले सब साधन उपलब्ध हों तब कहीं खेती की पैदावार पूरी किसान के घर में आ सकती है । और यह भी मानकर चला जाय कि सभी वातावरण अनुकूल हो जाय और किसान की पैदावार घर में पहुंच जाय, फिर भी सात करोड़ से ऊपर इस प्रदेश की आबादी को खेती से जीवन के सब अंगों के विकास के लिए पर्याप्त धन मिल जाय, ऐसा बहुत कठिन है । अतएव अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सभी सदस्य और सभी विचारक जो प्रदेश के भलाई की बात सोचते हैं इस बात पर चिन्तायुक्त हैं, उनको तकलीफ है कि आखिर इस गरीबी को, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये और जिनके पास पूरा काम नहीं है उनको काम देने के लिये जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये क्या किया जाय ? एक ही जवाब मिलता है इसका और वह यह है उद्योगीकरण । यदि प्रदेश में हमने उद्योग नहीं बढ़ाया तो हम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा कर नहीं सकेंगे, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक चीजों की सुविधायें दे नहीं सकेंगे । श्रीमन्, हर एक में ही तो पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा मिलेगा कहां से ? पैसा केवल उत्पादन में है । उत्पादन ही देश का सच्चा धन है और उत्पादन जब तक हम नहीं

बढ़ायेंगे जो केवल उद्योग धंधों से बढ़ सकता है, तब तक हम प्रदेश की उन्नति कर नहीं सकते, इस देश का माल और देशों के मुकाबिले बढ़ा नहीं सकते। अतएव आज काम नहीं चलेगा हमारे यह दोषारोपण करने से कि उद्योगीकरण में किसका दोष है, कौन नहीं होने देता। आज काम चलेगा हमारे सब के बैठकर सोच कर विचार कर उन तरीकों के निकालने से जिनसे उद्योगीकरण हो सके। मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय विस्तार में जाकर नहीं लेना चाहता। मैं अपने को लाभान्वित करूंगा उनके विचारों से क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा अनुभव भी है, वह अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और वह अच्छे सुझाव दे सकते हैं। उनके दिल में भी प्रदेश के लिये उतनी ही पीड़ा और दुख है जितनी हम लोगों को है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आज आप के समक्ष इस मद में ११,४९,३९,३०० रुपये की मांग उपस्थित कर रहा हूं। इसके अन्दर मुख्य मदें भी शामिल हैं जिनका मैं वर्णन करना चाहता हूं। इसमें ६,५९,९०० रुपये जियालाजिकल सर्वे और उससे सम्बन्धित कार्यों के लिये रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य इस उद्योग की दिशा में किया जा रहा है कि खनिज पदार्थों का सर्वे करके, जो हमारी उद्योगी वस्तुएं छिपी हुई हैं, उनको बाहर निकाला जाय, जिससे हमारे प्रदेश का धन और दौलत बढ़े। उसके लिये इतनी रकम रखी गई है जो मैंने अभी बतलाई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये, ग्रान्ट-इन-एड के लिये, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये और खादी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिये ८,८३,१८,७०० रुपये रखे गये हैं। इसी तरह से प्लान्ड आइटम के लिये २,५९,६०,७०० रुपया रखा गया है, जिसे मिलाकर यह कुल धनराशि ११,४९,३९,३०० रुपये हो जाती है। जैसा मैंने पहले कहा था, यह सभी के लिये चिन्ता का विषय है कि प्रदेश का उद्योगीकरण हो। अतएव मैं आप की इजाजत से माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे इंडस्ट्री विभाग का बजट इन सब मदों को मिलाकर ८ करोड़ रुपया के लगभग था। आज वह बढ़कर १६ करोड़ हो गया है इसलिये कि प्रदेशीय सरकार यह चाहती थी कि उन मदों में ज्यादा रुपया रखा जाय लेकिन अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत केवल हम उतने ही रुपये का प्राविधान कर पाये। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेशीय सरकार इतने रुपये के रखने से ही सन्तुष्ट नहीं है। उसकी इच्छा थी कि और अधिक रुपया रखते और इस ओर अधिक विकास कर सकते किन्तु यह हमको अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत ही करना पड़ रहा है। इस मद में गत वर्ष से केवल हम ६९,३१,१०० रुपये ज्यादा मांग रहे हैं। इस मद में प्लान्ड और नान-प्लान्ड आइटम दोनों हैं। नान-प्लान्ड की मद में १०,४९,००० रुपया हम ज्यादा मांग रहे हैं जिसमें ३ लाख रुपया वह भी सम्मिलित है जो गवर्नमेन्ट प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी के लिये कच्चा माल खरीदने के लिये है और १० लाख रुपया एक्साइज ड्यूटी जो सीमेन्ट चुर्क फैक्टरी को १९६४–६५ में देना है, इसके लिये रखा गया है।

प्लान्ड आइटम के लिये ३,०४,२०० रुपया डेवलपमेंट, अनुसन्धान और सज्जा के लिये रखा गया है। १६,४५,९०० रुपया इंडस्ट्री की तरक्की के लिये रखा गया है जिसमें २.७५५ लाख रुपया एच.बी.टी.आई. के सामान के लिये, ९.२०० लाख रुपया मुरादाबाद, गोंडा, बस्ती और श्रीनगर में पोलिटेकनिक के लिये रखा गया है जो सज्जा खरीदने के काम में आयगा। ०.७६७ लाख रुपया मिर्जापुर में पोलिटेकनिक के लिये रखा गया है। ४४,४५,६०० रुपया कुल रखा गया है जिसमें १० लाख रुपया ५६ सेन्टर को रिआर्गनाइज करने के लिये रखा गया है और ४२ सेन्टर और बढ़ाये जायंगे जो कि प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर हैं। २० लाख रुपया देहाती क्षेत्र में उद्योगों की वृद्धि के लिये रखा गया है। २,३८,१०० रुपया हैंडीक्राफ्ट को बाजार में रखने के लिये और निर्यात बढ़ाने के लिये रखा गया है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि आज विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है और विदेशी कर्जा लेने की भी सीमा है। विदेशी कर्जा साहूकारी को देखकर देते हैं। अतएव कर्जे के ऊपर निर्भर हम सदैव नहीं रह सकते। हमको अपने टांगों पर अवश्य खड़ा होना होगा, इसलिये आवश्यक है (व्यवधान) मुझे दुख है कि माननीय सदस्य को किसी शब्द से तकलीफ हो गयी। अध्यक्ष

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

महोदय, ४४ लाख ४५ हजार रुपया हमने इन मदों के लिये रखा है और २ लाख ३८ हजार रुपया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिये रखा है। हम अपने यहां से अच्छा सामान बना कर विदेश भेजेंगे ताकि अधिक से अधिक धन वहां से प्राप्त किया जासके। मुरादाबाद में ४ लाख ५२ हजार रुपया एलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिये और कटलरी स्कीम के लिये ५२ हजार रुपया रखा गया है। पीतल के काम के लिये ८२ हजार ७०० रुपया रखा गया है और बाकी रुपया सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई तनख्वाहों और इंक्रीमेंट आदि के लिये है। यह मैंने निवेदन किया कि ११ करोड़ रुपया किन-किन मदों पर खर्च किया जायगा, लेकिन यह भी आवश्यक है कि मैं कुछ उद्योगों की चर्चा कर दूं जो इस प्रदेश में खुले हैं या खुलने वाले हैं। इन उद्योगों को कई विभागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले वह बड़े उद्योग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में खोले गये हैं। प्रथम योजना में कुल ६५ यूनिटों को लाइसेंस मिला जिनमें से ५१ ने कार्य प्रारम्भ किया। दूसरी योजना में १९३ यूनिटों को लाइसेंस दिये गये जिनमें से १३५ ने कार्य आरम्भ किया। तीसरी योजना में १७५ यूनिटों को लाइसेंस दिये गये। जिन उद्योगों को लाइसेंस दिये गये हैं उनमें मुख्य हैं केमिकल्स, बिजली का सामान इस्टील, टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, मिसलेनियस इंजीनियरिंग वर्क्स, अल्मूनियम फैब्रीकेशन, आदि। निजी क्षेत्र में जो कारखाने उत्पादन करने लगे हैं उनमें बड़े हैं साइंटिफिक केमिकल्स, बरेली, ए० सी० एस० आर० फैक्टरी मेरठ, कैल्सियम क्लोराइड फैक्ट्री, ऋषिकेश, शुगर फैक्ट्री, इलाहाबाद। इसके अतिरिक्त बरेली में केंफर फैक्टरी कायम हो गयी है और उसका उत्पादन शीघ्र ही होने वाला है। इन सब उद्योगों की सहायता करने के लिये उत्तर प्रदेश में १९६१ में एक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना की गयी ५ करोड़ की लागत से और उसने ८२ लाख ७५ हजार रुपये के शेयर्स इन कंपनियों के अंडरराइट किये। दूसरे इस कारपोरेशन ने ३६ हजार टन डेड बर्न्ड मैग्नासाइट बनाने के काम का लाइसेंस दिया है। यह जल्दी से जल्दी प्रारंभ करेगा। मिर्जापुर में लाइम वर्क्स का काम इसने अपने हाथ में लिया है, उसको चालू कर रहा है। इसके अलावा गोरखपुर के अन्दर बड़े और मध्यम उद्योगों की स्थापना करने के लिए गाजियाबाद, गोरखपुर, हरिद्वार, बरेली, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर और लखनऊ में ३,३८३ एकड़ जमीन लेने की योजना चालू की है। इसमें से १,६६७ एकड़ भूमि गाजियाबाद और बरेली में ली जा चुकी है। इसमें ९०२ यूनिट स्थापित होंगे। गाजियाबाद में २७ यूनिटों की जमीन दी जा चुकी है जिसमें से १६ इंजीनियरिंग और ३ टैक्सटाइल यूनिट हैं। भारत सरकार द्वारा सारे क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित किये गये हैं वह हैं एंटी बायोटिक फैक्टरी, ऋषिकेश, जो कि १५ करोड़ की लागत से १९६४ में आशा की जाती है कि काम प्रारंभ कर देगी। हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ज्वालापुर ऋषिकेश भी, जो ५० करोड़ की लागत का है, उसको १९६५-६६ में कार्य प्रारंभ करने की आशा है। फरटिलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर, २६ करोड़ की लागत से है, यह जापान के कोलेबोरेशन से बनी है और १९६५-६६ में कार्य प्रारंभ कर देगी। दूसरी लोकोमोटिव फैक्टरी वाराणसी में १०० करोड़ की लागत से बन रही है और इसके काम में प्रगति हो रही है। श्रीमन्, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि सैंगरौली कोलफील्ड, मिर्जापुर जो नेशनल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की सहायता से १० करोड़ की लागत से चालू किया गया है, उससे १९६५ में कोयला उपलब्ध होना शुरू हो जायगा। जैसा माननीय सदस्यों को विदित होगा, कोयले की कमी हमारे समक्ष अक्सर आ खड़ी हो जाती है। माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी होगी कि पहले के मुकाबले में अभी अन्य कच्चे माल की बहुत कमी है, लेकिन कोयले की कमी काफी मात्रा में उत्पन्न हो गयी है। आशा की जाती है कि कोयले की कमी के कारण किसी कारखाने का उत्पादन बन्द नहीं होने देंगे।

इतने बड़े उद्योग लगाने के बाद ऐन्सीलियरी इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, जो उन बड़े उद्योगों के लिए वस्तुओं का निर्माण करेंगे, अवश्य बनते हैं। आशा की जाती है कि ये छोटे उद्योग इतने बढ़ कर हो जायेंगे कि उत्पादन प्रदेश का काफी मात्रा में होगा।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं और स्पष्ट यहां कर देना चाहता हूं कि यूनिटों की स्थापना के संबंध में जहां तक उनकी संख्या का सवाल है हमारे यहां साढ़े छः हजार के करीब यूनिट स्थापित हो चुके हैं जो अगर अपनी क्षमता से पूरे २४ घंटे चल सकें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्पादन तिगुना और चौगुना हो सकता है। यह दुःख की बात ह कि कोशिश के उपरान्त भी हम उत्पादन की समस्या को हल नहीं कर पाये। दोष किसी दूसरे पर थोपने से काम चलने वाला नहीं है। मैं इसको, अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष मानने में अपनी कोई बेइज्जती नहीं मानता कि प्रयास करने के बावजूद भी हम कच्चा माल उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। इसमें सब से बड़ा दोष मैं अपना ही मानता हूं क्योंकि कार्य का संचालन हमें करना है। जनता खेती पर निर्भर करती है, उसको कोई अनुभव उद्योग-धंधों का नहीं था, जानकारी कम और अनुभव भी कम। हमारा भी अनुभव कम और जानकारी कम। इस कारण से औद्योगीकरण में आशातीत प्रगति और सफलता हो नहीं पायी। इसलिय, अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को भी हमने अभी आदेश दिये हैं कि उद्योग चलाने के लिये जो भी उद्योगपति प्रार्थना-पत्र लेकर उनके पास आय उनक साथ बहुत ही हमदर्दी क साथ वर्ताव किया जाय, उनकी अर्जी का निबटारा जल्दी से जल्दी किया जाय क्योंकि अगर एसा नहीं होगा तो उद्योग चलाने वाले निराश हो जायेंगे और उनके रुपये का सर्कूलेशन भी रुक जायेगा। इसलिये ऐसे आदेश दिये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर उनके सामने ऐसी कोई शिकायत आये जिसमें जिला लेविल पर कोई देरी की गयी हो तो वे सरकार की नोटिस में उसको लायें। अब यह आदेश है कि जिला लेविल पर कोई भी प्रार्थना-पत्र जो कर्ज के लिये हो, उसमें ३ महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये और अगर उसमें किसी वजह से देरी लग जाये तो वे सरकार को नोटिस में उसे लाये। उसमें सरकार संबंधित अधिकारियों को तो दंड देगी ही, साथ में इस बात की कोशिश करेगी कि रुपया लोगों को जल्दी मिल जाय।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में भी कुछ फैक्ट्री चलाई हैं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी काफी अर्से से चल रही है। उसकी उत्पादन क्षमता को अब काफी बढ़ा दिया गया है। इसमें २९८ लाख रुपये के लगभग का एक दूसरा प्लांट लगाया गया है, जिससे अब उत्पादन बढ़ कर करीब २ लाख ३५ हजार टन हो जायेगा। इसमें एक और फैक्टरी खोली जा रही है जो उस ईंट को बनायेगी जो ग्लास फैक्टरी की भट्ठी में काम आती है। ९ करोड़ की लागत की एक और सीमेंन्ट फैक्टरी खोली जा रही है। इसके लिये जमीन आदि का प्रबन्ध भी कर लिया गया है। यह फैक्टरी जल्दी ही खुल जायेगी।

दूसरी हमारे यहां गवर्नमेन्ट प्रसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी लगी हुई है। यह भी पब्लिक सेक्टर में है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बतलाते हुये बड़ा हर्ष है कि इसका उत्पादन हर साल बढ़ता जा रहा है। सन् १९६१–६२ में इसमें लगभग ११ लाख का मुनाफा था, १९६२–६३ में वह लगभग २३ लाख के हुआ और १९६३– ६४ में लगभग २४ लाख के होने का अनुमान है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जो रिपोर्ट मिली है उसमें सन् १९६१–६२ में ५.३४ लाख का मुनाफा है।

श्री अध्यक्ष—

वह आप अपने भाषण में बतलायें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं उसको देख लूंगा, गलती होगी तो बता दूंगा। लेकिन यह सही है कि हर साल इसमें मुनाफा हो रहा है।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी की स्थापना भी की जा रही है। दूसरे देशों से बातचीत चल रही है क्योंकि अनुभव की आवश्यकता है। जैसे ही तय हो जायगा इसको भी चालू किया जायगा।

एक सेन्ट्रल डिजाइन-कम-रिसर्च सेन्टर ६३-६४ में स्थापित कर दिया गया था और वह काम कर रहा है।

विभूति ग्लास फैक्टरी भी पबलिक सेक्टर में उत्तर प्रदेश का काम है जिसके अन्दर वाराणसी में कांच की शीशियां बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें मई सन् १९६१ से मार्च सन् १९६३ तक २ लाख रुपये के लगभग का मुनाफा हुआ था। अब ६३-६४ में ३ लाख रुपये का लाभ एक ही वर्ष में होने की सम्भावना है। काम सुचारु रूप से चल रहा है।

ऐंटी-बायोटिक फैक्टरी जो ऋषिकेश में बन रही है उसके द्वारा पेंसलिन बाइल बनाने की योजना विचाराधीन है।

जैसा मैं कह रहा था, खनिज पदार्थों का भी महत्व है। इसके लिये माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स बना दिये गये हैं। अब तक यह रूल्स नहीं बने थे और इस कारण सरकार को हानि होती थी। जिसकी मर्जी होती थी, कुछ जमींदार थे पुराने और कुछ नये लोग उसका इस्तेमाल करते थे और खनिज पदार्थ ले जाते थे। अब रेगुलेट कर दिया गया है। सरकार को भी आमदनी बढ़ जायगी और खनिज पदार्थों पर भी सरकार का कंट्रोल हो जायगा।

श्रीमन्, जो उत्तर प्रदेश की प्रधान इंडस्ट्री है वह चीनी की है। उसका बहुत बड़ा महत्व है। अब भारत सरकार ने यह निश्चय कर दिया है कि व्यक्ति विशेष को शुगर फैक्टरी के लिये नये लाइसेंस नहीं देंगे। ३ कोआपरेटिव शुगर मिल्स के लाइसेंस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिले थे वे अब चालू हो गये हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बाजपुर, नैनीताल और बागपत, मेरठ में जो शुगर फैक्टरियां हैं उनमें जो चीनी बन रही है वह बहुत अच्छी क्वालिटी की है और उसकी मांग दिल्ली और गुजरात में काफी है। ९ प्रार्थना-पत्र ऐसी कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज खोलने के लिये भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। जो शुगर फैक्टरियां ऐसी हैं जिनका उत्पादन कम है और जिनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है उनके प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को सिफारिश करके भेज दिये हैं और आशा की जाती है कि उत्तर प्रदेश को वह स्वीकृति जल्द मिल जायगी।

शुगर फैक्टरियों का उत्पादन ६२-६३ में करीब साढ़े ८ लाख टन था। अब ६३-६४ में लगभग साढ़े ११ लाख की आशा की जा रही है।

श्रीमन्, मैंने चर्चा की अभी तक बड़े उद्योग धंधों की। जैसी हालत उत्तर प्रदेश की है उसमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का ही अधिक महत्व है, बड़े उद्योग धंधों का नहीं। कारण उसका यह है छोटी पूंजी वाले, कम अनुभव वाले, लोग उद्योग में अधिक अपनी शक्ति का उपयोग कर सकें। हमारे यहां जनशक्ति की कमी तो है नहीं। इसलिये सबसे अच्छा उपयोग उनका स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ही हो सकता है और इसलिये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा महत्व है। उसको पहले और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लेकिन, श्रीमन्, मुझे यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं है---चाहे आप इसको मेरी गलती समझें या कभी समझें, लेकिन यह सही है कि कच्चा माल हमें बहुत कम मिला है। श्रीमन्, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े इस संबंध में प्रस्तुत करता हूं। लोहे इस्पात का जो कोटा हमें मिलता है वह ११,२५० टन और इम्पोर्टेड लोहे और इस्पात का है ४८.२६८ लाख टन, तांबा १२६४ टन, कैम्फर ११ हजार १ सौ किलोग्राम और शीशा २३ टन, कोयला ३९५७८ वैगन्स और पिग आयरन २७,३३६

वैगन्स। अधिक समय मैं माननीय सदस्यों का अब नहीं लेना चाहता, लेकिन वह हमारी आवश्यकताओं का किसी किसी चीज में दसवां भाग भी नहीं है। पिग आयरन हमें २७,३३६ टन मिलता है, लेकिन हमारी आवश्यकता है २,७३,००० टन। जब हमें कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो हमारे छोटे-छोटे यूनिट्स कैसे उतना काम कर पायेंगे ? अतः हम आपके सहयोग से भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और अपने पक्ष को उनके सामने रख कर कोटा बढ़ाने की प्रार्थना कर रहे हैं। कोटा कम मिलने का अभी तक एक कारण यह भी था कि पहले हमारे प्रदेश में बिजली की बहुत कमी थी। जिन प्रदेशों ने कहा कि बिजली हमारे पास है उनको छोटे उद्योगों को लगाने के लिये भारत सरकार ने कोटा दे दिया, लेकिन खुशी की बात है कि अब हमारे प्रदेश में भी बिजली मिलने में उतनी कठिनाई नहीं रही है, बल्कि अधिक सुविधा मिलने लगी है। हमने कारखानों के लिये बिजली देने का अधिकार, खास तौर से इन्डस्ट्रियल स्टेट्स के लिये, एडीशनल डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज को दे दिया है। अब उद्योग-पतियों को सरकार के पास न आकर उन्हीं से बिजली की मंजूरी मिल जाया करेगी।

इसके अलावा पावर सब्सिडी भी दी गयी है। जहां पर बिजली की दरें इन्डस्ट्रीज के लिये ९ न० पै० से अधिक हैं, वहां पर बिजली की दरों में भी सहायता दी गयी है। इसके अलावा छोटे उद्योगों को इस वर्ष ७८ लाख रुपया कर्ज और सहायता के रूप में दिया गया है। खास तौर से छोटे-छोटे उद्योगवालों को तब तकलीफ होती है जब कि उनको कर्जा मिलने में देरी होती है। इसके लिये जिला लेविल पर कमेटी बना दी गयी है जिनको ५ हजार से दस हजार तक कर्जा देने का अधिकार दे दिया गया है। यह कमिश्नर फंड का रुपया कहलाता है और इसको जिला इन्डस्ट्रीज कमेटी देती है। १५ हजार तक का रुपया यू० पी० लोन्स एन्ड ग्रान्ट्स कमेटी देती है। १५ हजार से १ लाख तक का कर्जा इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन बतौर एजेन्ट के, जांच करके उचित जमानत लेकर देता है।

उत्पादन के साथ इस बात की आवश्यकता है कि जो माल बने उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आजकल कम्पीटीशन के जमाने में, जबकि हमें माल विदेशों को भी भेजना पड़ता है, क्वालिटी के अच्छा होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिये हमने क्वालिटी मार्किंग स्कीम को चालू किया है। इसमें पहले जहां हमने ८ लाख रुपये का माल क्वालिटी मार्क किया था, सन् १९६३–६४ में २० लाख रुपये का माल क्वालिटी मार्क किया।

जहां तक इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स का ताल्लुक है, हर जिले में हम कम से कम एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम करना चाहते हैं। इनकी स्थापना से कम पूंजीवालों को सबसे अधिक सुविधा होगी, क्योंकि वे पूंजी नहीं लगा सकते, कारखाना नहीं बनवा सकते, लेकिन योग्य हैं, काम चला सकते हैं। इसके लिये हम इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना कर रहे हैं। १९१ यूनिट्स में अब तक काम शुरू भी हो गया है और इसमें काफी श्रमिकों को काम मिला है, इनकी उत्पादन की क्षमता १ करोड़ ६४ लाख के करीब है और यह ६ मास में ४५ लाख के करीब कर चुकी हैं। इसके अलावा १० इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव एस्टेट्स भी बनाई गई हैं, उनका कानपुर और हापुड़ में काम चालू हो गया है और बाकी स्थानों पर काम चालू होना है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय सदस्य कानपुर से भी आते हैं, उनसे कि हमारी सबसे बड़ी कठिनाई छत पाटने की है, हमें ए० सी० और जी० सी० शीट्स नहीं मिल रही हैं। सीमेंट की चादरें भी इमर्जेन्सी के आने के कारण और चीन के हमले के फलस्वरूप डिफेंस परपजेज में जाने के कारण नहीं मिल सकी हैं और जी० सी० शीट्स का बड़ा भाग उस काम में चला जाता है और बहुत थोड़ा सा उपलब्ध होता है जो हमारी आवश्यकता को देखते हुये कतई नाकाफी है। भारत सरकार से इस संबंध में हमने प्रार्थना की है कि इंस्ट्रीयल एस्टेट्स और कारखानों के लिये कुछ एडहाक कोटा ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही हमारी जरूरत को देख कर दिया जाय।

हैंडीक्राफ्ट के लिये भी हमने एक सेन्ट्रल डिजाइन सेन्टर बनाया है जो तरह तरह के डिजाइन बनाता है जो दूसरे देशों के खरीदारों को आकर्षित कर सकें। १६३ नये डिजाइन

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

बनाये गये हैं। ६२--६३ में प्रदेश से साढ़े ३ करोड़ का माल एक्सपोर्ट हुआ जबकि ६१–६२ में केवल डेढ़ करोड़ के करीब ही हुआ था। जब देश को पिछले हमले के फलस्वरूप डिफेंस की आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी हमारा प्रदेश पीछे नहीं रहा। हमने ६३–६४ में साढ़े ५ करोड़ का सामान बनाया।

इसके अतिरिक्त ग्राम उद्योगों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डिफेंस के लिये और सुरक्षा के काम के लिये सिपाहियों के इस्तेमाल के लिये कम्बल चाहियें। हमारे यहां ५ सेन्टर कम्बल बनाने का काम करते हैं, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, गोपीगंज और गोरखपुर। इनके द्वारा हम ७५ हजार कम्बल सप्लाई कर सकेंगे और आशा है कि यदि हमारे ३० स्पिनिंग सेन्टर्स कायम हो सके तो १ लाख कम्बल प्रति वर्ष के हिसाब से हम फौज को दे सकेंगे।

रूरल प्रोजेक्ट्स के काम को भी हाथ में लिया गया है, इस संबंध में सर्वे हो चुका है। टेक्निकल-नो-हाऊ और लोन आदि की सहूलियत, यह सब चीजें देखी जा चुकी हैं और काफी स्थानों पर यह काम जल्द आरम्भ कर दिया जायगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में १.३७ लाख रुपया एलाट किया गया है। जो हमारे अविकसित क्षेत्र हैं, जो एकनामिकली डिप्रेस्ड हैं जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, जिनको पिछड़ा क्षेत्र कहते हैं, उनको इस प्रकार से सहायता की जायगी। पूर्वी जिलों के लिये ४११.८८३ लाख, पहाड़ी क्षेत्रों के लिये १४७.००२ लाख, बुन्देलखंड के लिये ३९.२ लाख रुपये का वितरण किया गया है।

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था, मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय न लूंगा क्योंकि जो विचार और सुझाव माननीय सदस्य देंगे उनसे मैं लाभ उठाना चाहता हूं। इस संबंध में मैंने कुछ साहित्य बटवाने की चेष्टा की है, वह माननीय सदस्यों को मिल गया होगा, यदि कुछ देरी हुई है तो उसका मुझे खेद है। मुझे आशा है कि जो अनुदान मैंने प्रस्तुत किया है उसे सदन स्वीकार करेगा।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८----उद्योग के अधीन मांग की राशि को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य है, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो भाषण दिया उससे मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसे उद्योग विभाग ऐक्सपेरीमेंट करने वाला विभाग है। उन्होंने कहा मेरी भी गलती है, विभाग की भी गलती है, सब गलती ही बतायीं और १००, २०० करोड़ रुपया जो अब तक खर्च किया गया उसके बारे में यह नहीं बताया कि अच्छी तरह से उसका उपयोग हुआ है या नहीं। मेरी विशेष रुचि उस प्रश्न से हुई। मंत्री जी ने अभी प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वह द्वितीय और प्रथम योजना काल में जो यूनिटें कर पाये हैं वह ५० फीसदी से ज्यादा नहीं। तृतीय योजना में कहा कि १७५ लाइसेंस इनको प्राप्त हुए लेकिन कितने उसमें से चालू हुए यह नहीं बताया। मैं बताऊं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि उनको १५४ लाइसेंस प्राप्त हुए, उसमें खारिजों की संख्या नहीं बतायी। २५ लाइसेंस भारत सरकार ने खारिज कर दिये। खारिज उन्होंने इसलिये कर दिये कि हमारी सरकार उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं कर सकी क्योंकि १, २ लाइसेंस को इसलिये जानता हूं कि वह खारिज होने वाले हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही है। उन्होंने कहा कि ८४ लाइसेंस को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई। तृतीय योजना काल के तीसरे चरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई और १८ लाइसेंस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कार्यान्वित करने के लिये अभी कार्य आरम्भ होना शेष है। तो २५ खत्म हो गये, १८ में कार्यवाही करना शेष है। इस तरह ४३ निकल गये और ८४ में अब प्रारम्भ हुआ है तीन वर्षों के बाद ६ लाइसेंस जो पहले स्थापित हो गये थे कारखानों के संचालन के लिये उनमें से ४ में उत्पादन हो रहा है और २ में शीघ्र उत्पादन होने की आशा है। तो तीन साल के प्रयत्न का नतीजा यह हुआ कि ४ में उत्पादन हो रहा है १७५ में से और इस पर मंत्री जी सिद्ध करना चाहते हैं जैसे उनसे कोई गलती नहीं हुई है। आज जिस प्रकार सरकार का नियंत्रण है कोई आदमी कितना भी रुपया अपने पास रखते हुए एक भी छोटा-सा उद्योग नहीं चला सकता। सरकार रा-मैटीरियल देती है, लाइसेंस देती है, तय करती है सड़क के किनारे लगे या भीतर लगे, किस औद्योगिक स्थान पर लगना है। उसके बाद लाइसेंस ही नहीं देंगे। सरकार निश्चय करती है कि आटा पीसने वाली मिल को कितना गेहूं मिलेगा, गन्ने का रिजरवेशन कैसे होगा, सरकार सहकारी मिलों को बढ़ाने के लिये दे देगी और भुवनेश्वर में घोषणा कर चुकी है कि चावल मिलें हम लेना चाहते हैं। इस नीति से हर आदमी इतना भयभीत है कि कुछ कर नहीं पा रहा है। निश्चित योजना सरकार की औद्योगीकरण की नहीं है। ५०,००० रु० लगा हुआ है, ४ वर्ष बाद सरकार कहती है इस योजना को समाप्त कर दो। ऐसी हालत में उद्योग कैसे बढ़ेगा ? सोच रहा था इस पर मंत्री कुछ प्रकाश डालेंगे, पर नहीं डाला। उद्योग मंत्री इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। माननीय गुप्त जी ने बड़े बड़े और छोटे छोटे उद्योगों को, फूल सिंह जी ने, संभाला था तो दो साल में वे बदल गये। यही नहीं, साथ साथ अधिकारी भी बदल गये। जो इस विभाग के सेक्रेटरी थे और जो उद्योग निदेशक थे वे भी बदल गये। बताया जाता है कि यह गल्ती हुई वह गल्ती हुई। चौ० चरण सिंह जी ने जब भाषण कर रहे थे तो थोड़ा सा संकेत किया था कि एग्री-कल्चर प्रोडक्शन की भी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री ने स्वयं अपने ऊपर ले ली है; तो मैंने जब दूबारा कहा तो कृषि मंत्री जी वहां से बदल गये। कृषि मंत्री जी ने स्वयं कहा कि जो योजनाएं हैं हम उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ हैं। उद्योग मंत्री कुछ नहीं कर सकते तो फिर, अध्यक्ष महोदय, आप ही बताने की कृपा करें कि इस प्रदेश का उत्साही नवयुवक किस मंत्री के पास पहुंचे। सरकार के किस मंत्री से पूछें कि उसे क्या करना है।

माननीय अध्यक्ष, हमारे सामने दो लक्ष्य हैं। एक तो यह है कि प्रदेश का उत्पादन बढ़े और अगर उत्पादन नहीं बढ़ता तो हम किस प्रकार प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करें। पर जब हम सरकार के पास आते हैं तो कोई योजना हमारे सामने नहीं रखी जाती। दो योजनाएं २–३ साल हुए चालू की गयी थीं। उनको देखने की कोशिश मैंने की पर वह नहीं मिलीं। इस वर्ष के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के पृष्ठ २०५ पर बेरोजगारी दूर करने की जो योजनाएं प्रारम्भ की हैं उसमें ४–५ हैं जिनमें एक राजकीय सिलाई केन्द्र, लखनऊ में खोली, दूसरी राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर में, तीसरी राजकीय बहुधंधी संस्था, लखनऊ में जिसमें २०० नवयुवकों को वे बेरोजगारी दूर करने के लिये उनको शिक्षा देने की व्यवस्था कायम करने वाले थे। इसके साथ साथ राजकीय चर्म-कर्म विद्यालय कानपुर में और राजकीय बरेली काष्ठ कला संस्थान आदि में इस वर्ष उतनी भी ग्रान्ट नहीं है कि जिसमें उद्योग विभाग की मैज पोश भी बदल सकें। राजकीय सिलाई केन्द्र में जिस प्रकार रुपये की कमी है उससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार सरकार इस तरह उपेक्षा करती है। ६ लाख रुपये में से खनिज पदार्थ के स्थलों का सर्वेक्षण करेंगे। वे इन योजनाओं को तो चलायेंगे जिनसे २–३ साल में लाभ होने वाला है। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल दो प्रकार के उद्योग निजी क्षेत्र में लगे हुए हैं और दूसरे वे हैं जो सरकारी क्षेत्र में लगे हुए हैं। १० करोड़ की पूंजी है वह सीमेंट फैक्टरी चुर्क में। दूसरी ९ करोड़ की लगने वाली है। उससे बड़ा उद्योग हमारी सरकार के पास नहीं है। मैंने १९५४–५५ से १९६१–६२ तक के आंकड़ों को देखा और १९६१–६२ और १९६२–६३ के आंकड़ों को भी देखा। शुरू से लेकर और १९६१–६२ से माइनस प्लस की संख्या दी गयी थी। एक लाख ४९ हजार कुल मुनाफा हुआ था १०

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

करोड़ रुपये लगाकर। इस संबंध में यह बताना भी आवश्यक है कि ४ करोड़ की योजना चलाकर १,४९,९४४ रुपये का मुनाफा चुर्क सीमेंट फैक्टरी में से हुआ जबकि उसके लिये रा-मैटिरियल कहीं विदेश से नहीं आता है। सरकार को रा-मैटीरियल करीब-करीब ऐसे ही मिल जाता है और उसकी प्राप्ति के बाद सरकार ने इस उद्योग को चलाया लेकिन मूल्यों में सीमेंट के इस कदर वृद्धि हुई है कि जिसकी कोई इन्तिहा नहीं। वहां कभी मजदूर हड़ताल कर देता है, कभी फैक्टरी बन्द हो जाती है और इस तरह सरकार राष्ट्रीयकरण की ओर जा रही है। गन्ना मिलें, चावल मिलें सरकार ले लेगी। अब आप समझिये कि तब उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी। एक छोटी सी फैक्टरी तो सरकार से चल नहीं सकती, तो बड़ी-बड़ी योजनाओं को लेकर सरकार क्या करेगी ?

इस वर्ष सबसे बड़ी बेरोजगारी की जिम्मेदारी सरकार पर आई वह स्वर्णकारों के संबंध में थी।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में माननीय हुकुमसिंह जी और राममूर्ति जी ने तो अपनी ग्रांट्स स्वयं प्रस्तुत कीं लेकिन अन्य मंत्रियों के यहां रहते हुये भी एक आदत सी पड़ गई है कि वे अपने उपमंत्री के द्वारा ग्रांट सदन में प्रस्तुत कराते हैं। श्रीमन्, यह संसदीय इतिहास के विरुद्ध है और यहां की यह परम्परा है कि बजट बहुत महत्वपूर्ण अंग संसदीय इतिहास का होता है, इसलिये इसको मंत्रियों को स्वयं प्रस्तुत करना चाहिये। हां, मंत्री जी यदि बीमार हों या कहीं चले गये हों तब तो ठीक है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहां रहते हुये सदन में ग्रांट का मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत न करना यह परम्परा और सदन की मान-मर्यादा के विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको मानता हूं कि यह उचित है कि मंत्रियों को यह काम करना चाहिये। मैं नेता सदन से अपील करूंगा कि मंत्रियों को इस ओर ध्यान दिलायें और साथ ही साथ मैं यह भी नहीं कर सकता हूं कि उनको फोर्स करूं। जिन्होंने पेश किया है वही चलेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्णकार समस्या जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यह एक तरह से सरकार की नीति के कारण हमारे देश में उत्पन्न हुई है। सरकार को पहले से इसका अनुमान लगा लेना चाहिये था कि इसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ने वाला है। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और एक उपहासास्पद बात सरकार की गैरजिम्मेदारी की मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहली जनवरी को सूचना विभाग की ओर से सूचना दी गई समाचारपत्रों में जो इस प्रकार थी कि शहरी क्षेत्र में एक प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समस्या के बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण मैंने जानकारी की कि कहां से छपी है। मैंने लाइब्रेरियन से पूछा तो उन्होंने कहा कि कहां से ले आये ? असल में बात यह है कि ५९ में हुई थी लेकिन इसको पहली जनवरी, १९६४ को रिलीज कर दिया। श्रीमन्, ५ साल के बाद एक सूचना जो कि बेकारी के संबंध में हो, आप समझ सकते हैं कि उसको पांच साल बाद

आज देखा जाय तो किस कदर ताज्जुब होगा ? इसीलिए माननीय मंत्री जी को अब इस सदन में यह उत्तर देना पड़ा है कि वह मूल्यांकन नहीं करते क्योंकि किसी चीज को भी यह पीछे घूम कर नहीं देखते। वन महोत्सव की तरह कि हर साल नये नये वृक्ष लगाये जाते हैं, पिछले साल से लगे हुए वृक्ष क्या हुए, इसको कोई नहीं देखता। इसी प्रकार मंत्री जी ने पीछे का कोई मूल्यांकन करने का प्रयत्न नहीं किया। अगर यह प्रयत्न उन्होंने किया होता तो ऐसी स्थिति आज न होती कि इस सदन में खड़े होकर और मुंह लटका कर उन्हें यह कहना पड़ता कि उनके प्रयत्न बेकार रहे। लेकिन फिर भी यह समस्यायें ऐसी नहीं हैं कि जिनके लिए केवल इतने उत्तर से ही हमारा समाधान हो सकता कि हमने यह नहीं किया या हमारी गलती हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके विभाग के कतिपय अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं और उनको आप राजनीतिक कारणों से, अपनी नाकामयाबी, अपनी अक्षमता, अपनी अयोग्यता के कारण डील करने में असमर्थ हैं। उनके साथ आप डील नहीं कर सकते, उन पर आप प्रभावी नहीं हो सकते क्योंकि आपके बहुत अधिक लोग सम्मिलित हैं प्रभावी नहीं हो सकते उन बेउनवानियों में, उन रुपयों को गलत तरीके से खर्च करने में और जब उनको आप दबाते हैं तो दूसरी तरफ से आप पर दबाव पड़ता है। इसीलिए आप आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके। आपकी जानकारी में वह क्लीक्स थे। आपकी जानकारी में इस तरह का एक इन्टरेस्टेड ग्रुप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पर हावी होता चला जा रहा था और आप बैठे बैठे तशामा देख रहे थे और शायद सरकार के परिवर्तन के साथ इंडस्ट्रीज विभाग में जो उथल-पुथल हुयी थी वह भी नगण्य सी इसी कारण रही। जो अन्तिम काल इन्डस्ट्रीज विभाग के इन अधिकारियों का रहा है, गो कि मैं नहीं जानता कि अभी उनका अन्त हुआ है या नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हद तक वही इसके लिए जिम्मेदार है और मैं बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़े अधिकारी निदेशक महोदय हैं उन्होंने यह किया कि आज शायद ही कोई कर्मचारी उस स्थान पर हो जहां कि वह अप्रूव्ड हो। नतीजा यह हुआ कि अगर वह एक जगह तरक्की किये हुए भी था, जिस स्थान पर उसका अप्रूवल हुआ था वहां से हटा कर उसे दूसरे स्थान पर कर दिया। उसे ज्ञान कम्बल योजना का है तो चुर्क सीमेंट फैक्टरी में राय देता है। किसी को स्टोर परचेज का ज्ञान है तो उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया, केन्द्रीय अनुसंधान में लगा है और इसी प्रकार सब जगह किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर समय नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, मैं केवल पद बता रहा हूं, डाइरेक्टर महोदय से लेकर फाइनेंशियल कारपोरेशन के अधिकारी कानपुर के, असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर साहब जिनके पास तांबा, स्टेनलेस स्टील से लेकर जो कुछ भी सम्भव चीजें हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो कि कुछ मुनाफा दे सकती है, वह सब है, एक इंडस्ट्रियल सर्वे अफसर महोदय हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं वह शायद किसी जगह भी अप्रूव्ड न हों और इसके साथ साथ हैन्डिक्राफ्ट के मैनेजर जिनकी किस्मत से उसकी छत ही गिर पड़ी, इन सब अधिकारियों की एक पूरी क्लिक है, इसके साथ साथ यहां के भी कुछ अधिकारी हैं। इन सबका एक ऐसा संगठन है कि जो अधिकारी होने के नाते तमाम इस तरह की चीजें करता रहा है। आई० ए० एस० अधिकारी जो सरकार की ओर से किसी मिल में नियुक्त कर दिये गये हैं उसको देखने के लिए उनका भी स्टैंडर्ड आफ लिविंग देख लीजिये, इन आफिसर्स का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग देख लीजिये, इनका स्टैन्डर्ड आफ लिविंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर या मुख्य मंत्री से कहीं अच्छा है, जाकर देख लें। उनके बंगले में इतनी शान शौकत नहीं होगी जितनी कि इनके बंगलों में है। तो इन सबने जन्म किया उद्योग विभाग की नाकामयाबी को और उसको माननीय मंत्री जी इस खूबी से यहां बैठ कर बयान करते हैं कि जिसकी तारीफ करते नहीं बनती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संगठन चलता रहे, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जिलों को इंडस्ट्रीज आफिसर्स की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। एक के इंडस्ट्रीज आफिसर को २०० से ४०० मिलता है और दूसरे को ढाई सौ से साढ़े आठ सौ, जिससे इंडस्ट्री वहां

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

खराब गई लेकिन वह नीचे से एक प्रकार का संगठन है जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या डाइरेक्ट उन्नति नहीं दे सकते तो उनको नीचे से लाकर टेढ़े मार्ग से ऊंचे बढ़ा दिया जाता है। मैं जानता हूं कि इस विभाग में ९० फीसदी से ज्यादा लोग अभी टैम्पोरेरी काम कर रहे हैं। १० प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सर्विस को सुरक्षा है। ५०, ६० लोगों को कांग्रेस एक खास गुट का समर्थन न करने की वजह से एक महीने की नोटिस देकर निकाल दिया गया है। इस सब निजी जानकारी की आवश्यकता मुझे इसलिये पड़ी कि उद्योग विभाग के लोग जो मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का विकास का कार्य कर रहे थे उसमें बहुत देर लग रही थी तो मैंने जाकर जानने की कोशिश की और तब मुझे यह पता चला। सुचेता जी के प्रयत्न करने के बावजूद भी और गुप्ता जी के खयाल करने के बावजूद भी उनकी इन्क्वायरी अभी तक नहीं हो सकी है। यह जो इस संगठन का फेल्योर हुआ उसकी इन्क्वायरी गृह मंत्री जी या उद्योग मंत्री जी नहीं करा सके कि क्यों ऐसा होता है। सदन में यह उत्तर दिया गया कि हम इससे असमर्थ हैं और फेल हो गये।

एक रिपोर्ट में उसको दिया गया है। उसको आप देखने का कष्ट करें। उस रिपोर्ट में चुर्क सीमेंट फैक्टरी का हाल बताया गया है। सरकार के दो और बड़े प्रयास हैं। एक तो उद्योग निगम कानपुर का और दूसरा वित्त निगम। उद्योग निगम का काम है कि वह कुछ छोटी इंडस्ट्री और कुछ हैवी इंडस्ट्री बनायेंगे। अब वित्त निगम की हालत यह है कि उसने जो रुपया जमा किया उसमें से २ करोड़ २५ लाख स्वीकार हुआ, जिसमें से १ करोड़ २० लाख रुपया खर्च गया। उद्योग की तरक्की हमारे यहां हो यह बात ठीक है। जो ऋण बांटना था उसके लिये १ करोड़ ९१ लाख रुपया मंजूर हुआ, उसमें से १ करोड़ ४९ लाख रुपया बंटा ही नहीं। कृषि विभाग के अनुदानों के लिये ९ लाख ८० हजार रुपया स्वीकृत हुआ, उसमें ८ लाख १० हजार बंटा ही नहीं। ९ लाख में से ८ लाख बंटा ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें यह नहीं बतलाया गया है कि वह घाटा है या मुनाफा हुआ है। दूसरे, हमारा जो वित्त कारपोरेशन है, जो हमारी जड़ों को मजबूत करता है उसने कच्चा माल क्रय किया सन् १९६२-६३ में ७८ लाख ८४ हजार रुपये का और विक्रय किया ७१ लाख ७१ हजार का। कहते हैं कि कच्चा माल है नहीं लेकिन उसके बाद भी ७ लाख रुपये का कच्चा माल निगम बेच नहीं पाया। यह उद्योग विभाग के एचीवमेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों के लिये इस उद्योग निगम ने एक विशेष कार्यक्रम रखा है। ये औद्योगिक इकाइयां तीन प्रकार की हैं। एक तो बड़े औद्योगिक आस्थान हैं जिनमें ९०२ में कुल २८ एलाट हुए हैं। (व्यवधान) समझ का फेर है तो मंत्री जी को। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हरिजन सहकारी समितियां बनीं और उनमें रहने के मकानों के अलावा इस विभाग के कारण कोई प्रगति नहीं हो सकी। यहां के हरिजन वर्ग के पास भूमि भी कम है और वे छोटे-छोटे उद्योगों जैसे जूता बनाना, चमड़ा शोधन, आदि पर ही निर्भर रहते हैं। उनको भी यह विभाग संगठित नहीं कर सका। मैं बतलाना चाहता हूं कि सहकारी सूत मिल चल रही है। जब यह योजना चली थी तो हमारे जिले में भी ७५ स्वचालित करघे दिये गये थे, लेकिन वह पहुंचने भी नहीं पाये कि वह योजना वाइंड अप हो गयी। आज जो योजना चल रही है उसको भी सरकार चाहती है कि महाजनों के पास चली जाय और उसका चलना असंभव है। इस प्रदेश में गन्ने की नीति में सरकार ने जो उलटफेर किया उसका बुरा असर गन्ने और खांडसारी पर पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी कहा गया है कि ९ सहकारी शुगर फैक्ट्रियां खोलने की योजना है। आज जो मिलें हैं वे चल नहीं पा रही हैं, उनके लिये गन्ना उपलब्ध नहीं है, बीज के लिये नहीं मिल रहा है और यह धमकी भी आ जाती है कि वे फैक्टरियां साउथ में शिफ्ट होने जा रही हैं। इस स्थिति में उस योजना पर काफी सचेत होकर काम करना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि हमारा रुपया उन सहकारी

मिलों में फंसा पड़ा रहे जैसा कि किछा के क्षेत्र में सरकार का अपना अनुभव है। सरकारी क्षेत्र में उद्योग खड़ा करना पहाड़ से टकराना है। इसके अलावा छोटे ग्रामीण उद्योगों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। उसमें ट्रेनिंग और टेक्निकल एजूकेशन का सवाल है। वह दो दृष्टियों से होती है। एक में तो सरकारी भरती से काम चलता है और उसमें पास करने वाले चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाय। दूसरे जो ट्रेनिंग और टेक्निकल एजूकेशन है जिसका प्रयास सरकार ने किया है और फैलाया है उसमें दो चार में काफी रुपया है और एक उसमें खादी की स्कीम है, दूसरी अम्बर चरखा स्कीम है, तीसरी तेल-घानी की है। फिर प्रति ब्लाक में छोटे-छोटे यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गयी है। मैं उन छोटी इकाइयों के संबंध में तो अपने यहां की बात जानता हूं और शेष का उसी की हालत से अन्दाजा लगा लेता हूं। पूरे प्रदेश के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार खंडसारी को लाइसेंस देती है, कर्जा १०,००० रुपया देती है। उस क्षेत्र का मालिक चाहता है कि यह सहकारी इकाई न चले, १०–२० हजार मन गन्ना वह पेर दे। तो फिर उसका रिन्युअल नहीं होता है, फिर कहां से वह कर्जा दे? मैं ऐसे इंसटैंसेज जानता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज आज कलरिबेट और इम्बैजिलमट की इंचार्ज बनी हुई है। हैन्डलूम की जिसकी मीटिंग गुप्ता जी शाम को करते हैं उनके यहां और कोई काम ही नहीं रह गया है। मेरे यहां भी काफी उसकी यूनिटें हैं। वहां इतनी क्षमता से रुपया गायब होता है कि अगर पता भी लग जाय तब भी सोर्सेज भिड़ाये जाते हैं और पोलिटिकल प्रेशर भी खूब काम करते हैं, जिनके कारण उन औद्योगिक चालू इकाइयों से भी वसूल नहीं कर सकते फिर उनको तो बात ही क्या जिनका पता नहीं है! उनका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसके ऊपर बकाया साबित करके वसूल किया जा सके। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि जिम्मेदार अधिकारी जो उसके लिए हो उसके खिलाफ क्यों उचित कार्यवाही नहीं की जाती। अम्बर चर्खा स्कीम खादी स्कीम से संघर्ष में लगी हुई है। जहां जहां पर भी वह स्कीम लागू है यद्यपि सरकार पूरा ही चरखा मुफ्त दे देती है उसके बाद भी वह स्कीम चलाने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमारे सरकारी अधिकारी उसकी ओर दुर्लक्ष्य करते हैं।

मुझे दो एक चीजें मुख्य कहनी हैं। लालबत्ती हो गयी है। एक यह कि हर कच्चा माल केन्द्र से मिलता है, कानपुर से। हाई कोर्ट की भी दो बेंचेज है लेकिन कच्चे माल की एक है। १५ हजार से ऊपर छोटे कर्जे के लिए कानपुर दौड़ना पड़ता है और दौड़ते दौड़ते हजारों रुपया खर्च हो जाता है। वह एक टायरिंग आउट मशीनरी है। तब तक दौड़ाया जाता है जब तक कोई थक न जाय। जब ३१ मार्च वाली आखिरी मीटिंग होती है तो करोड़ों रुपयों की तादाद में जो लोन ग्रांट होते हैं उसका डिस्बर्समेंट नहीं हो पाता है। फिर सप्लाई विभाग की बीच बीच में जो अड़चनें आती हैं वह और भी परेशानी में डालती हैं। मुझे मालूम है कि सन् ५८ में कोटा सैंक्शन हुआ और ४–५ वर्ष तक तार की झांप भी नहीं मिली, कोई चीज सप्लाई नहीं हुई। पहाड़ी क्षेत्र में, श्रीमन्, एक बागबानी की योजना शुरू की गयी। एक डाइरेक्टर साहब के अन्तर्गत वह योजना चल रही थी। उसी के साथ साथ एक रेशम के उत्पादन की योजना चलाई गयी। लेकिन न उसका वहां कोई देखने वाला था, न उसमें कुछ हो रहा था। मैं समझता हूं कि यह योजना कृषि विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाय। मैं आपको बतलाऊं, श्रीमन्, कि कृषि विभाग ने आलू के लिये एक पैकेज प्रोग्राम बनाया, मगर उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिये इस विभाग ने रुपया नहीं दिया। हुआ क्या? सैकड़ों मन आलू सड़ गया। तो मेरा निवेदन है कि इन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। छोटे छोटे व्यापारियों को कर्जा मिलने की सूचना जिले से मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कहीं हैं उनकी ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---

माननीय उद्योग मंत्री और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी के भाषण को, मान्यवर, मैंने बड़े गौर से सुना। मान्यवर, सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे उद्योग मंत्री जी तथा उनके विभाग के अधिकारी इस तरफ आज जागरुक हैं कि सूबे में इन्डस्ट्रीयलाइजेशन होना चाहिये। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में जितना काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। मान्यवर, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि इस सूबे में हर दो वर्ष बाद उद्योग के मंत्री और उसके अधिकारी बदल जाते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि अगर वे एक ही जगह जमे रहें तो उनमें बहुत सी खराबियां पैदा हो सकती हैं....

टम्बेश्वरप्रसाद---

मैंने अधिकारियों के बारे में नहीं कहा था।

श्री बृजभूषणशरण---

मैं गलत समझा था, उसके लिये क्षमा चाहता हूं। खैर, इस बात की मुझे खुशी है कि आज नौजवान आदमियों के हाथों में इस डायरेक्टोरेट का काम आया है। पहले जो गन्जी खोपड़ियों के अफसरान रख दिये जाते थे, मैं नहीं समझता वे क्या काम कर सकते थे। उनसे इमदाद नहीं मिली है। इस महकमें का काम आज जिन अधिकारियों के हाथों में तथा जिन मंत्री महोदय के हाथों में है वे बहुत अच्छे व्यक्तियों में से हैं। इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसके बारे में काफी तफसील के साथ माननीय मंत्री जी ने बता दिया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में, या और जो फैक्टरीज हमारे यहां स्थापित हुई हैं, उनके बारे में सभी जानते हैं। उस सबके लिये मैं माननीय मंत्री जी को तथा उनके विभाग के अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये जिस तरह का हेल्दी क्रीटीसिज्म किया, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं चन्द बातें कहने के बाद कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो यहां विद्यमान हैं और माननीय उप मंत्री जी उन बातों को पसन्द करेंगे या नहीं क्योंकि कोआपरेटिव के सिलसिले में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं मानता हूं कि वह मानते हैं और महसूस करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है और उसका पेस तेज होना चाहिये। मंत्री जी ने कहा कि बिजली की कमी के कारण कुछ कच्चा माल हमें नहीं मिल पाया। उसकी जिम्मेदारी तो हमारी ही थी। बिजली का वितरण करने के बाद कच्चे माल का वितरण कर दिया गया है और उसे अब दोबारा इस प्रदेश में लाना मुश्किल हो जायगा। अबदुल्लापुर में कमी थी, जिसका नाम अब जमुनानगर कर दिया गया है, पंजाब में हमारे गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज बिजली की कमी के कारण चली गयी। उस वक्त मैंने कहा था, तो तत्कालीन मंत्री जी ने कहा था कि कौन कहता है कि बिजली की कमी है।

एक सदस्य---

जरा धीरे बोलिये, इतना तेज न बोलिये, ताकि समझ में भी आवे।

श्री बृजभूषणशरण---

खैर, अब उन्होंने यह रिएलाइज किया है।

इंडस्ट्रियलाइजेशन को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक हैवी इंडस्ट्रीज और दूसरा काटेज इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज में कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब ने २, ३ स्पिनिंग मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में लगवाई है, ३०, ३० लाख रुपया लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वे मंजूर भी हो गई हैं। वे और उनका विभाग बधाई के पात्र हैं। हैवी इलैक्ट्रिकल और जो ऐंटीबायोटिक्स इत्यादि केन्द्रीय सरकार की ओर से लगाई जा रही है, वे भी ठीक ही है, और ज्यादा से ज्यादा लगाई जानी चाहिये। लेकिन पहले यह सर्वेक्षण या इनवैस्टीगेशन होना चाहिये कि कहां कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई जाय। सरकार वह काम नहीं कर सकती है जो प्राइवेट उद्योग-

पति कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। डालमिया, साहू-जैन या टाटा या बिड़ला कोई कारखाना लगाते हैं, कम्पनी बनाते हैं, तो वे उसके शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाते हैं। पबलिक उनके शेयर्स को सब्स्क्राइब करती है। तो सरकार भी पबलिक लिमिटेड कम्पनीज फ्लोट करके पबलिक को शेयर्स बेच सकती है, और इस प्रकार कैपीटल काफी आ सकता है। पबलिक का प्राइवेट उद्योगपतियों के मुकाबले में सरकार में ज्यादा विश्वास है। जब कभी सरकार १०, १० करोड़ या अधिक से अधिक लोन फ्लोट करती है तो एक दिन के बाद ही टैलीग्राम आ जाता है कि सारा लोन पूरा बल्कि ओवर-सब्सक्रायफ हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आपके शेयर्स भी जनता में बिक सकेंगे। एक बात जरूर है जिसका अकसर क्रिटिसिज्म होता रहता है। जैसा टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी ने भी कहा, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में १० करोड़ रुपया लगा हुआ है लेकिन इससे कुछ मुनाफा नहीं निकलता है। यह ठीक हो सकता है, मेरे पास फीगर्स नहीं हैं, उन्होंने देखा होगा। मगर उसका कारण भी तो हमें तलाश करना चाहिये कि यह बीमारी है कहां। महज पट्टी को ही धोते रहने से जखम ठीक नहीं होगा, जब तक कि जखम को भी न धोया जाय। आप गवर्नमेंट रोडवेज को देखें। वह रोज-रोज मुनाफा कमा रहा है। जिस दिन आपने रोडवेज को शुरू किया था उस दिन आपने तमाम अफसरों को केडर्स को एडवर्टाइज किया था और एक प्राइवेट उद्योगपति की तरह से तजुर्बेकार लोग रखे। जनरल मैनेजर्स, फोरमैन, इत्यादि, ये सब तजुर्बेकार लोग रखे। लेकिन आपको सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जहां कारखाना खुला वहां अपने आई० ए० एस० भेज दिया जो जानता है कि उसे २, ४ साल बाद ट्रांसफर हो जाना है। आप एक तहसीलदार को फोरमैन बनाकर भेज देते हैं। वे अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। इसका कारण यह है कि २,३ साल बाद आपने उन्हें ट्रांसफर कर दिया और वह कहीं डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर बन कर चले गये। यह सही बात है कि रोजाना तबादले ऐसे लोगों के नहीं होने चाहियें। इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स में यह नहीं होना चाहिये। उसके लिये आपको अलग से रैक्रूटमेंट करना चाहिये।

इसी तरीके से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में सुझाव देना चाहता हूं। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है, हमने इसके लिये ७८ लाख रुपया लोन के लिये रखा है। मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर खास तौर से गौर करे। जैसा अभी माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी ने बतलाया, बहुत से लोन मंजूर तो हुये लेकिन वे बांटे नहीं जा सके। उनमें समय इतना लग जाता है कि लोग थक कर बैठ जाते हैं। छोटे-छोटे उद्योगपतियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वर्षों तक इधर-उधर भागते फिरें, और न इतना किसी के पास समय ही है। जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की संस्था खोल रखी है, आप भी इंडस्ट्रीज विभाग में एक ऐसा सैक्शन खोल दें कि जो मशीनरी वगैरह दे। अब होता यह है कि आप लोन ही बहुत दिनों में स्वीकार करते हैं और उसके बाद मशीनरी खरीदने के लिये जाते हैं। उसमें बहुत समय लग जाता है। अभी माननीय उपमंत्री जी ने जिक्र किया कि सरकार ने अपनी मिनरल पालीसीज को बदला है और इनवेस्टीगेशन भी करा रहे हैं। ठीक है। वह बधाई के पात्र हैं। माइनिंग मिनरल रूल्स बना देने के बाद उन्होंने कम से कम १५ लाख का रेवेन्यू बढ़ा दिया है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उप मंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं, और उनका विभाग भी। मैं आपके द्वारा उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि जहां उन्होंने यह जिक्र किया है कि हमने अफसरों को हिदायत दे दी है कि वे जल्दी काम को निपटावें, मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह स्वयं भी अधिक समय दें, पैसा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है। इसके लिये आप पंजाब से प्रेरणा लीजिये। एक झूठी चिट्ठी कैरों के लिख दीजिये कि हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और तीसरे दिन आपके पास जवाब आ जायगा। इंडिस्ट्रयलाइजेशन उस समय तक नहीं हो सकता जब तक आप विशेष ध्यान इधर नहीं देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ में संशोधन

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी से पी० एस० पी०, जनसंघ और एस० पी० सभी से बात कर ली है और सब सदस्य सहमत हैं। प्रस्ताव यह है कि विधान सभा नियमावली के नियम १६ में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय और नियम १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---सभा का उपवेशन ११ बजे पूर्वान्ह से ५ बजे अपरान्ह तक होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा बैठक के समय को बढ़ा सकेगा। अध्यक्ष स्वयं भी बैठक का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा सकेंगे। १ से २ तक न कोरम का प्रश्न होगा और न उसमें डिवीजन होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

यह ठीक ही है, क्योंकि इस समय कठिनाई होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कल से यह समय का परिवर्तन कर दिया जाय कि ११ बजे से ५ बजे तक सदन की बैठक हुआ करे, बीच में १ घंटे के लिये, १ से २ तक, कोरम या डिवीजन का सवाल नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा बैठक का समय बढ़ा सकता है, अध्यक्ष स्वयं भी १५ मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यह रूल्स में आ जावेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा एक निवेदन है कि चूंकि बहुत से सदस्य आज शाम तक सदन में नहीं होंगे, उनको इस नये परिवर्तन की सूचना नहीं होगी, इसलिये आप आज संध्या को कोई विशेष सूचना करवा देंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। वे ११ बजे तक आ ही जायेंगे।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २४---उद्योग (अनगित)

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारा प्रदेश इस देश के अन्य प्रदेशों में सबसे बड़ा है। यहां अधिकतर लोग खेती से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उसके अलावा दूसरा अवलम्ब नहीं है। न कोई उद्योग धन्धा है जिससे वे अपनी रोटी रोजी चला सकें। मान्यवर, हमने देखा है कि हमारे इंडस्ट्री विभाग के कर्मचारी कर्ज बांटने का काम सिर्फ करते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। वह लोग कर्जा भी ऐसे लोगों को देते हैं जो काम नहीं करते हैं और न वह किसी प्रकार का उद्योग चला रहे हैं बल्कि उस रुपये को लेकर अपने निजी उपयोग में लाते हैं या गरीबों को व्याज के रूप में कर्जा देते हैं। सरकार अगर इसकी जांच कराये तो उनको यह मालूम होगा कि यह बात नौ फीसदी सही है। सरकार के पास कोई निश्चित योजना नहीं है कि किस जगह पर कौन उद्योग चल सकता है और कहां पर उसे चलाना चाहिये। इसी वजह से हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पीछे है।

मैंने यह देखा है कि ब्लाक स्तर पर उद्योग विभाग की तरफ से ए० डी० ओ० रखे गये हैं। उनके द्वारा उन लोगों को रुपया दिया गया है जिनके पास साधन हैं। गरीबों को नहीं दिया है। मैं इलाहाबाद जिले की बात बताता हूं। उस जिले में टिन के चादरों के परमिट

किनको दिये गये हैं ? इलाहाबाद के बक्से हिन्दुस्तान के कोने कोने में जाते हैं लेकिन वहां पर क्या हो रहा है ? ऐसे लोगों को जो बक्से बनाते हैं, जो बालटियां बनाते हैं, बरतन बनाते हैं, उनको परमिट न देकर ऐसे लोगों को परमिट्स दिये गये हैं जिनके लिये अगर मैं कहूंगा तो सरकार कहेगी कि यह विरोध करने केलिये है लेकिन सरकार को सुझाव देना मेरा फर्ज है इसलिये कहूंगा कि हम इलाहाबाद जिले के ६ विधायकों ने दरख्वास्त दी थी। मुख्य मंत्राणी जी जानती हैं कि विधायकों ने दरख्वास्त दी थी कि शहर कांग्रेस कमेटीके मंत्री, श्री प्यारेलाल गुप्त, को और श्रीमहेश प्रसाद जायसवाल जो कीटगंज मंडल कांग्रेस कमेटी के सभापति हैं उनको परमिट दिये गये हैं। आजादी आने के बाद से उसको परमिट दिये गये हैं लेकिन न तो उनके पास कोई कल कारखाने हैं, न उन्होंने कभी कोई काम शुरू किया और न कर रहे हैं। यह मेरी बखूबी जानकारी है। दरख्वास्त देनेके बाद मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनको सजा मिल गयी है और उनका कोटा कम कर दिया गया है। मैं मुख्य मंत्राणी जी से निवेदन करूंगा कि जो लोहे का काम करते हैं, जो बाल्टी का काम करते हैं, जो बक्से आदि बना रहे हैं उन्हीं को परमिट्स दिये जायं और जो लोग सरकार को धोखा देकर लाखों रुपये ब्लैक में पैदा कर चुके हैं उनकी जांच कराकर उनके ऊपर मुकदमा चलवायें। यह मेरी सरकार से खास मांग है।

इसके साथ ही साथ मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि तहसील फूलपुर में सहस्रों व कमला नगर दो सघन क्षेत्र खोले गये हैं। वहां पर लाखों रुपये की बिल्डिंग बनायी गयीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। खादी का काम वहां शुरू हुआ लेकिन आज वे इमारतें बिलकुल बेकार पड़ी हुई हैं। किसानों से जबरदस्ती जमीन ली गयी। लेकिन आज वह जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सरकार इस बात की जांच कराये कि लाखों रुपये की स्कीमें उसकी क्यों फेल हो जाती हैं और किस प्रकार से औद्योगीकरण को तरक्की दी जा सकती है। बात यह है कि वहां एक कांग्रेसी नेता हैं जिनके ऊपर गबन का केस चला। नीचे की अदालत से उनको सजा भी हो गयी लेकिन ऊपर से कोशिश हो जाने से उनका फेवर कर दिया गया। वहां का जो खादी का और साबुन का काम था वह समाप्त हो गया है। इसी तरह से फूलपुर में बाल्टी बनाने के कारखाने की बुनियाद पड़ गयी थी लेकिन वहां भी कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

बरुआघाट में तांबे का परमिट हमारे जिले के भूतपूर्व उपमंत्री जी के एक आदमी को दे दिया गया और जो लोग तांबे का काम करते हैं उनको नहीं दिया गया। जो चौक में दूसरा काम करता है उसको परमिट दे दिया गया। उन्होंने केवल एक नोटिस वहां टांग दिया है। सरकार इसकी जांच कराये। इस तरह से जो काम करने वाले हैं उनको रुपया और परमिट नहीं मिलता है और जो काम करने वाले नहीं हैं उनको परमिट दिया जाता है जो ब्लेक में दूसरों को बेच देते हैं।

कीटगंज में बेत का काम होता है। इसका भी रुपया उस आदमी को दिया गया है जो इसका काम नहीं करता है। चापलूसों को रुपया मिल जाता है जो इधर उधर घूमते हैं और कोई काम नहीं करते। जहां बेत की कुर्सी मेज बनती थीं वह सब काम ठप्प हो गया है। जूते और बरतन का काम करने वाले लोग अपना धंधा छोड़कर चले गये हैं और शहरों में रिक्शा चलाते हैं या गांवों में हल चलाते हैं। क्या सरकार इसी तरह से औद्योगीकरण कर रही है ? सरकार को गरीबों को रोजी देने का प्रयत्न करना चाहिये।

जो लोग इलेक्शन में हार गये हैं वे लोग खादी या सर्वोदय में लगा दिये गये हैं और खादी और ग्रामोद्योग के नाम पर सरकार से रुपया लेकर व्यक्तिगत लाभ उठा रहे हैं। आपका ए० डी० ओ० फर्जी सोसाइटी बनाकर रुपया दे देता है और दो चार साल के बाद वह स्कीम खत्म हो जाती है। मैंने अपने क्षेत्र में तो देखा है कि सरकार का करोड़ों रुपया इस प्रकार से गलत आदमियों को दिया जा रहा है और उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं सरकार को इस बात के लिये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है क हमारा प्रदेश आगे बढ़े उद्योग में, तो

[श्री बंशीलाल]

वह नौकरशाही के पचड़े से हटकर अपने हाथ म विभाग की बागडोर ले, तभी यहां विभाग की हालत सुधर सकती है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ी हूं। मान्यवर, पिछले ५–१० वर्ष से जितने भी आर्थिक सर्वेक्षण यहां हुये हैं उन सबसे एक ही नितांत सत्य निकलता है कि अगर यहां की जनता का भविष्य बनाना है, यहां की जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा करना है तो प्रेशर आन लैंड को घटाकर प्रदेश का औद्योगीकरण करना होगा। जब कि सारे देश के स्तर पर प्रेशर आन लैंड ५० से ५५ प्रतिशत है तो यू० पी० में वह प्रेशर आन लैंड ६० से ६५ प्रतिशत तक है और पूर्वी क्षेत्र में तो वह कहीं-कहीं ७० प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसी कारण से इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि हम अपने यहां अधिक लोगों को उद्योग में लगायें और इस ओर भविष्य में हम विशेष ध्यान दें। पिछले दस साल में जो काम हमारे यहां पिछली २ योजनाओं के अन्तर्गत हुआ है उसके ऊपर मंत्री जी ने काफी प्रकाश डाला है। उन सब का स्वागत करते हुये मैं कुछ आंकड़ों की ओर आप के द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी क्योंकि आंकड़ों की एक अजीब कथा होती है और उनके बारे में कोई ज्यादा कमेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो पंचवर्षीय योजनाओं के खत्म होने के बाद हमारी आर्थिक अवस्था क्या है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिये। दस वर्ष के बाद हमारी देश के स्तर पर राष्ट्रीय आय ४१.६ प्रतिशत बढ़ी है, जब कि यू० पी० की आय में केवल २०.६ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। अब आप पर केपिटा इन्कम को लें तो आल इंडिया की २८८.८ और यू० पी० की है २६८.७ जो कि सारे देश में बिहार को छोड़कर सब से कम है। आप देखें कि सारे देश में १७.३ की वृद्धि हुई है जब कि यू० पी० में वह स्टेटिक रह गई। यह कह देना कि हमारे यहां आबादी बढ़ गई यह कोई सत्य बात नहीं है, क्योंकि यहां की आबादी सारे देश की आबादी से कम बढ़ी है। सारे देश की आबादी २१.७ प्रतिशत बढ़ी है जब कि यू० पी० की केवल १६.७ प्रतिशत ही बढ़ी है। इसलिये आबादी के अलावा कारण और कुछ हैं जिनका पता लगाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने यहां औद्योगिक उन्नति की ओर देखें तो पूरे देश में इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स १९४ प्रतिशत बढ़ी है जब कि उत्तर प्रदेश में केवल १.७ ही इन दो प्लान्स में बढ़ोत्तरी हुई है। यह बहुत कम है और इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश की औद्योगिक उन्नति की ओर अव्वल तो स्वयं यहां की सरकार ने ही ध्यान समुचित रूप से नहीं दिया है, यह भी ठीक है कि इसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की भी है। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में पब्लिक सेक्टर की ओर केन्द्रीय सरकार से उचित सहायता नहीं मिली, पंजाब को मिली वहां के लोग होनहार हैं, वह आगे बढ़ गये। दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमें केन्द्र की ओर से कोई खास योजना नहीं मिली, केवल ९ प्रतिशत का हमारा एलाटमेंट रहा। पब्लिक सेक्टर में दस वर्षों में ४,६०० करोड़ रुपया सारे भारत का एलाटमेंट है जब कि यू० पी० का कुल २८० करोड़ ही रह गया जिससे साफ जाहिर है कि पब्लिक सेक्टर में इस पीरियड में कोई विशेष काम यहां नहीं हुआ। तृतीय पंचवर्षीय प्लान जो हमारी बड़ी एमबिशस प्लान कहलाती है उस में हमारे यहां ४ उद्योग स्थापित हो रहे हैं, हैवी एलेक्ट्रिकल्स, डीजेल इंजिन का कारखाना, फर्टिलाइजर प्लान्ट और एन्टीबायटिक्स। यही ४ हमारी पब्लिक सेक्टर की स्कीम्स हैं। इसमें भी यू० पी० की जनसंख्या जब सारे भारत की जनसंख्या का १६ प्रतिशत है तो हमारा इंडस्ट्रीयल एलोकेशन केवल ९ प्रतिशत है। इस पर हमें अधिक गर्व नहीं करना चाहिये। इन आंकड़ों से जाहिर है कि यदि हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य पूरे हो भी जायं तब भी हम पिछड़े ही रह जायंगे, इस बात पर हमें विचार करना चाहिये। यह सही है कि सेन्टर ने हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं रखी लेकिन कृपा दृष्टि की हमेशा आवश्यकता भी नहीं होती। अगर नहीं रखी तो स्वस्थ नागरिक के रूप में यहां की सरकार को चाहिये कि वह अपनी स्टेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाये। कोई खास उद्योग यहां सरकार की ओर से सिवा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री और चुर्क सिमेन्ट फैक्ट्री के

नहीं की गई और अब तीसरी योजना में उन्हीं दोनों की बढ़ोत्तरी करने में सारा ध्यान दिया जा रहा है, यही कारण है जब सारे देश में औद्योगिक प्रोडक्शन ७२·४ बढ़ा है, नई-नई फ़ैक्ट्रीज के कारण हमारे प्रदेश में नई फैक्ट्रीज को जिस मात्रा में बढ़ाना था वह नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि सारी जिम्मेदारी प्रदेश के बढ़ने की औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर पर पड़ जाती है। इसमें भी एक कारण पहले जब पंजाब से रिफ्यूजी आये सरकार ने उनको मदद दी उन्होंने जल्दी-जल्दी अपनी मेहनत से नई इंडस्ट्रीज लगा दी और वह समय इमरजेंसी का नहीं था, रा मेटीरियल आसानी से मिल जाता था। उद्योगपतियों ने जो रुपया लड़ाई में कमाया था वह यहां न लगा कर दूसरे प्रदेशों में लगाया, इसका क्या कारण था? इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर वह कौन से फैक्टर्स हैं। लैंड एक्वायर करनी पड़ती है जिसके लिये महीनों फाइलों के बीच में उद्योगपतियों का लग जाता है जबकि उद्योग के संबंध में टाइम इज ए वैरी बिग फैक्टर, हर दिन जो फाइल में वेस्ट होता है उसका बड़ा महत्व है, लैंड एक्वीजीशन, लाइसेंस पास करने में, बिजली की सुविधा देने में जो देर लगती है इन्हीं कारणों से उद्योगपति परेशान हो जाते हैं और जो सुविधायें उनको जल्दी मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती हैं। सरकार का जो अधिकारी वर्ग है वह भी चाहता है कि प्रदेश में औद्योगीकरण हो, मेरा विश्वास है वह हमारा साथ देंगे कि किस प्रकार प्रदेश की बेकारी दूर हो, इसलिये मेरा एक सुझाव है कि जो जो काम हमारे कागज के द्वारा होते हैं उससे उनको हटा कर मौका दिया जाया कि वह अपनी टेबिल छोड़ कर फील्ड पर जा कर देखें कि जिस काम के लिये रुपया दिया जा रहा है, उसका उपयोग किन कारणों से नहीं हो पा रहा है। सिर्फ रुपया देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान लेना ठीक नहीं है। देखना चाहिये कि क्या कारण है, हमारी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं पनपती हैं, जब कि और जगह पनप सकती हैं तो यहां भी पनपनी चाहिये। हमको कारण देखने चाहिये और अगर ऐसा करेंगे तो जरूर हमारे यहां उद्योग बढ़ेंगे।

अब मुझे कानपुर के बारे में कहना है, यह गर्व की बात है कि कानपुर शहर इंडस्ट्रियल मेट्रोपोलिस है इस प्रदेश का। मुझे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं कहना है, छोटी इंडस्ट्रीज के बारे में कहना है जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है और जिनमें हजारों लोग लगे हुये हैं। जैसे सरकार ने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने का विचार रखा, कानपुर में अनेक स्टेट्स हैं, बड़ी बड़ी योजना है। पर उस संबंध में जब सरकार लैंड ऐक्वायर करती है, जैसे वैगन फैक्ट्री के लिये जमीन ऐक्वायर की जा रही है तो वहां से जो काश्तकार विस्थापित किये जाते हैं उनको बाबा आदम के जमाने का बना १८९७ के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। मैं चाहूंगी आज कल के जमाने में मार्केट रेट की दर से, जैसे और जगह दिया गया है साइंटिफिक ढंग से आज के जमाने की दर से लोगों को रुपया दिया जाय। मेरा खयाल है अगर सरकार लौजीकल ऐप्रोच के साथ मोडर्न रेट्स के अनुसार जमीन का मुआवजा देगी तो जमीन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और स्टे आर्डर, या रिट आदि म जो समय बरबाद होता है वह भी नहीं होगा।

अब मुझे टुबैको इंडस्ट्री के बारे में कहना है। कानपुर में टुबैको मरचेन्ट्स एसोशियेशन है और वहां एक राम गंज की मंडी है जो पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शीरे और तम्बाकू की मंडी है। शीरे और तम्बाकू के व्यवसाय में हजारों आदमी लगे हुये हैं। पहले उन्हें ३–४ आने मन के दाम से शीरा मिल जाता था, परअब उन्हें ६ रु० मन के हिसाब से भी नहीं मिल पाता है। इसका कारण, श्रीमन्, यह है कि अधिकतर शीरा शराब आदि बनाने में चला जाता है और उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो तम्बाकू के व्यवसाय को चलाने के लिये नितान्त आवश्यक है कि उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में शीरा दिलाने का प्रबन्ध सरकार करे।

दूसरी कानपुर में एक कन्फेक्शनरी मरचैन्ट्स एसोसियेशन है जिसमें ११ इकाइयां हैं। जो बेकरी हैं उनको ४५ लाख वार्षिक आमदनी होती है। इससे हजारों लोगों का व्यवसाय चल

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

रहा था। मुझे पता चला है कि नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में उनके शुगर का कोटा ५० प्रतिशत कर दिया गया जब कि गोंडा में १५० प्रतिशत और लखनऊ में सेन्ट परसेन्ट मिल रहा है। पर कानपुर में ही ५० प्रतिशत कर दिया गया। वहां बिस्कुट फैक्टरियां नगरमें बढ़ गयी हैं। अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन छोटे छोटे व्यवसायों को डिस्ट्रिक्ट लेविल पर न लेकर स्टेट लेविल पर समझा जाय और सेपरेट इंडस्ट्रियल कोटा रखा जाय।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अपना सूबा बहुत ही गरीब है और इसकी गरीबी दूर करने के लिये यह सरकार मानती है कि औद्योगीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकार यह भी मानती है कि जितनी प्रगति करनी चाहिये थी उतनी प्रगति नहीं हुई है। माननीय उद्योग मंत्री के भाषण को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि कितनी जनता को वे अगले वर्ष में काम देने जा रहे हैं और बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी तरफ कोई सफाई नहीं हुई। श्रीमन्, असलियत में हमारा सूबा पिछड़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि औद्योगीकरण की नीति साफ नहीं है, अस्पष्ट है। जब तक नीति की सफाई नहीं होती तब तक विकास की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिये औद्योगीकरण की नीति की सफाई जरूरी है। उदाहरण के लिये आप चीनी और गुड़ को ले लीजिये। १९६० में उत्तर प्रदेश में चीनी प्रचुर मात्रा में तैयार हुई। उसके बाद १९६३ में यह हालत पैदा हो गयी कि गुड़ और चीनी का संकट आ गया। यह कमी भी उनकी अस्पष्ट नीति के ही कारण हुई जिसकी वजह से यह हालत हो गयी कि चीनी के विक्रेताओं ने ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा हानि उठानी पड़ी। तो नीति की सफाई बहुत जरूरी है। उद्योग मंत्री जी ने यह बताया कि देहात की गरीबी दूर करने के लिये जिला स्तर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। श्रीमन्, बाराबंकी जिले की ओर आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। १९६०-६१ में बाराबंकी में १९ इकाइयां खोली गयीं और १९६१-६२ में २५ इकाइयां खोली गयीं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। यह जो कटौती का प्रस्ताव जिस महोदय ने पेश किया वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, फिर वे जिम्मेदारी के साथ क्या जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

रहना तो उन्हें चाहिये पर उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है।

श्री गिरजाप्रसाद---

श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि १९६०-६१ में और ६१-६२ में ४६ इकाइयां बाराबंकी जिले में खोली गयीं और उनको पैसा बांटा गया लेकिन १० इकाइयों में अव्यवस्था के कारण कोई काम नहीं किया गया और उनको जो ऋण दिया गया है उसे वापस लेने की बात की गयी है। ६२-६३ में २९ इकाइयां खोली गयीं जिसमें ६ इकाइयां कार्य नहीं कर रही हैं। जो योजनायें सरकार बनाती जा रही है उनका वह मूल्यांकन नहीं करती कि वे काम कर रही हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि रामनगर एक ऐसा ब्लाक है वहां पर जितने काम खोले गये उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। सब रुपया बंट गया है और फर्जी काम हो रहा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह जो उद्योग प्रशासन है यह आंकड़े तैयार करने में माहिर है और वस्तुस्थिति उससे भिन्न होती है। इससे हालत बजाय सुधरने के और बिगड़ती जा रही है। एक तरफ हम रोजी और रोजगार ढूंढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लिहाजा ये आंकड़े जाली हैं और यह हालत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती।

मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि पिछड़े इलाकों को आगे लाया जाय लेकिन हालत विपरीत है। हम चाहते हैं कि सीमेंट हमारे सूबे में पैदा हो लेकिन १३ साल में सिर्फ एक सीमेंट फैक्टरी यहां लगी जब कि पूरे देश में ३५ सीमेंट फैक्टरीयां लगी हुई हैं। लिहाजा सरकार जो छोटे और मध्यम श्रेणी के रोजगार हैं उनकी तरफ ध्यान दे। असलियत में सरकार पैसा खर्च करने की फिराक में रहती है लेकिन यह नहीं देखती कि कौन-सा रोजगार हम ठीक तरह से चला सकते हैं।

हमारे प्रदेश में जनशक्ति बहुत ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश को उठाना है तो यहां की जनशक्ति का पहले हमें प्रयोग करना होगा। इसके लिये जरूरी है कि लघु स्तरीय घरेलू धंधों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय। इसके लिये सर्वेक्षण किया गया लेकिन कोई ज्यादा प्रगति दिखाई नहीं देती है जिससे यह मालूम हो सके कि गांव में जो जनशक्ति मौजूद है उसका ठीक-ठीक उपयोग होने जा रहा है। श्रीमन्, बाराबंकी में दरियाबाद गांव पड़ता है, वहां पर जूतों का बहुत काम होता है। वहां की ३/४ साल की प्रगति की रिपोर्ट को देखकर मैं कह सकता हूं कि इसको बढ़ाये जाने के लिये जितना ध्यान देना चाहिये था नहीं दिया गया है। देहातों में ताड़ी से गुड़ बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। देहातों की गरीबी उसी समय दूर हो सकती है जब उपलब्ध साधनों को मदद देकर उनको बढ़ाया जाय। रामनगर ब्लाक में एक फर्नीचर की दुकान खोली गई है, वह सब गोरखधंधा है। सरकार को उन्हीं को पैसा देना चाहिये जो सही रूप से काम कर रहे हैं। ब्लाकों के जरिये जो कर्जा दिया जाता है वह उन लोगों को नहीं दिया जाता जिनको जरूरत होती है बल्कि उनको दिया जाता है जिनको आवश्यकता नहीं होती। मंत्री जी ने कहा कि तीन महीने में हर दरख्वास्त की सुनवाई हो जाती है लेकिन व्यवहार में यह होता है कि साल भर तक कोई सुनवाई नहीं होती। इधर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के अनुदान का मैं समर्थन करता हूं। यह बात मानी हुई है कि किसी भी देश में जहां कृषि व्यवस्था है, वह खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ सकता है। इसलिये आवश्यकता है कि औद्योगीकरण तेजी से होना चाहिये। हमारी स्वचालित इकोनोमी भी खेती से नहीं हो सकती है, इसके लिये भी औद्योगीकरण होना चाहिये। सरकार स्वयं मानती है कि प्रदेश की आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुये औद्योगीकरण काफी सुस्ती से हुआ है।

एक बात की खुशी है कि तीसरी योजना में पिछली योजनाओं के मुकाबिले में इस तरफ विशेष ध्यान देने की बात की गई है। पिछली योजनाओं में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहां २.५ परसेंट हुआ जब कि हिन्दुस्तान का ५२ परसेंट हुआ। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहता हूं कि हमारे यहां जो यूनिट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनमें कैपेसिटी के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स की कैपेसिटी १६५ लाख रुपये के माल बनाने की है लेकिन पिछले ६ महीने में केवल ४५ लाख रुपये का ही माल बना। इसके लिये मंत्री जी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, पावर और कोयले इत्यादि की दिक्कतें थीं। लेकिन मुझे खुशी है कि अब ट्रांसपोर्ट और पावर की दिक्कत नहीं रही पावर का प्रोडक्शन हमारे यहां काफी बढ़ रहा है। हमारे यहां ६१० मैगावाट का टारगेट पूरा होने वाला है। कोयले की भी कमी खत्म हुई। हां, रा-मैटीरियल की जरूर कमी है। लेकिन मुझे शिकायत है कि जो भी माल हमें केन्द्र से मिलता है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता है। इस बात की शिकायत है कि जो फैक्टरी हैं, उनकी कैपेसिटी के अनुसार कोटा नहीं मिल रहा है। पिछली दफा ठाकुर फूल सिंह जी ने जांच कराई थी। मैं चाहता हूं कि जो भी यूनिट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसके अनुपात से उनके लिए मान्यवर मैटीरियल दिया जाय। यह भी शिकायत है कि फिक्टीशस नेम्स से लोगों ने कोटे ले लिये हैं, तो जहां इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन है वहां यह हो सकता है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

उद्योग के भी मान्यवर, तीन, चार हिस्से हैं। बड़ी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्री। बड़ी इंडस्ट्रीज के मामले में यह बात सही है कि पहले जो ढाई परसेंट प्रोग्रेस

[श्री नवलकिशोर]

हुई थी, दो साल में वह बढ़कर साढ़े चार परसेंट हो गई है। यह इस बात को साबित करता है कि उसमें कुछ तेजी अख्तियार की है तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर, यद्यपि वह अभी भी ना के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ फैक्टरीज लगी हैं, हमारे यहां सिन्थेटिक रबर फैक्टरी, एस० ई० एस० आर० कान्डक्टर फैक्टरी, कैलशियम कारबोनेट फैक्टरी, शुगर मिल मशीनरी प्रोजेक्ट फैक्टरी, एल्यूमिनियम फैक्टरी और कैम्फर फैक्टरी, ये फैक्टरीज कुछ लगी हैं। और पब्लिक सेक्टर में यह बात सही है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने हमको बहुत कम फैक्टरीज दी हैं, मैं नहीं जानता उसके क्या कारण हैं, हमें उसके लिये और प्रेस करना चाहिए लेकिन फिर भी तीन-चार फैक्टरीज उसमें भी लगी। कोल डेवलपमेंट का काम हमारे यहां हो रहा है और कुछ और काम हो रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं। क्योंकि ले दिये गये तीन, चार फैक्टरीज, जैसे एंटी बायोटिक्स, डीजेल लोकोमोटिव, हैवी एलेक्ट्रिकल्स तथा फर्टिलाइजर्स फैक्टरी यह पब्लिक सेक्टर में अपने यहां लगी हैं और शायद एक या दो और भी लगने वाली हैं। एक सीमेंट की नई फैक्टरी भी डल्ला में लगाने वाली है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि कोआपरेटिव सेक्टर में भी तीन शुगर फैक्टरीज चालू हो गई हैं। दो के लिये लाइसेंस हो गये हैं और ९ के लिये यू० पी० गवर्नमेन्ट ने सेंटर को लिखा है। एक स्पिनिंग मिल कोआपरेटिव सेक्टर के अन्तर्गत एटा में मिल गई है और दो की ओर कोशिश हो रही है।

लेकिन इन सबके बावजूद भी मैं तीन, चार बातें मंत्री जी से कहना चाहता हूं। एक तो यह कि आपकी कर्जा देने की संस्थायें तीन, चार हैं। एक लोन्स ऐंड ग्रान्ट्स कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट में है, एक फाइनेंशियल कारपोरेशन है, एक स्टेट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन है और एक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन है। मान्यवर, आम तौर से यह कहा जाता है कि यह कर्जा बांटने की जो आपकी मशीनरी है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो लोन दिया जाय उसको फालो अप किया जाय। यह देखा जाय कि जिन लोगों को कर्जा दिया गया, वह जिस काम के लिये दिया गया था उसी काम में इस्तेमाल हुआ या नहीं, क्योंकि आम तौर से शिकायत होती है कि गवर्नमेन्ट पैसा बांट देती है, यह नहीं देखती कि उससे प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर हो पाया है या नहीं। जो आपको स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपने बहुत से आइटम्स इंट्रोड्यूज किये हैं, लेकिन फिर भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की मार्केटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पायी। पिछली दफा एक कमेटी बैठी थी शायद बिरला जी की अध्यक्षता में, उसने ४११ करोड़ का कोई प्लान दिया था शायद, सरकार ने उसको काटकर ३५० करोड़ का बनाया। मैं नहीं जानता कि उसका कोई फेज्ड प्रोग्राम बन पाया या नहीं। हमने देखा कि ३६८ लाख रुपया थर्ड प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज के लिये था और यह खुशी की बात है कि दो ही साल में वह रुपया सब खर्च हो गया। लेकिन तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपया हम यू० पी० जैसे प्रदेश में एक प्लान के अन्दर हैवी इंडस्ट्रीज के लिये रखें, इससे काम चलने वाला नहीं है। अपने प्रदेश के लिए एक इंडस्ट्रियल प्लान होना चाहिये।

मान्यवर, हमारी मिक्स्ड एकोनामी है। इसके अन्दर हमको प्राइवेट इंटरप्राइजेज को भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिये रुपया देना चाहिये। जहां पंजाब की बात कही जाती है, वहां और बातों के अलावा एक बात यह भी है कि पंजाब में यू०पी० के मुकाबिले में इनीशियेटिव लोगों के अन्दर ज्यादा है, डैश ज्यादा है और साथ-साथ यह बात भी है कि जितनी सुविधायें इंडस्ट्रियलिस्ट को और स्टेट्स में मिलती हैं वह हमारे यहां नहीं मिलती हैं। श्रीमन्, मैं भी उन लोगों में से पहले था जो कि समाजवाद की बात बहुत करते हैं, और यह बात मेरे दिमाग में थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को रुपया देकर हम एक कैपिटलिस्ट्स सोसायटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स को अपने प्रदेश में हमें इनवाइट करना चाहिये और इनको मैक्सिमम फैसिलिटीज देनी चाहिये यदि हम अपने प्रदेश को इंडस्ट्रिअली डेवलप

करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी आवाज लगती है नेशनलाइजेशन की। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, वह आप कर लीजियेगा। लेकिन पहले कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप तो करने दीजिये, उसके बाद उनका नेशनलाइजेशन भी हो जायगा। हमारे टम्बेश्वर प्रसाद जी को बड़ी शिकायत थी कि चावल की मिलों को नेशनलाइज क्यों कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली तो पब्लिक सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर ही इस देश के अन्दर चलने वाला है। यह जो इंटरिम पीरियड है उसमें प्राइवेट इन्टरप्राइजेज को भी बढ़ाने की जरूरत है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समझा जाता है कि यह जो आई०ए०एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स हैं ये सब काम कर सकते हैं। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसके लिये आपको एक अलग कैडर बनाना पड़ेगा और सेक्रेटेरियट तथा डाइरेक्टोरेट दोनों के अन्दर आपको टेक्निशियन्स रखने पड़ेंगे। क्योंकि जब कोई नया आदमी आता है तो उसको टेक्निकल गाइड्स मिल नहीं पाती है।

इसके साथ-साथ मान्यवर, आपके यहां जो प्रोडक्शन-कम-ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इसमें शक नहीं कि आप स्कालरशिप्स उनमें देते हैं लेकिन जो आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उसको भी आपको रेगुलेराइज करना पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री की जो नीड है उसके अनुसार यह प्रोग्राम चलने चाहिये। होता यह है कि कुछ ट्रेड्स ओवर क्राउडेड हैं और कुछ बिलकुल साफ हैं। लिहाजा कोई फेज्ड प्रोग्राम होना चाहिये और उस प्रोग्राम में ट्रेनिंग को लेकर चलना चाहिये।

एक बात और, हमारे यहां पब्लिक सेक्टर में २ इंडस्ट्रीज हैं। एक तो सीमेंट फैक्टरी है और दूसरी प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी है। जब मैंने इनके आंकड़े देखे तो उनके देखने से कुछ मिसलीडिंग प्रोफिट के सम्बन्ध में मालूम होता है। चूर्क सीमेंट फैक्टरी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें १९६२–६३ में १११ लाख का प्राफिट दिखाया गया है और आगे आने वाले साल के लिये ४० लाख दिखाया गया है। यह ७१ लाख का गेन कहां खत्म हो गया यह मालूम नहीं पड़ता है जब कि उसका प्रोडक्शन सन् १९६२ के मुकाबिले में दुगुना हो गया है और उसका एक्सपेंशन हो गया तो ७१ लाख और कम हो जाय यह बात समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी का प्राफिट सन् १९६२–६३ में १६ लाख दिखाया गया है और आगे १९६३–६४ का १२ लाख दिखाया है किन्तु आगे आने वाले साल में ११ लाख ही प्राफिट दिखाया गया है, एक्सपेन्शन के बाद भी ११ लाख ही उसका मुनाफा रह जाय और उसका मुनाफा घट जाय यह बात समझ में नहीं आती।

समाजवाद की बात कही गई। मैं उन लोगों से इत्तफाक नहीं करता जो हैवी इंडस्ट्री लगाने से समाजवाद के लिये खतरे की बात समझते हैं। मैं यह समझता हूं कि मुल्क में हैवी इंडस्ट्रीज का लगाना दोनों सेक्टर में आवश्यक है। मैंने शुरू में कहा कि राष्ट्रीयकरण से मुझे आपत्ति नहीं है मगर उसका इंटेंशन पोटेंशियलिटी बढ़ाने का हो। मैं यह चाहता हूं कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पारटिसिपेशन जरूर किया जाय। पब्लिक सेक्टर में उसको सरकार करे और प्राइवेट सेक्टर में मिल ओनर करें। अगर मजदूरों को पारटिसिपेशन मैनेजमेंट में हो जाय तो इससे यह होगा कि उनकी दिलचस्पी पैदा होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस प्रकार का औद्योगीकरण अगर हमारे यहां हो सके तो इससे देश का और प्रदेश का लाभ होगा और नीचे से कैडर पैदा होगा। यह बात सही है कि हमारे यहां पर कैपिटा इन्कम कम है। यह भी सही है कि दोनों प्लान के बाद भी सब से कम हमारी पर कैपिटा इन्कम रही। उसका कारण यह जरूर मालूम होता है कि यहां पर पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। लिहाजा मैं यह उचित समझता हूं कि औद्योगीकरण के मामले में हम वार-फुटिंग पर आगे बढ़ें। जब हमारे यहां उत्पादन अधिक होगा तभी हम अधिक लोगों को मजदूरी दे सकेंगे। हम १६०० यूनिट खुलने पर २५ हजार आदमियों को काम देने की बात करते हैं लेकिन वह भी हमारा मकसद पूरा नहीं हो

[श्री नवलकिशोर]

सका है क्योंकि लक्ष्य २३ लाख का था। अभी तक सारे देश में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट ७० प्रतिशत जो निर्धारित किया गया था वह हम १५ प्रतिशत ही कर सके हैं। लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय और हैवी इंडस्ट्री के लिये अधिक ध्यान दिया जाय।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट को देखने की कोशिश की कि इनमें शुगर इंडस्ट्री के सम्बन्ध में क्या चर्चा की गई है, लेकिन इसके मुताबिक न तो १९६०–६१ की रिपोर्ट में और न बाद की रिपोर्ट में एक शब्द भी उसके बारे में है। जो १९६४ की रिपोर्ट अभी हाल ही में मिली है उसमें एक शब्द भी उसके सम्बन्ध में नहीं है। आज जरूर एक नोट कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज के बारे में दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शुगर इंडस्ट्री हमारे सूबे की सबसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है? यदि है तो मैं पूछता हूं कि पिछले ३२ सालों में उसमें क्या प्रगति हुई है? आज वह इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। जो हालत इसकी १९३३ में थी वही आज भी है। देश में १९३३ में कुल ५७ फैक्टरियां थीं जिनमें यू० पी० में ३३ थीं, फिर जब १९३६ व ३७ में देश में १२९ फैक्टरियां हुईं तो हमारे यहां ७१ हुईं और पिछले २८ साल से वही हालत हमारी अब भी कायम है। देश में आज १८० चीनी मिलें हैं पर हमारे यहां आज भी केवल ७१चीनी मिलें हैं। हमको एक भी नयी चीनी फैक्टरी नहीं मिली। हम देश की कुल ६२ प्रतिशत शुगर अब तक पैदा करते थे। पर आज हम केवल ३०% पैदा करते हैं। यह हमारा डेवलपमेंट है। गन्ना खेतों में पैदा होता है और इस उद्योग विभाग का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक कृषि मिनिस्ट्री से है। शुगर इंडस्ट्री का इस प्रकार कई मिनिस्ट्रियों में बंटवारा गलत है, हमको केन्द्रीय सरकार की तरह यहां भी व्यवस्था करनी चाहिये। चीनी उद्योग व गन्ना उत्पादन को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नियंत्रण में कर देना चाहिये। आज महाराष्ट्र में पैदावार ४ गुना हो गयी जबकि हमारे यहां जैसी की तैसी रह गई है। उनके यहां २००० मन गन्ना होता है एक एकड़ में, हमारे यहां ३ या ४ सौ मन गन्ना प्रति एकड़ उत्पन्न होता है। रिकवरी भी हमारे यहां नहीं बढ़ी है। पहले सन् १९३६–३७ में गन्ने की पैदावार थी १४.९३ टन जो अब है १४.८३ टन प्रति एकड़ रिकवरी भी १०.१५% से घट कर ९.६% ही रह गयी है। ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि रिकवरी घट गयी, यील्ड भी घट गयी। हमारी सरकार ने ८० लाख रुपया सेस का लिया लेकिन खर्च किया कुल १२ या १३ लाख। एक्साइज ड्यूटी ली गयी ६० करोड़ के करीब, जिसमें से शायद दो आना रुपये के हिसाब से गन्ना के विकास पर खर्च हुई हो। जितनी सेस और एक्साइज ड्यूटी ली गयी है उसका यदि चौथाई गन्ना विकास पर अब तक खर्च हुआ होता तो आज चीनी व्यवसाय महाराष्ट्र के चीनी व्यवसाय से आगे होता। अगर इस इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो आपको यह Cess व Excise duty का सारा रुपया गन्ने के डेवलपमेंट के लिये खर्च करना चाहिये और विशेष ध्यान देना होगा। कोआपरेटिव की ३ शुगर फैक्टरीज प्रदेश में काम कर रही हैं। एक रिसर्च पर पारसाल ९.५० लाख का फायदा है, एक में ०.३३ लाख का फायदा है और तीसरी में घाटा है। पर बाकी प्राइवेट मिल मालिकों को बहुत फायदा है। इस प्रकार जो आपकी पब्लिक सेक्टर में फैक्टरीज खुली हुई हैं उनमें घाटा हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में शुगर इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण के लिए कहा कि कम्पेन्सेशन देने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। मैं बताता हूं कि जो भी आपकी शुगर फैक्टरीज हैं यह ३०साल पुरानी हैं। अगर एक फैक्टरी पर १८ लाख की लागत लगी थी तो उसने अब तक ५० लाख पैदा कर लिया होगा। फिर उनका डिप्रिसियेशन फंड बहुत अधिक है। इसलिये उनको कम्पेनसेशन देने की बात पैदा ही नहीं होती। मैं समझता हूं कि आपको इसलिये उनका नेशनलाइजेशन तुरन्त करना चाहिये।

यह वह समय है जब आपको अपने दुश्मनों से मुकाबिला करना है। चीन से हमें मुकाबिला लेना है। वहां जिस रफ्तार से तरक्की हो रही है, हमारे यहां उतनी तरक्की नहीं हो पायी है। उसका कारण क्या है, उस तरफ हमको देखना चाहिये।

गोरखपुर में आपने एक खाद का कारखाना खोलने का डिसीजन लिया था। आज ४ साल उस फैसले को लिये हुये हो गये मगर अब तक वहां पर केवल थोड़ी बाउन्डरी वाल ही बन पायी है, और कुछ नहीं हुआ है। जिस फैक्टरी के लिये कहा गया था कि थर्ड प्लान के अन्त तक तैयार हो जायेंगी, उसके बनाने में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। वहां निर्माण में अब भी कोई प्रगति नहीं हो रही है। ऐसे व्यक्ति को वहां मैनेजर रखा गया है जिनको उसका कोई ज्ञान तक नहीं है। मैं चाहता हूं ऐसे आदमियों को वहां से तुरन्त हटाया जाय। मैं चाहता हूं कि आप उसकी जांच करें कि गोरखपुर में जो फैक्टरी बन रही है उसकी क्या प्रोग्रेस है। यह कारखाना पूर्वी जिलों के लोगों को रोजगार देने के लिये खोला गया है पर अब तक जो ५०० व्यक्ति भर्ती हुए हैं उनमें से ५% भी गोरखपुर या पूर्वी जिलों के नहीं हैं।

आज हमारे यहां कोई स्टील फैक्टरी नहीं है और कच्चे माल के अभाव में हमारी औद्योगिक प्रगति रुकी हुई है। हमारे यहां पिग आइरन का अभाव है। अब हमारे यहां सिंगरौली में कोल भी मिल गया है, फिर क्या वजह है कि स्टील फैक्टरी यहां नहीं लगायी जाती? स्टील फैक्टरी यहां के लिये बहुत एसेंशियल चीज है। यह सबसे बड़ा सूबा है। आप कोशिश करें कि यहां अटामिक प्लान्ट लगाकर उसके द्वारा बिजली पैदा की जाय। हम चाहते हैं कि आप हमारे यहां इंडस्ट्री को तेजी से डेवलप करें और इसके लिये आप सेंटर को कम्पेल करें कि वह एक Steel plant और एक Atomic Power House बनावे।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस इंडस्ट्री की अनुदान की ताईद में खड़ा हुआ हूं। यह जो ११ करोड़ रुपये का अनुदान है, मैं महसूस करता हूं कि बहुत कम दिया गया, जब कि हर तरफ चीख-पुकार है कि सूबे में इंडस्ट्री की बड़ी खराब हालत है और जब कि पुलिस को १३ करोड़ आपने दिया तो इसको कम से कम २० करोड़ मिलना चाहिये था। मैंने जब इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब की इस अनुदान पर तकरीर सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ और तफसील के साथ बयान किया। सूबे में इंडस्ट्री के मामले में तरक्की हुई है। अगर कोई कहे कि नहीं हुई तो मैं यह कहूंगा कि वह दिन को रात कहता है, वह गलत बात है। यह ठीक है कि जिस पैमाने पर होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि स्माल स्केल इंडस्ट्री की तरफ उनका ध्यान है, अगर उस तरफ तवज्जह दी गयी और घरेलू दस्तकारी पर जोर दिया गया तो हमारा सूबा बहुत जल्दी तरक्की करेगा। जहां तक जल्दी तरक्की न होने का सवाल है तो वजह यह थी कि बिजली न होने से जितना रुपया हमको मिलना चाहिये था उतना सेंटर ने नहीं दिया। जब बिजली आ गयी है तो हम सोचते हैं कि तरक्की जरूर होगी।

अब मैं अपने कानपुर के हालात से इस हाउस को मुतनब्बे करना चाहता हूं। यह ठीक है कि डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने बड़ी होशियारी से काम लिया। पहले बड़ी सुस्ती से स्टाफ काम करता था—अब मेरठ से जो डायरेक्टर गये हैं, मेरे पास रिपोर्ट है कि नये डायरेक्टर ने बड़ी खूबी के साथ काम शुरू किया है। जो अधिकारी वक्त पर नहीं जाते थे आज १० बजे हाजिर हो जाते हैं। फायलें देखी गयीं, जिनके केसेज बहुत देर से पड़े हुये थे यह किया गया कि कैसे उनको जल्द कम्पलीट किया जाय। मैं खुश हूं। अगर इंडस्ट्री के अफसरान इस तरह से काम करेंगे तो जरूर तरक्की होगी।

[श्री एस० जी० दत्त]

दूसरी बात है कि इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्री को ही दे देना चाहिये। मुमकिन है मेरा यह सुझाव प्रैक्टिकल न हो लेकिन इसको देखा जाय। जैसे चीनी और लोहे का मामला है। चीनी का तो खास तौर से। हमारा सूबा सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है लेकिन इस सूबे के लोगों को चीनी नहीं मिल रही है। तो फिर मैं उस शेर की तरफ आपकी तवज्जह दिलाता हूं:—

"जिस खेत से किसान को मयस्सर न हो रोटी,
उस खेत के हर खोसये गंदुम को जला दो।"

जिस सूबे में चीनी सबसे ज्यादा पैदा हो, उस सूबे के रहने वाले को चीनी न मिले। अगर यह डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट के मातहत होता तो मेरा खयाल है कि यह तकलीफ न होती।

इंडस्ट्री की तरक्की की बाबत मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहां फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्री है। बड़ी खूबसूरती से काम हुआ, तरक्की हुई, माल बाहर जाता है, सरकार को आमदनी होती है, डालर मिलता है जिसकी सरकार को जरूरत है। नफीस से नफीस साड़ियां बनारस से बाहर जाती हैं। उनकी जरूरत इतनी है कि हम पूरी नहीं कर सकते। मुरादाबाद से नक्काशी का काम, पीतल का काम, तालों का काम सब बाहर जाता है। लेकिन अफसोस है, जैसा कि मिनिस्टर महोदय ने भी कहा कि हमको कच्चा माल नहीं मिलता है। वह कहते हैं कि सेंटर नहीं देता है। मैं कहता हूं कि आप सेन्टर के सिर पर सवार हो जाइये कि हमारी तादाद को देखते हुये जो हमारे सूबे में और जो हमारी जरूरत है उसके मुताबिक हमको कच्चा माल दीजिये।

हमारी कटौती के प्रस्तावक टम्बेश्वर प्रसाद जी ने इस अनुदान के साथ एक अजीब मजाक किया है। वह फरमाते हैं कि ११ करोड़ से काटकर सिर्फ एक रुपया रखा जाय। अब इनके हाथ में अलादीन का चिराग है क्या जो सारे सूबे में इंडस्ट्री १ रुपये में चला देंगे? अगर आप कहते कि १० करोड़ ९९ लाख ९९ हजार ९ सौ ९९ रुपये रखा जाय तो बात समझ में आती।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अगर आप अपनी सरकार से १ रुपया मनवा दें तो चलिये मैं वही कर दूंगा।

श्री एस० जी० दत्त—

बहरहाल जो कुछ भी हो मैं आपकी जहानत की तारीफ करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं कि माननीय सदस्य ने अभी माननीय टम्बेश्वर प्रसाद के लिये "जहालत" शब्द का प्रयोग किया कि वे उनकी जहालत की तारीफ करते हैं। यह शब्द अनुचित है। वे वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको शायद मालूम नहीं उन्होंने यह नहीं कहा है। मैंने तो वह बात नहीं सुनी। अगर कोई लफ्ज होगा तो वह निकाल दिया जायगा।

श्री एस० जी० दत्त—

मैंने जहानत कहा था जिसके माने होते हैं अक्ल और मेरे भाई साहब कहते हैं जहालत कहा। भला बताइये एक रुपये में किस तरह से इंडस्ट्री चल सकती है। एक शेर है—

इस अदा पर कोई क्यों न मर जाये ए खुदा,
लड़ते हैं और हाथ में तलवार नहीं है।

इसलिये अगर आप क्रिटिसाइज ही करते हों तो वह क्रिटिसिज्म हेल्दी होना चाहिये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपने भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वह सब कुछ नहीं कर पाये जो हमें करना चाहिये था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन-सा ऐसा काम है जो उसने इन १३ सालों में दूसरे प्रदेशों से ज्यादा किया हो। प्रश्नों के घंटे में हैल्थ मिनिस्टर साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश में १२०० से ज्यादा अस्पताल हैं जिनमें से ३०३ के अन्दर डाक्टर नहीं हैं। कोई चीज भी तो इस सरकार की ऐसी नहीं है जो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा हो। खास तौर से इन्डस्ट्री के मामले में तो यह प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिये हमारे यहाँ जमीन पर ज्यादा दबाव है, जब हम इन्डस्ट्रीयलाइजेशन करेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है बड़ी इन्डस्ट्री के लिये। इसलिये हमें छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज को अपनाना चाहिये जिससे बेरोजगारी दूर हो, देहातों और शहरों के लोगों को काम मिले। जहां एक ओर इस सरकार को यह चाहिये कि वह छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा दे, सरकार ने चीनी मिल मालिकों से मिल कर इस प्रदेश के मुख्य धंधे खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इस धंधे में १५ लाख आदमी लगे हुए हैं और ५ करोड़ की पूंजी लगी हुई है। सरकार ने इस वर्ष नये-नये प्रतिबन्ध लगा कर उनको मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। नये क्रशरों को लाइसेंस नहीं दिया है पुराने क्रशरों को चलाने में भी अड़चनें डाली हैं। यह ठीक है कि चीनी को प्रोत्साहन देने के लिये आपने गुड़, खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगाया लेकिन आपने इस धंधे में लगे हुए १५ लाख आदमियों का क्या बंदोबस्त किया। इस बात को भी तो आपको देखना चाहिये था। खांडसारी इन्डस्ट्री के सिलसिले में खास तौर से पश्चिमी जिलों को बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर आपने क्रशर बिलकुल नहीं खोलने दिये और इसमें जो पैसा लगा हुआ है वह सब गारत हो रहा है। टैक्स लगा कर सरकार ने और इस उद्योग को बेकार कर दिया है। लाखों रुपया सरकार ने इस उद्योग वालों को कर्जा दिया हुआ है। जब इस इंडस्ट्री पर आप लगातार पाबन्दी लगाते जायेंगे और यह इन्डस्ट्री चल नहीं पायेगी तो फिर सरकार किस तरह से अपने पैसे की रिकवरी उससे करेगी।

मुरादाबाद ब्रास वेअर की दूसरी ऐसी इन्डस्ट्री है जो हिन्दुस्तान में किसी दूसरी जगह नहीं है और उनकी मांग हिन्दुस्तान के बाहर भी है। अमेरिका में भी इसकी बहुत ज्यादा खपत है। यह ऐसी इन्डस्ट्री है जिससे सरकार तकरीबन ढाई करोड़ रुपया हर साल फारेन एक्सचेंज कमाती है। लेकिन सके लिये इन १५–१६ सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया है। जितना रा-मैटीरियल वहां लगता है उसका दो परसेंट ही सरकार दे पाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटीज वहां रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को कोटा दिया जाय और अलग-अलग लोगों को कोटा न दिया जाय। इसके अलावा सरकार ने एक हमला और किया सेल्स टैक्स लगाकर। इससे सरकार २ लाख सालाना कमाना चाहती है। मैं सरकार से पूछता हूं कि जब आप इस इन्डस्ट्री को रा-मैटीरियल नहीं देते हैं, कोटा नहीं देते हैं फिर किस तरह से आप उनसे वह रुपया वसूल कर सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक मेमोरेन्डम पेश किया और फाइनेन्स मिनिस्टर से प्रार्थना की कि उनका सेल्सटैक्स माफ कर दें। वहां पर कारखाने बन्द कर दिये गये। एक तरफ तो इन्डस्ट्रीज को बढ़ाकर बेरोजगारी दूर करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह से प्रतिबन्ध लगाकर ऐसी बातें की जायें, समझ में नहीं आता। दूसरा रोजगार एक पावर लूम है यानी हाथ से कपड़ा बुनना है। सरकार ने इस सिलसिले में सुझाव रखा कि इसमें तेजी से काम हो और ४ जगह ऐसे सूत के कारखाने खोलें एक टांडा में, दूसरा संडीला में और तीसरा मऊनाथ भंजन में और चौथा एक और जगह है। इन चारों कारखानों में २ लाख इन्डस्ट्रीज को दे पाये हैं। जो छोटे बुन कर हैं सरकार ने इस तरह के डायरेक्शन भेजे हैं कि डायरेक्टर उनको

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

कर्जा न दे। वर्किंग कैपिटल के कारण पावर लूम की इन्डस्ट्रीज तबाह हो जाय। उन लोगों के हाथ में चली जाय जिनके पास पैसा हो। आप इसको देखें कि पब्लिक सेक्टर की चीज फिर प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार का प्रबन्ध करे कि जितने लोन की जरूरत हो सरकार दे। ब्लाकों का सदन में बहुत जिक्र किया जाता है और जोर दिया जाता है कि ब्लाकों में वर्कशाप कर दी गयी है जिससे लड़कों को ट्रेनिंग हो जाय कि वे अपने हाथ से काम करना सीखें। श्रीमन्, मैं अपने जिले को जानता हूं कि वहां पर जो वर्कशाप्स हैं उनमें कोई सिखाने वाला ही नहीं है, कोई औजार नहीं है। उन लड़कों का इस प्रकार से जीवन खराब किया जा रहा है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि सरकार खांडसारी से प्रतिबन्ध हटाये और ब्लाकों में जो वर्कशाप्स हैं उनके अन्दर ट्रेन्ड मास्टर भेजे। मुरादाबाद के ब्रासवेयर पर सेल्स टैक्स हटाये और कोआपरेटिव सोसाइटीज से रैस्ट्रिक्शन हटाये ताकि इन्डस्ट्रीज पनपें और हमारे आदमी ज्यादा काम कर सकें और हमारे प्रदेश और देश की बेरोजगारी दूर हो सके।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष जी, मैं उद्योग मंत्री ने जो मांग प्रस्तुत की है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले अपने मुख्य मंत्री महोदया जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने उद्योग विभाग को अपने पोर्टफोलियो में लेकर उसकी इम्पोर्टेन्स को बढ़ाया। अब जितनी इम्पोर्टेन्स बढ़ाई है उनको चाहिये कि उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों को इन्वाइट करें कि वे लोग उत्तर प्रदेश में इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए आवें। अपने स्टाफ, पी० ए०, और सेक्रेटरी आदि को आदेश दें कि जो इन्डस्ट्रिलिस्ट्स बाहर से आते हैं अगर वह कोई इन्डस्ट्रीज प्रदेश में लगाना चाहते हैं अगर मुख्य मन्त्री से मिलना चाहते हैं तो वे फौरन उनका मुख्य मंत्री से एप्वाइंटमेंट करावें। यह न हो कि वे लोग घंटों बैठे रहें। आज अपने प्रदेश में इन्डस्ट्रीज न लगने का यह भी कारण है कि उन्हें मुख्य मंत्री से मिलने में बहुत समय लगता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि मुख्य मंत्री जी ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में कुछ चेंजेज किये हैं और इस बात की पूर्ण आशा है कि इस प्रदेश में इंडस्ट्री अवश्य बढ़ेगी। हमारे शहर लखनऊ में अपर इंडिया पेपर मिल है और जब मिल वाले एप्लाई करते हैं कि फलां रा-मेटीरियल हमको दिया जाय तो उद्योग विभाग की यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि उनको वह चीज मुहैइया करें और उसका रेट सरकार फिक्स करे तब वह रा-मैटीरियल उनको सप्लाई किया जाय। यह प्रोसीजर एडाप्ट किया जायगा तभी प्रदेश में इंडस्ट्रीज बढ़ेगी।

हमारी स्टेट और सेंटर में कोआर्डिनेशन नहीं है। जो प्रदेश में एसेंशियल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनको परस्यू करने के लिये दिल्ली में एक सीनियर आफिसर रहना चाहिये।

तीसरे जो रा-मैटीरियल का अलाटमेंट है हर जोन में ज्वाइंट डायरेक्टर जो प्राविन्शियल सिविल सर्विस का सीनियर आफिसर है रा-मैटीरियल का अलाटमेंट किया करे। दूसरे जिनको रा-मेटीरियल मिले उनकी एक लिस्ट बना कर आफिस में टांग देना चाहिये ताकि जिनको रा-मैटीरियल नहीं मिला है उनको अपनी बात कहने का मौका मिल सके कि उनके साथ ज्यादती की गयी है और उससे यह भी पता चल जायगा कि जो रा-मैटीरियल लोगों को मिलता है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं।

चौथे एक सीनियर आफिसर मुकर्रर किया जाय स्टेट में जो लैंड, बिजली और रा-मैटीरियल तथा रुपया इन चारों चीजों का इंडस्ट्रीज में वितरण लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को करे और जोन्स में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये एक ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया जाय, और अगर वह सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक का हो तो ज्यादा अच्छा होगा। उस पर पब्लिक को ज्यादा विश्वास होगा।

हर जिले में १५, २० हजार लागत की १०, १० स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जायं उसके लिये डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के बजाय जिलाधीश को अधिकार दिया जाय कि उसकी वह छान-

बीन किया करें क्योंकि जिले के बारे में जिलाधीश को पूरी मालमात रहती हैं और लोग उसके पास आसानी से दौड़ धूप भी कर सकेंगे। जिला उद्योग अधिकारी जिलाधीश के डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए और उसमें कार्य-क्षमता और उद्योग को बढ़ाने की लगन होनी चाहिए केन्द्रीय सरकार ने जो फर्टिलाइजर फैक्टरी गोरखपुर को अलाट की है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब कि पूर्वी जिले इतने पिछड़े हुये हैं फिर भी उसके लगाने में कोई प्रगति मुझे नहीं दिखाई पड़ती। हमारे उद्योग विभाग को कामर्शियल लाइन पर काम करना चाहिये। जो उद्योग हम लगायें वह इस हिसाब से लगायें कि जिस तरह से कि प्राइवेट सेक्टर के मालिक काम चलाते हैं और जिस चीज की उन्हें जरूरत होती है उसे फौरन लाकर वह प्रगति में बाधा नहीं पड़ने देते और काम को चलाते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां चुर्क सीमेंट फैक्टरी है वहां पर एक पुर्जा खरीदने के लिये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंक्शन लेना पड़ती है। उद्योग साहित्य को पढ़ने से मालूम हुआ कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जो नुकसान दिखाई पड़ता है और वहां की जो प्रगति है वह इतनी नहीं है जितना कि उस उद्योग में सरकार का रुपया लगा हुआ है। उसका कारण यह है कि सामान खरीदने में फाइनेंस विभाग रोड़ा अटकाता है। इस वास्ते यह जरूरी है कि उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये स्थानीय मैनेजर को पूरी पावर हो कि जो चीज चाहिये वह उसको खरीदे।

इस बजट में ६६ हजार रुपया स्कालरशिप के लिये रखा गया है। हमारे यहां प्रशिक्षित लोगों की कमी है और यह जरूरी है कि स्कालरशिप का प्राविजन बढ़ाया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के पढ़ सकें और अधिक टेक्निकल आदमी मिल सकें।

हमारे एक साथी माननीय सदस्य ने बताया कि फलों की फैक्टरी रामगढ़ और फूलबाग में कामर्शियल लाइन पर चलाई जायं जैसा कि आडिट और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में सजेशन दिया गया है, यह ६२–६३ की रिपोर्ट में दिया हुआ है। पहाड़ के एक माननीय सदस्य ने बताया कि किछा की शुगर फैक्टरी ६–७ साल से बन्द पड़ी है। उसके बारे में सरकार को फैसला लेना चाहिये कि वह कोआपरेटिव में चले या सरकार खुद उसको चलावे। वहां के खेतिहरों को बड़ी दिक्कत हो रही है, उनके गन्ने की खपत की बड़ी समस्या है।

हमारे सूबे में एक बड़ी जरूरत इस बात की है कि एक इंडस्ट्रियल सर्विसेज कैडर बनाया जाय। इसका कारण यह है कि जो आई० ए० एस० आफिसर हैं वह टेक्निकल लोग नहीं हैं और इस बात की बहुत जरूरत है कि इन टेक्निकल कार्यों के लिये टेक्निकल सर्विस के लोगों की जरूरत है। इन चन्द शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)——

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है जिस पर कि आज विवाद चल रहा है। अपनी ग्रान्ट को पेश करते हुये ट्रेजरी बेंचेज की ओर से माननीय उप मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि हम लोगों में जो हमारी उद्योग की प्राग्रेस है उसमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण हमारे सूबे की इंडस्ट्री सफर कर रही है। पिछले दिनों जब कि उद्योग मंत्री माननीय फूल सिंह जी थे तो उनके सामने कई बार इस तरह की शिकायतें और सूचनायें उनके नोटिस में लाई गईं कि प्रदेश में फलां फलां नगर के अन्दर इस तरह से इंडस्ट्री के नाम पर रुपया लिया जा रहा है, कच्चा माल लिया जा रहा है जो ब्लैक में बेचा जाता है। काटेज इंडस्ट्री की हालत यह है कि उसके लिये खादी कमीशन है जिसमें यह होता है कि सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन जो उसका है वह यहां से अपने तरीके से काम करता है और उसमें भी हमारे कांग्रेसी भाई बहुत से ऐसे हैं जो अपनी पोलिटिकल पेंशन के तरीके पर पैसा लेते रहते हैं और इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं है। इमरजेंसी के समय जनता के रुपये का इस तरह अपव्यय कभी उचित नहीं है। इसीलिये प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में पीछे पड़ता जा रहा है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहा करते थे कि हमने पब्लिक सेक्टर में कई बड़े काम किये हैं, चुर्क में सीमेंट फैक्ट्री, प्रिसीजन इंस्ट्रमेंट फैक्ट्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

है, इनके अलावा और किसी फैक्ट्री में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार से कच्चा माल मिलना चाहिये चाहे आयरन हो, कोयला हो, कापर हो। वह भी उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। उसका कारण यह है कि इंडस्ट्री स्थापित करने और उसको बढ़ाने का जिन पर दायित्व है वह कोई परवाह नहीं करता है। दलबन्दी के कारण कुर्सी पाने की होड़ लगी रहती है और निर्माण के काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने का कोई प्रयत्न नहीं करता है। यही कारण है कि प्रदेश की जो मुख्य और प्राचीन इंडस्ट्री थी, जैसे आगरे का चमड़ा उद्योग, मुरादाबाद का बरतन उद्योग, बनारस का सिल्क उद्योग, बरेली की सुरमा इंडस्ट्री जो अरब और यूरोप के देशों तक जाते थे वह बरबाद हो रहे हैं। इन को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, बल्कि गिरे हैं। किसी देश की आर्थिक नीति उद्योगों पर आधारित है, अगर उद्योग सफल नहीं होते हैं तो गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती है जिससे अराजकता फैलती है। एक तरफ आप सिविल डिफेंस की बात करते हैं और दूसरी ओर इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि खेती पर जो जोर पड़ रहा है उसको हल्का किया जाय। प्रदेश की ७५ फीसदी जनता खेती पर आश्रित रहती है उसमें भी उन पर साल में ६ महीने काम रहता है और शेष समय बेकार बैठना पड़ता है। लेकिन दैवी प्रकोप के कारण, पाले के कारण किसानों की और भी बुरी हालत हो गई है। हम वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज या छोटे-छोटे कामों के जरिये आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिये जितनी कोशिश करते हैं उतने ही वह गिरते चले जा रहे हैं। जहां तक जनता के मोरल और देशभक्ति का सवाल है, वह आपके बंगलों और कारों में नहीं उठ सकता है। आप अपना मोरेल भले ही उठा सकते हैं लेकिन उस इंसान को जिसे तीन दिन से खाना न मिला हो, जिसके बच्चे को दवा न मिली हो, जिसकी औरत को तन ढकने के लिये कपड़ा न हो उससे देशभक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। क्या हम उससे आशा कर सकते हैं कि वह नेफा और लद्दाख में मर जाय और हम आराम से बंगलों में रहें, अच्छा खाना खायें, बंगलों में रहें और कुत्ता भी अच्छा खाना खाये? तो यह चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।

श्रीमन्, सुबह हमारे सदन में माननीय बनारसीदास जी ने कानपुर में हड़ताल के बारे में जवाब दिया था उससे मैं समझता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार पूंजीपतियों की पोषक है। वहां पर मैं समझता हूं कि ६ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं इसलिये सब माननीय सदस्यों ने मांग की थी मुख्य मंत्राणी जी से कि वह बीच में पड़ कर इस मामले को ठीक करा दें। यह बात ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों ने भी कही थी। लेकिन माननीय बनारसी दास अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने ६ हजार मजदूरों की परवाह नहीं की बल्कि अपनी जबान से निकली हुई बात का ही उन्होंने खयाल किया। इस तरह से हठ करने वाले मिनिस्टर कैसे इंडस्ट्री को पनपायेंगे।

श्रीमन्, यहां पर कुनबा परवरी, जातिवाद और भाईचारा चल रहा है और चेहरा देख कर रुपये दिये जाते हैं। इस प्रदेश में करोड़ों रुपया अपने भाई, बिरादरी वालों और रिश्तेदारों को दिया गया है। हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के जमाने में १९४७ से लेकर अब १९६४ होने वाला है, इस बीच में करोड़ों रुपया पूंजीपतियों को दिया गया है। मेरे ज्ञान में है कि किसी को २ लाख, किसी को ७५ लाख, किसी को २० लाख रुपया दिया गया है और उन लोगों ने ४ परसेंट सूद पर उसको उठा दिया है। इस तरह की जहां परम्परा बन गई हो कि अगर मुख्य मंत्री गुप्ता होगा तो इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी गुप्ता ही होगा, मुख्य मंत्री अगर पंडित होगा तो इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी पंडित होगा और जहां पर श्रीमती कृपालानी मुख्य मंत्री होंगी वहां पर इंडस्ट्री डायरेक्टर बंगाली होगा वहां इंडस्ट्री पनपाने की बात आप करते हैं।

श्रीमन्, अगर सही माने में इन्हें इंडस्ट्री पनपाना है तो किसान, मजदूर और लेबर को पनपाना होगा। साहू जैन ने हमारे यहां सोडा ऐश फैक्टरी बनाई। विदेशों के रेट से आज

उसका चौगुना पंचगुना रेट है। बार-बार उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कहा गया। लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया क्योंकि वे ब्लैंक चेक हस्ताक्षर करके दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे उप मन्त्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में उस पुराने बर्तन पर कलई करने की कोशिश की है, उस इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में यह कोशिश की है जिसके बारे में वह भली-भांति जानते हैं। मैं कुछ उन बातों की तरफ माननीय उपमंत्री और मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा जो कि मैं समझता हूं हमारी इंडस्ट्री के मार्ग में बाधक हो रही है। सेंटर से जैसा कि सर्वविदित है जो रा मैटीरियल हमें मिलता है वह इतनी कम मात्रा में मिलता है कि आश्चर्य की बात है कि केरल और दिल्ली जैसे प्रदेशों से भी वह कम होता है। कहा जाता है कि वह बैकवर्ड प्रदेश हैं। बैकवर्ड के नाम पर उनको इतना साधन देना और हमको न देना, मैं नहीं समझता कि यह हमारी कमजोरी है या किसकी कमजोरी है? इन कमजोरियों को दूर करना होगा। यदि हमको रा मैटीरियल नहीं मिला तो हम कोई तरक्की नहीं कर पायेंगे।

दूसरी बात मैं आफिसर्स के बारे में कहना चाहता हूं कि जो कानपुर में बैठकर इस उद्योग की तरक्की के नाम पर जो कुछ कर पाये हैं वह अभी माननीया सुशीला रोहतगी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ आंकड़ों से बतलाने की कोशिश की कि हम औद्योगिक क्षेत्र में कितनी प्रगति किये हैं। उसको सुन कर दुख होता है, क्षोभ होता है कि पन्द्रह, सोलह साल के बाद में और लाखों रुपया कानपुर में बैठे हुए इन आफिसर्स को देने के बाद में भी यह तरक्की हम कर पाये हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर दो, तीन विभाग बने हुए हैं। एक तो सर्विस सेंटर है, दूसरा है कामर्शियल इंटेलिजेंस विभाग। इन दोनों विभागों के काम को देखा जाय जिनका कि मुख्यतया काम यह है कि उद्योगों के बारे में लोगों को सलाह दें, स्कीम्स दें और बतलायें कि प्रदेश की प्रगति औद्योगिक तरीकों से कैसे हो सकती है। अगर उसमें किसी आदमी को जाने का मौका मिले तो वहां जो उत्तर मिलेगा उससे बड़ा क्षोभ उसको होगा। मैं अपनी परसनल जानकारी से बताना चाहता हूं, मुझसे लोगों ने बताया जो वहां गये थे कि हमको वहां बड़े ही निरादर का सामना करना पड़ा और यह बड़े ही दुख की बात है। मेरे भाई नवल किशोर जी ने एक बात कही थी कि पंजाब में लोगों के अन्दर डैश है। वह बात सही है, वह मेहनती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यदि उनमें डैश है तो वहां की सरकार और वहां के मंत्री में भी डैश है और वहां के आफिसर्स में भी डैश है। वह यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्री की उन्नति हो और उसके लिए वह तन-मन-धन से रा मैटीरियल देते हैं, पावर देते हैं, किसी भी बात में वह हिचकते नहीं हैं। यहां की बात मैं बताऊं। आगरे में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना हुआ है। सात वर्ष हो गये। साढ़े पांच वर्ष में वहां मीठा पानी उपलब्ध हुआ है और पावर तो आज तक नहीं मिल पाया है। माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने पिछले वर्ष आश्वासन दिया कि वह आगरे को पावर देंगे और दे भी रहे हैं, लेकिन एक वर्ष पहले वहां पावर का नाम निशान भी नहीं था। साढ़े पांच वर्ष में मीठा पानी उपलब्ध हो और सात वर्ष तक पावर न दे सकें तो डैश कहां से आये?

मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर वह चाहती हैं कि इंडस्ट्री की तरक्की अपने यहां हो तो सबसे पहले उनको ओवरहालिंग करनी पड़ेगी कानपुर के अपने डिपार्टमेंट की। मैं व्यक्तिगत तौर से किसी के लिये कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि १७ वर्ष के अन्दर भी उद्योग के क्षेत्र में जो हमारी तरक्की नहीं हुई उसका सबसे बड़ा कारण कानपुर का यह हमारा विभाग और उसके आफिसर्स हैं। उदाहरण के लिये मैं बताता हूं, सौभाग्य से मैं भी उस कमेटी का मेम्बर था, ८ दिसम्बर को मीटिंग हुई थी, तीन महीने बाद लिस्ट आयी है किन-किन को सैंक्शन हुआ है। अब तीन महीने में फार्म भरा जायगा और फिर ६ महीने में रुपया देंगे। यह हाल है इस विभाग का।

इंडस्ट्री की उन्नति की बात कही जाती है। आगरे में जूते का उद्योग है, उसके लिये कहा जाता है कि कोई व्यवस्था नहीं है उनको रुपया देने की। यह कैसे तमाशे की बात है? कहा जाता है कि हम आपके ऊपर दया करते हैं जो कुछ दे देते हैं। माननीय उपमंत्री जी भी जानते हैं कि आगरे का जूता उद्योग रूस और इंग्लैंड आदि देशों से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा ला रहा है। लेकिन उसके लिये कहा जाता है कि हम दया करते हैं। अब तो हर केस में यह कहा जाता है कि हम आपके ऊपर दया करके इस केस को कंसीडर कर लेंगे। बड़ी दयनीय बात है। मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार की नीति कहां तक चल सकेगी? मैं रा मैटीरियल के बारे में बतलाऊं और उदाहरण के लिये उसको यहां पर रखना चाहता हूं कि स्टेनलैस स्टील का १५ टन का कोटा है, उसमें से मुरादाबाद को १४ टन मिलता है। आप बतलाइये कि मुरादाबाद के बने हुये बर्तन इस हाउस के किसी सदस्य ने बाजार से खरीदे हैं। अगर किसी ने खरीदा होगा तो बम्बई के ही बने हुये स्टील के बर्तन खरीदे होंगे। मुरादाबाद के आपको नहीं मिलते होंगे। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री पनपाना चाहते हैं और ऐसे अफसरों को तरक्की देना चाहते हैं तो हमारा उद्योग पनप नहीं सकता है। हमको ऐसे लोगों को बदलना पड़ेगा और जब तक नहीं बदलेंगे तो काम नहीं चलेगा।

खादी कमीशन के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी सरकार का बनाया तमाशा है। इस तमाशे को भी मुख्य मंत्री देखने की कृपा करें। इस तमाशे के नाम पर लघु उद्योगों को जो रुपया दिया जाता है उसका विचित्र बटबारा होता है। उसके बारे में ज्यादा नहीं कहता लेकिन उद्योग को यू० पी० के अन्दर बढ़ाने की स्कीम अच्छी है, हैंडीक्राफ्ट की स्कीम बड़ी सुन्दर स्कीम है लेकिन उसमें हर साल लाखों रुपये का नुकसान होता है। यहां यदि मैं यह कहूं कि लूट मार, एक अजीब किस्म की लूटमार डेवलेपमेंट के नाम पर हो रही है तो यह ताज्जुब की बात नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर किस चीज का डेवलेपमेंट हो रहा है। बर्तनों की पच्चीकारी, नक्काशी वगैरा यही डेवलेपमेंट की स्कीम हैं। क्या आप समझते हैं कि इन चीजों से देश तरक्की करेगा? कहा जाता है कि विदेशी मुद्रा लेते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार हर साल कपड़ा सड़ जाने से लाखों रुपये का नुकसान होता है। गलीचों में खासतौर से लाखों रुपये का हर साल नुकसान होता है। उन चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाय जो कन्ज्यूमर के उपयोग की अधिक हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जितना उद्योग किया जा रहा है उसमें मुख्य मंत्री जी देखें कि कौन-सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वास्तव में कन्ज्यूमर को लाभ हो सकता है। बनारस में डाइंग का काम होता है। आगरा पाइलेट प्रोजेक्ट की स्कीम चल रही हैं। वहां पर १२ आदमी काम सीखते हैं और लाखों रुपया बरबाद होता है। क्या आवश्यकता है जूते बनाने की? वे जूता बनाना नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में नौकरी मिल जाय। मेरा निवेदन है कि उपमंत्री जी इसको देखें कि यह क्या तमाशा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जूते बनाने की ट्रेनिंग पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह इंडस्ट्री के नाम पर प्रदेश को धोखा दिया जा रहा है। मैं आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार से जिन उद्योगों के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। ट्रेनिंग की फैसिलिटी की बात कही गई। आप देखें कि ट्रेनिंग के नाम पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मूंज की ट्रेनिंग, लकड़ी के काम की ट्रेनिंग और हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग के ऐसे काम

हैं कि जिनका अपने बाप दादा से सीखकर वे लोग बनाते हैं और उनसे सीखकर वे अच्छी बनाते हैं। आप उसके अन्दर इतना रुपया व्यय करते हैं तो यह कौन सी तमाशे की बात है ?

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने देहात में अभी तक जिस प्रकार का कार्य किया है उससे इस हाउस को और इस हाउस के बाहर लोगों को बड़ी सान्त्वना मिली है। लोग यह समझते थे कि कुछ आफिसर्स अपनी बपौती बना कर बैठे हैं। उनका ट्रांसफर इस बात का प्रमाण है कि ऐसी बात नहीं है। वे यहां से अलग किये जा सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह प्रदेश में इंडस्ट्री की तरक्की चाहती हैं तो वह देखें कि यह बजट का रुपया कंज्यूमर्स गुड्स में परिवर्तित होकर देश और प्रदेश में जाय और यदि आफिसर्स काम में सफल नहीं होते तो उनको हटा कर दूसरों को मौका दिया जाय। इसके के अतिरिक्त यहां ऐसी स्कीम्स बनायी जायं जैसी कि पंजाब में हैं।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मंत्री जी का बयान और जो आंकड़े उन्होंने दिये उनको मैंने ध्यान से सुना। मंत्री जी ने इस बार कंम्प्टीशन शब्द का भी प्रयोग किया। जहां तक पब्लिक सेक्टर का संबंध है उसमें क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इस संबंध में इकोनामिक डेवलपमेंट नाम की एक पुस्तक है श्री डब्ल्यू० डब्ल्यू रोस्टोव की लिखी हुई, उसमें का कुछ अंश मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"The lesson of history is that the interests of an advancing society are best served when the bulk of industry and agriculture is managed by individuals or firms forced by competition to maximum efficiency, their accounts reflecting true costs and their output responsive to the changing tastes of the people."

(Economic Development by W.W. Rostow.)

इससे सिद्ध होता है कि हमारी सरकार की नीति पब्लिक सेक्टर की तरफ से हट कर प्राइवेट सेक्टर और छोटे उद्योगों की तरफ जाने की है। पब्लिक सेक्टर इस देश में इस परिस्थिति में चलना बहुत कठिन है। इस संबंध में लोक सभा की इस्टीमेट कमेटी ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के संबंध में जो कहा था वह मैं सदन में पेश करना चाहता हूं। एक जुलाई १९५६ में ३० जून १९५७ तक स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने २ लाख २७ हजार २५४ टन सीमेंट आयात किया उसकी कुल लागत खर्च सहित २८७.३९ रुपया थी। उसकी बिक्री का कुल मूल्य २३९.८६ लाख हुआ जो कि लागत से ४७.५३ लाख रुपये कम था। और इस नुकसान को पूरा करने के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने ७ रुपया पर टन एक्साइज ड्यूटी लगाकर ३०६ लाख रुपया मुनाफा दिखाया। इसमें इस्टीमेट कमेटी ने यह विचार प्रकट किया है कि एकाधिकार की बड़ी गुंजायश है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में एकाधिकार की बड़ी संभावना है। और दूसरे यह भी बहुत स्पष्ट कहा कि जब कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी चीज का मूल्य निश्चित करने का अधिकार है तो यह तो और पुष्टि करता है कि उसने अपना एकाधिकार ही बनाया है। जहां तक डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज का संबंध है, म तो समझता हूं कि उद्योग सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है, चाहे इसको चलाएं, खुद खायें या बरबाद कर दें।

अब मैं डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के स्टोर परचेज सेक्शन की कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। मेडिसिनल ड्रग्स के परचेज सेक्शन में रेट कंट्रैक्ट हर साल होना चाहिये था, लेकिन सन् ५५ से लेकर अब तक जब तक पुराने डायरेक्टर रहे होंगे केवल ५ साल ही रेट कंट्रैक्ट निश्चित किया गया जिससे लगभग ४ लाख रुपये का प्रतिवर्ष नुक्सान हुआ। दूसरे, कंट्रैक्ट आफ बिग मशीन्स के संबंध में श्री डी० एन० अग्रवाल ने एक कम्पनी डेजिल कम्पनी है जिसको उन्होंने इल्लिगल कंट्रैक्ट दिया, मुख्य मंत्री जी जानना चाहें तो उसकी फाइल नम्बर ९१७ है। वायर नेटिंग स्कीम के संबंध में भी यह कहा गया कि ५ लाख रुपये की

[श्री रामअधार कनौजिया]

१९६०–६१ में विभिन्न प्रकार की मशीनें मंगायी गयी है वह इस बात वक्त भी शायद कानपुर के उसी दफ्तर के सामने पड़ी हुई हैं। जहां उनको भेजना चाहिये था वह अबतक नहीं पहुंची। अन्डर मोबाइल स्कीम के संबंध में यह कहना है कि एक मोटर जो अब भी वहां है उसके पार्ट्स, टायर और ट्यूब वगैरह सब मिसिंग चले आ रहे हैं और बेकार पड़ा है, लेकिन संबंधित कर्मचारी वेतन बराबर ३ साल से पा रहे है। अन्डर लोन ऐंड ग्रांट्स के संबंध में ५० प्रतिशत नुकसान हो चुका है, जो रुपया दिया गया है उसके मिस-यूटिलाइज होने के संबंध में भूतपूर्व उप मंत्री ठाकुर फूलसिंह ने जांच की थी, क्या हुआ यह पता नहीं चल पाया। एट्थ सेक्शन में श्री ए० आर० कपूर ने साइकिल के पार्टस को विदेश से मंगाने का कोटा अपने एक सन-इन-ला को दिया और वह कानपुर में आना था, लेकिन बाजार में न आकर वह बम्बई में जाकर ब्लैक मार्केट में बिक गया। यह हालत हमारे डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की है।

श्रीमन्, बहराइच में एक चांई सोसाइटी है जो सन् १९५२ में स्थापित हुई थी। उनका काम है कि जो मकानों में लगने वाली चटाई तथा मछली का व्यापार करते हैं। एक दहौरा ताल है उसी में नर पैदा होता है। मगर उसको हर साल नीलाम कर दिया जाता है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जो ४ साल का एवरेज कास्ट हो उसको निश्चित करके नर मछली का ठेका उस सोसाइटी को दे दे, तो ज्यादा अच्छा होगा। छोटे-छोटे आदमी हैं, गरीब हैं, उसको नीलाम में नहीं ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ बातें आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य बात यह है कि आपको इस बात पर विचार करना है कि आज उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है। हमारी समझ में उसका कारण यह है कि इन लघु उद्योगों में जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उनके इस्तेमाल की तरफ हमारा बिलकुल ध्यान नहीं है। उदाहरण के लिये कालपी की कागज इन्डस्ट्री का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। लाखों रुपया वहां की कागज इन्डस्ट्री पर सरकार ने खर्च किया और हर वर्ष करती जा रही है। मिल के कागज से इस इन्डस्ट्री के कागज का मूल्य भी कुछ कम ही होता है। मगर उस कागज के इस्तेमाल की तरफ न तो डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज का कभी ध्यान गया, न स्टेशनरी परचेज विभाग का ध्यान गया और न सरकार का ही ध्यान गया। बार-बार मेरे रिक्वेस्ट करने पर भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये, मैं माननीया मुख्य मंत्री जी का, जो ग्राम उद्योगों में विशेष रुचि रखती हैं, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लघु उद्योगों पर हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर उनकी चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा यह सब रुपया बेकार चला जायेगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैं माननीया मुख्य मंत्री जी का ध्यान इन्डस्ट्रियल इस्टेट की तरफ से ले जाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों में घूमा हूं। जहां भी इन्डस्ट्रियल इस्टेट बनी हैं, मैंने वहां देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें तो बना कर खड़ी कर दी गयी है, मगर वहां पर उद्योगों की स्थापना नहीं हो पायी है। ५–५, ७–७ साल उन इमारतों को बने हुये हो गया है मगर उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो इमारतें बन गयी हैं पहले उनके इस्तेमाल पर हम जोर दें और जब तक उनका इस्तेमाल न हो जाय तब तक नयी इमारतें बनने से रोकें। खाली इमारतें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ी रहने से वहां चूहे तथा अन्य प्रकार के जानवर ही रहने लगते हैं। इससे रुपये का सदुपयोग नहीं हो पाता ।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को तथा उसके आफिस को अपनी नीति में भी कुछ सुधार करना चाहिये । उसे अपनी नीति को बदलना चाहिये । अपने विचारों को बदलना चाहिये । इस विभाग को उद्योग चलाने वालों के साथ हमदर्दी के साथ बर्ताव करना चाहिये, बजाय इसके कि वे उनके कामों में अड़ंगा लगायें । उनकी नीति हर प्रकार से लोगों की हेल्प करना होना चाहिये ।

ब्लाकों में जो ए० डी० ओ० भेजे गये हैं उनके पास काम बहुत कम है । उनका काम केवल घूमना और झूठे आंकड़े इकट्ठा करना ही है । इसलिये मैं इस ओर भी माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

ग्राम उद्योगों को तरक्की मिलनी चाहिये तथा खादी बोर्ड का संगठन फिर से होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)—

हम लोग क्या केवल हाथ उठाने के लिये ही यहां पर आये हैं ? हमें बोलने का समय नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये, आपको भी समय मिलेगा ।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और उनका भी जिन्होंने विरोध में अपने विचार व्यक्त किये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विचारों को तो मैंने सभी सदस्यों के सुना और उनसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी सदस्य ने सम्भवतः मेरी भावनाओं का विरोध नहीं किया । मैं विशेष रूपसे आभारी हूं माननीय शराफत हुसैन का और माननीय नवलकिशोर जी का जिन्होंने यह स्वीकार किया कि समाजवाद का वह नारा जो कि वह लगाते हैं चरितार्थ नहीं हो सकता जब तक कि नीतियों में परिवर्तन नहीं होगा । एक तरह से उन्होंने जन संघ की उनमूल नीतियों का समर्थन किया है जिनको हम कहते चले आ रहे हैं । कांग्रेस के सदस्यों ने एक बड़ी मजेदार बात यह भी कही कि उद्योगों का विकास किया जाय और पूंजीपतियों को इनवाइट किया जाय, लेकिन साथ में यह धौंस भी दी कि जब ये पनपें तो हम राष्ट्रीयकरण कर लेंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि उसके बाद इस प्रदेश को विकास की आवश्यकता रहेगी या नहीं । मेरी राय में अभी पचासों वर्ष भी हमारी वह स्थिति नहीं आ सकती है कि हम पूर्णरूपेण पनप जायें । तो वह धौंस शायद इसलिये है कि वे उधर की कुर्सियों से कुछ चिपके रहना चाहते हैं । लेकिन अब वह समय नहीं रहा है कि गलत सिद्धान्तों या गलत नीतियों में बह जायें उनको चाहिये कि वास्तविकता को देखते हुये यह सोचें कि किस व्यक्ति को महत्व दें और उसी से प्रदेश का भला होने वाला है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय समय कम था । मैं यह भी चाहता था कि हमारी सरकार आंकड़े देती कि निजी उद्योग को पनपाने के लिये उसने क्या-क्या किया । सरकार को बताना चाहिये कि पबलिक सैक्टर में वह आगे क्या करेगी, या उसमें कोई मुनाफा नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

प्रदेश की पूंजी को बढ़ाने वाले वहीं निजी उद्योग वाले लोग हैं जिनके बारे में सरकार ने यहां तक नहीं बताया कि उनको सहायता देने की कोई योजना भी है या नहीं। छत्रपति अम्बेश जी ने और हमारे शरण जी ने टीका में यह स्वीकार किया कि हमारे पुराने अधिकारियों की गल्ती से उद्योग नहीं पनपते हैं। मैं समझता हूं कि नये अधिकारियों के लिये, या नये मंत्री या मुख्य मंत्री महोदय के लिये यह एक वालकैनो पर या ज्वालामुखी पर बैठना है क्योंकि ये पुराने फेल्योर्स की जिम्मेदारी तो उन पर रखते ही हैं परन्तु आगे की बढ़ोत्तरी का भी प्रयास नहीं करते हैं। कहा गया कि टैक्नीकल लोगों को उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिये। आई० ए० एस० वगैरह को दूसरे पदों पर ही रखना चाहिये जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव महत्व के हैं क्योंकि उनकी हर क्षेत्र में जानकारी नहीं होती और उनकी राय केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव महत्व रखती है उनका स्थान भी बड़ा परिवर्तनशील होता है और हम लोग हमेशा मांग किया करते हैं कि उन्हें एक जगह ज्यादा समय तक न रहने दिया जाय। जिन लोगों के पास टैक्नीकल योग्यता है उन्हीं को आगे बढ़ाने से देश का भला हो सकता है। यह भी कहा गया कि कृषि में लगे हुए लोग बेकार बहुत हैं परन्तु उनके पास पूंजी नहीं है। और उस पूंजी के न होने के कारण किस शिफ्ट की आवश्यकता है यानी ऐग्रीकलचर सेक्टर में जो सरप्लस पापुलेशन है वह किसी प्रकार इंडस्ट्री में लगे और उत्पादन को बढ़ायें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी कभी इस प्रकार की किसी भी अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो उसमें बड़े सुनियोजित ढंग से उनको ट्रेन्ड करने की व्यवस्था की गयी है वरना पूंजी होते हुये वह किसी के काम नहीं आ सकती और उससे उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इस समय तक जो हमारी सरकार के कार्य-कलाप रहे हैं उनमें वह असमर्थ रही है किन्हीं लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था की ओर अग्रसर करने में और उसका प्रभाव प्रदेश के आर्थिक अवस्था पर पड़ा है।

एकआध माननीय सदस्यों ने कहा कि पंजाब में बड़ा इनशियेटिव है, बड़ा डैश है, वहां के लोग बहुत मजबूत हैं। मैं यह मान सकता हूं कि यहां अधिक लोगों में वह बात न हो लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सरकार ने इस वक्त तक जो भी साधन उपलब्ध कराये हैं उस कदर प्रर्याप्त लोग इस प्रदेश में है जिनमें वही या उससे भी अधिक डैश है, वह उद्योगों में आगे बढ़ना चाहते है सरकार से वह उत्साह उनको नहीं मिला है। मैं आशा के साथ कि माननीय मंत्री जी केवल यह बहाना लेकर अपने भाषण को समाप्त नहीं करेंगे कि हम क्या करें। हम चाहेंगे कि अपने उत्तर में इस बात का समाधान करेंगे कि आगे आने वाले वर्ष में जो अनुदान हम दे रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। इसके साथ जो १५४ यूनिट्स की बात है उनमें मैंने सुना है कि कुछ तो दूसरे प्रदेश को चली गयी है और कुछ आगे जाने की इच्छा रखती हैं तो वह आगे आने वाले वर्ष में दूसरे प्रदेश में नहीं जायेंगी यहीं बढ़ेंगी यही पनपेंगी, सरकार इसके लिये पूरा प्रबन्ध करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर अपने साथियों की आलोचनाओं और सुझावों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने मित्रों की आलोचनाओं से लाभ बहुत होता है, उससे सरकार जागरूक होती है, उसका ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि जितनी भी आलोचनायें होती हैं वह किसी व्यक्तिगत कारण से तो होती नहीं, न किसी नाराजगी के कारण होती हैं। इस माननीय सदन के सभी सदस्य इस बात के लिये इच्छुक हैं कि इस प्रदेश का औद्योगीकरण हो। अतएव जितने सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये है उन सबका उत्तर देना इतने थोड़े समय में मेरे लिये तो सम्भव नहीं होगा लेकिन इतना विश्वास आपके द्वारा माननीय सदस्यों को दिला सकता हूं कि जितने अच्छे सुझाव आये, एकाध को नहीं कहता सकता गलती से छोड़ गया हूं लेकिन वह भी प्रोसीडिंग्स में होंगे उनको मैं देखूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बहुत देर रहीं उनकी भी नोटिस में लाऊंगा और जो भी सुझाव कार्यान्वित किये जा सकते हैं उनको अवश्य कार्यान्वित किया जायगा जिससे इस प्रदेश का औद्योगीकरण और तेजी से हो सके। श्रीमन्, शिकायतें

होना बिलकुल स्वाभाविक है। माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से यह शिकायत की कि पब्लिक सेक्टर में बहुत कमियां हैं। इसके अलावा कुछ सदस्यों और खास तौर से माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। सब लोगों के अपने अपने सिद्धान्त हैं, और अपनी जगह सही है। यह ठीक है पब्लिक सेक्टर में हर एक काम उतनी खूबी से नहीं होता, उतनी अच्छी तरह नहीं होता और उतना मुनाफा नहीं होता जितना कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। यह ठीक है कि पलिब्क सेक्टर में उत्पादन की कमी की संभावना होती है, मुनाफे की कमी होती है, कारण यह है कि व्यक्ति विशेष जो इन्तजाम करके लाभ किसी कारखाने में उठा सकता है, सरकारी अधिकारी उतना अच्छा इन्तजाम नहीं कर सकते, उतना समय नहीं दे सकते। लेकिन पब्लिक सेक्टर का काम चलाना भी लाजिमी समझा गया क्योंकि व्यक्ति विशेष के पास इतने साधन नहीं होते कि वह उस काम को उतना रुपया लगा कर कर सके। इसके अलावा जो लाभ वहां होता है उसका रुपया जनता के काम आ सकता है। अतएव केन्द्रीय सरकार की भांति उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निश्चय किया कि कुछ काम पब्लिक सेक्टर में चलेंगे और जब तक सरकार में ऐसी क्षमता नहीं आ जाती, उसके अधिकारी अधिक अनुभवी नहीं हो जाते, और चारों तरफ ईमानदारी का स्टैन्डर्ड नहीं बढ़ जाता तब तक प्राइवेट एन्टरप्राइज को भी हम चलायेंगे और उसको भी हम उसी तबियत से मदद करेंगे जिस प्रकार कि उसको मदद करनी चाहिये। मैं तो यही कह सकता हूं कि अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा और सुझाव मिलेंगे तो हम भी चेष्टा करेंगे और ये काम अच्छी तरह से हो सकेंगे।

टम्बेश्वरप्रसाद जी ने कहा कि १५४ लाइसेंसेज इन्डस्ट्रीज के लिये मंजूर हुए लेकिन काम बहुत थोड़ो में हुआ है, शेष काम ही नहीं हुए। मैं माननीय सदन की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि इनमें से २९ लाइसेंसेज रिवोक हुए हैं, ५२ लाइसेंसेज इम्प्लीमेंट भी हो गये हैं, काम शुरू कर दिया है। एक बात और सूचनार्थ निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस में यू० पी० सरकार का किन्चित् मात्र भी दोष नहीं है कि वह लाइसेंस रिवोक हुये। भारत सरकार ३ से ४ साल तक इम्पलीमेंटेशन के लिये देती है क्योंकि विदेशी मुद्रा का इन्तजाम करना होता है, बाहर से मशीनरी आती है और सारे प्रोग्राम को दिल्ली में कैपिटल गुड्स कमेटी अप्रूव करती है इसलिये इस सब काम में देर होती है। तो यह कहना कि तीसरी प्लान में जितने लाइसेंस मिले उतनों ने काम नहीं किया इसके फैसला लेने में हम कुछ जल्दी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा यू० पी० सरकार का कोई दोष इस देरी करने में नहीं है, हम इच्छुक हैं कि यह कारखाने जल्द से जल्द यहां लगें, सरकार की आय जो कि जनता की आय है वह बढ़े, बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसलिये कोई कारण रुकावट डालने का नहीं है।

मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाऊंगा कि यदि इसमें कहीं ढील भी होगी तो उसको जल्दी दूर किया जायगा और कोशिश की जायगी कि वह लाइसेंस जल्द से जल्द इम्पलीमेंट हो जाय।

एक बात यह भी कही गई कि इस कारखाने के खुलने से हम बहुत कम आदमियों को रोजगार दिला सके। अच्छा तो यही होता कि हम सब को काम दिला सकते लेकिन जो यूनिट स्थापित हुये हैं उन में हम ३ लाख के करीब लोगों को रोजगार दिलाने मे समर्थ हुये हैं।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कहा गया। जैसा कि मैंने कहा यह पब्लिक सेक्टर का काम है और इस में मुनाफा एक लाख का ही हुआ जब कि दस करोड़ की लागत लगी हुई है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने दो भागों में बांट कर कहा था। इस साल का मैंने अलग बताया था और ९ साल का अलग बताया था इस वर्ष को छोड़कर।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

यह सही है कि प्रथम वर्षों में इसमें मुनाफा बहुत कम रहा बल्कि कुछ वर्षों में तो नुकसान भी हुआ। जैसा कि मैं पहले कह रहा था हमारे अधिकारियों की जानकारी कम थी, हमारी भी जानकारी बहुत कम है इसलिये जब किसी नये उद्योग को आरंभ करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं। मशीनरी बाहर विदेश से आती है वह यहां नहीं बनतीं, उनके जानकारी भी विदेश से आये उन्होंने कहा यह प्लान्ट दे रहे हैं इस की कैपेसिटी इतनी होगी। उसके बारे में जो एक्सपर्ट उपलब्ध हुये उनसे सलाह ली गई और प्लान्ट खरीदे गये, उन में कुछ दिक्कतें पेश आईं। आप इस में तो हम से सहमत होंगे कि कोई भी कनसर्न जब लगाया जाता है तो आरम्भ में लाभ बहुत कम होता है, लाभ तो जो कमियां हैं उन सब को दूर करने के बाद होता है। शुरू में हानि हुई उन आंकड़ों से जाहिर है लेकिन देखना यह होगा कि यह उद्योग अब प्रगति की ओर जा रहा है या नहीं, यदि अब भी नुकसान हो रहा है तो हमें उसके कारणों पर गौर से देखना चाहिये और यदि अब भी नुकसान हो रहा है और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो हमें सोचना होगा कि हम उसे चलायें या बन्द करें क्योंकि नुकसान देने को कहां से पैसा आयेगा? लेकिन इस वक्त जो मेरे पास दस साल के आंकड़े हैं उन को सदन की सूचनार्थ मैं यहां पढ़कर सुना दूं। सीमेंट बिक्री १९५४–५५ में ७५,४२,४६२ रु० की हुई, बिना ब्याज के मुनाफा ९,४०,४५६ रु०, ब्याज ९,३७,२०४ रु० हुआ। डेप्रीसियेशन १३,८५,२३४ रु० हुआ, जो कैपिटल लगा था वह ४,६८,६०,२८१ रु० का था। १९५५-५६ में १,६६,०५,८९३ रु० का सीमेंट बिका, १९५६–५७ में १,७९,५४,५९९ रुपये का सीमेंट बिका और १९६२–६३ में ३,६५,४७,५१९ रु० की सीमेंट की बिक्री हुई है। मुनाफा भी ५५,००,००० रु० हुआ है। एक बात श्रीमन् बता दूं कि जो सीमेंट फैक्ट्री का हिसाब मुनाफा लगाने का है यह हमारे बस में नहीं है। हर एक फैक्ट्री ओनर अपनी चीज पर मुनाफा लगाने का खुद अधिकारी होता है, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया अन्डरटेकिंग इस माने में गवर्नमेंट आफ इंडिया टैरिफ बोर्ड की सलाह पर कीमत निर्धारित करती है। उन्होंने तय कर दिया है कि जो रुपया आपका उस काम में लगा होगा उस पर ६ परसेंट से ज्यादा मुनाफा आपको नहीं देंगे, चाहे मुनाफा मानिये चाहे सूद मानिये। आपने देखा होगा आडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़िये वह कहते हैं इसमें नुकसान है। तो उस हिसाब से यदि ब्याज और मुनाफा चाहें तो मिल नहीं सकता क्योंकि कीमत जो निर्धारित करते हैं वह कहते हैं कुल लगत पर ६ परसेंट ब्याज के हिसाब से देंगे। इसलिये मुनाफा बढ़ नहीं सकता। लेकिन...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

जो केन्द्रीय वित्त मंत्री की स्पीच है वह आपकी स्पीच से भिन्न है। उन्होंने कहा जितनी पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं उनमें इतना मुनाफा लेंगे कि आगे का डेवलपमेंट भी फाइनेंस हो जाय।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अभी तक हम लोग इसी कानून के मातहत फंक्शन कर रहे थे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

हो सकता है मेरी जानकारी बड़ी सीमित है, इसलिये मुझको मालूम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो रूल लागू हैं वह मुझे मालूम हैं और उनसे बारबार कहने पर भी वह तैयार नहीं हुये कि वह हमको ज्यादा मुनाफा दे दें।

इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के बारे में माननीय नवल किशोर जी ने कहा था कि इसमें जो आंकड़े दिये हैं वह भिन्न हैं उनसे जो मैंने प्रस्तुत किये। आडिट रिपोर्ट, कैश बैलेंस जो होते हैं उसके फिगर दे देते हैं, बैलेन्स शीट उसमें नहीं दी जाती है। मैंने जो आंकड़े दिये हैं वह सही और ऐक्चुअल पोजीशन को ही बताते हैं। इसमें मुनाफा लगातार हो रहा है, उसकी क्षमता बढ़ रही है और जो ऐक्सपेंशन इस समय हो रहा है उसके होने के बाद भी काफी उत्पादन बढ़ेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा यह कहा गया कि उद्योग विभाग में नियुक्तियां, ट्रांसफर जाति के नाम पर होते हैं। स्वभाव से

में व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता और आज के दिन यह विचार किसी के मन में आये तो बेजा है, जो करते हैं वह तो गलत करते ही हैं, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा सोचा जाना भी भ्रमपूर्ण है। एक माननीय सदस्य ने कहा जिस समय चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री थे तो डायरेक्टर भी करना गुप्ता जरूरी था। मैं उनके सूचनार्थ बता दूं उस समय डायरेक्टर श्री समीउद्दीन हक थे। कोई गुप्ता नहीं थे। अब जब से मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी ने चार्ज लिया है उनसे कुछ ऐसा कहा गया कि उद्योग का ठीक से काम नहीं चल रहा है। तेजी लाने की आवश्यकता है। तो बिना इस बात को विचार किये किन किन अफसरों का दोष था मुनासिब समझा, ज्यादा गति लाने के लिये सरकारी मुलाजिमों को जो आई० ए० एस० आफिसर्स हैं, वे लोग वे हैं कि जहां भी काम करेंगे वहां ही तनख्वाह लेंगे, बदला जाय। दूसरे वे टैक्निकल परसोनेल भी नहीं थे। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह दिन उत्तर प्रदेश के लिये सौभाग्यशाली होगा जिस दिन टेक्निकल परसोनल उपलब्ध हम को हो सकेंगे। यह सही है कि उद्योग विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें टेक्निकल शिक्षा की भी बड़ी आवश्यकता होती है। टेक्निकल आदमी अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन श्रीमन्, लायें कहां से। आप देखें कि एक्सपैन्शन सेन्टर्स ग्रामों में तैयार कर रहे हैं। पोलीटैक्निक में भी डिप्लोमा तैयार कर रहे हैं और डिग्री कालिजेज में शिक्षा दे रहे हैं। यह ठीक है कि छोटे छोटे टैक्निकल परसोनल मिलने लगे हैं, उसमें भी कुछ कमी है लेकिन बड़े कामों के लिये टैक्निकल योग्यता के मिलना कुछ कठिन है। इसलिये ये तबादले किये गये हैं। जातिवाद के आधार पर नहीं किये गये हैं बल्कि इसकी गति को तेज करने के लिये किये गये हैं, इसलिये कि उद्योगीकरण प्रदेश में जल्दी हो, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों की इच्छा है।

एक बात की ओर और जोर से कहा गया है और मुनासिब कहा गया है कि हम जो कर्जा बांटते हैं उसका दुरुपयोग होता है। उस विशेष काम में वह कर्जा नहीं लगता जिस काम के लिये दिया जाता है। माननीय सदस्यों का गतवर्ष के भाषण की ओर जो माननीय फूलसिंह जी ने दिया था, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्हें संभवतः स्मरण होगा कि श्री फूलसिंह जी ने और सौभाग्य से मुझे भी उनके पास काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने इस की पूरी कोशिश की और हमने कहीं पर रामैटिरियल का मिस यूटिलाइजेशन पाया, कहीं रूल्स का मिस यूटिलाइजेशन और कहीं यह पाया कि जो धन दिया गया वह अच्छी तरह से उपयोग में नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह दूं। माननीय मंत्री जी की कहने के अनुसार मैं २—४ जगह गया। मैंने ४२ यूनिट एक विशेष स्थान पर देखे बिना सूचना दिये हुये। मुझे केवल २ यूनिट को छोड़कर ऐसा कोई यूनिट नहीं मिला जिससे जाली काम हो रहा है। यह मैं मानता हूं और इसको मानने में मुझे को कोई संकोच भी नहीं है कि जितना कच्चा मैटिरियल हम दे रहे हैं उससे उत्पादन ४—५ गुना अधिक है। प्रश्न यह उठता है कि उत्पादन गिरता है कहां से। श्रीमन्, अगर हम उस चीज में चले जायें तो कारखानें वालों को दिक्कत हो जायगी उत्पादन बढ़ाने में। इस समय यही उचित है कि कारखानों में उत्पादन बढ़े। हमारे लोगों को रोजगार मिले। मिर्जापुर में हाथ से काम हो रहा है। वहां २० हजार मजदूर हैं जो आस पास से आते हैं और पीतल और तांबे का काम करते हैं। ऐसे उद्योग धंधे जो चल रहे हैं, उनको चलाना भी बिल्कुल लाजमी है।

जहां तक फंड का ताल्लुक है केवल एक सवाल है। मैं इस बात को भी कह दूं तो बेजा न होगा कि शुरू में जो रुपया हमने लोगों को कर्जे में दिया उस समय उत्तर प्रदेश में उद्योग करने वालों की संख्या बहुत कम थी। कोशिश इस बात की हुई जिला लेविल पर कि हम उद्योग वालों को ढूंढ़ कर निकालें तब उनको रुपया दिया जाता था। क्योंकि जानकारी नहीं थी उस समय इसलिये जो रुपया दिया काम करने के लिये तो कुछ ने किया और कुछ ने नहीं किया। सवाल यह है कि जो रुपया हमने दिया वह वसूल कर रहे हैं या नहीं। नियम यह है कि जो रुपया इंडस्ट्रीज वाले कर्जा लेते हैं यदि उसका ठीक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो उनसे रुपया तुरन्त एक मुश्त वसूल कर लिया जाता है और कोशिश इस बात की करते हैं कि कोई रूरियायत न की जाय। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कोई कर्ज लेने वाला यह प्रार्थना करता है कि ३० परसेंट वह तुरन्त जमा किये देता है तो उससे उतना रुपया जमा करा लिया जाता है और उसको कुछ समय और दे दिया जाता है।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

मैं आपको बतलाऊं कि हेडक्वार्टर से ६५ लाख रुपये के लोन दिये गये जिनमें ३५ लाख रुपये वसूल हो गये। डिवीजनल कमिश्नर के यहां से ३५ लाख रुपये बटे और १८ लाख रुपये वसूल हो गये। फाइनेन्शियल कारपोरेशन के यहां से २५ लाख ५५ हजार रुपये के लोन बाटे और वसूलयाबी २१ लाख २० हजार की हो गयी। एक शिकायत यह की गयी फायनेन्शियल कारपोरेशन रुपया अपने पास रखे रहता है और सूद का नुकसान होता है। फायनेन्शियल कारपोरेशन यह देखने की कोशिश करता है कि जिसको कर्जा दिया जाय उससे वसूल भी हो सकता है या नहीं और पूरी जमानत वह दे सकता है और गारंटी भी दे सकता है या नहीं और फिर उसमें सब लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। फिर एक मुश्त वह रकम देता नहीं है। ३,४, इन्स्टालमेंट में वह रुपया देता है। यह सब इसी कारण किया जा रहा है कि रुपये की हिफाजत हो सके। इसी का नतीजा है कि २५ लाख बांटा है और २१ लाख वसूल भी कर लिया है और फायनेन्शियल कारपोरेशन द्वारा बांटा रुपया बहुत कम खतरे में है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स से वसूल करने की पूरी कोशिश की जाती है लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती नहीं की जा सकती कि व्यापारी, व्यापार और उद्योग भी बन्द करने का मजबूर हो जायं।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि रुपया जो हमने बांटा उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ? उसके भी आंकड़े दिसम्बर, ६३ के पेश कर दूं कि जो लोन्स हेडक्वार्टर से दिये गये उनमें ६१ परसेंट का यूटिलाइजेशन हुआ। डिवीजनल कमिश्नर से जो बटे उसमें ६२ परसेंट का यूटिलाइजेशन हुआ। यह सही है कि कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। कहा गया कि हमारे अपने उद्योग पनप नहीं सके तो जब कोई काम शुरू किया जाता है तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर १०० आदमियों को लोन देंगे तो ५०/६० अच्छी तरह से लगायेंगे और ४० आदमी नहीं लगायेंगे, लेकिन वह रुपया मय सूद के वसूल होता है और अन्त में नुकसान नहीं होता है। मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसी चीज होनी चाहिये। पूरे रुपये का ठीक इस्तेमाल होना चाहिये क्योंकि इससे उन्नति हो सकती है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। स्टोर परचेज विभाग और कुछ उन अधिकारियों के संबंध में कहा गया जिनके हाथ में रा मैटीरियल का वितरण है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष अधिकारी के बारे में सूचना देंगे तो मैं मुख्य मंत्री जी की ओर से आश्वासन देता हूं कि वे पूर्णतया जांच करेंगी और पीछे नहीं हटेंगी।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, मैंने फतेहपुर लेदर स्कूल के सुपरिटेन्डेन्ट के खिलाफ मंत्री जी से शिकायत की थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

जब तक मंत्री जी न बैठें तब तक कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, यह कायदे के अनुसार है और न मेरे लिये लाजिमी है कि उत्तर दूं। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया है इसलिये मैं कहता हूं कि उन्होंने मुझे शिकायत दी है। मैंने डायरेक्टर आफ टेक्नीकल एजूकेशन से कहा कि किसी उच्च अधिकारी को जांच के लिये भेज दीजिये। यह लाजमी नहीं है कि जितनी शिकायतें माननीय सदस्य दें उनको समझ लें कि सही हैं बिना जांच कराये, लेकिन उनका आदर करते हुये मैंने उसको उच्च अधिकारी के सुपुर्द कर दिया। कुछ जांच होकर आ गई है। यह सही है कि इस जांच में कुछ देर लगी, लेकिन मजबूरी यह है कि कुछ शिकायत ऐसी थीं जो हिसाब से संबंधित थीं इसलिये आडीटर्स को भेजना पड़ा। उनको समय लगता है। अगर महज ऐडमिनिस्ट्रेटिव की बात होती तो जल्दी ऐक्शन ले लिया होता। इलाहाबाद के बक्स वाले की जो शिकायत है उसके संबंध में यह है कि लोहा इंडस्ट्रीज और फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग से मिलता है। इसलिये इस समय मैं उत्तर देने में मजबूर हूं।

लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर भेजेंगे तो मैं उसकी पूर्णतया जांच करा लूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको संतुष्ट करूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की इच्छा व्यक्त की कि कुटीर उद्योगों को ज्यादा बढ़ाना चाहिये । जैसा मैंने स्वयं भी कहा था मैं आंकड़े देकर समय लेना नहीं चाहता हूं । छोटी इकाइयां उसी समय काम कर सकती हैं जब उनके लिये माफिक वातावरण हो, उनकी शिकायतें जल्दी सुनी जायं और उनकी जरुरतों को जल्दी पूरा किया जाय । जैसा कि मैंने कहा था कि हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं । और इस बात को हम मानते हैं कि उसमें आवश्यकता इस बात की है कि उनको देर न की जाय । लेकिन कभी कभी कुछ हमारी दिक्कतें आ जाती हैं जैसे कच्चे माल की, मैं मानता हूं कि कच्चा माल कम है, हम प्रयास कर रहे हैं और जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं । यदि मैं सही याद रखता हूं तो शायद जो ठाकुर फूलसिंह जी ने जांच शुरू की थी उसमें करीब-करीब १०० फर्मों का कोटा हमने बन्द किया और इसी शिकायत पर कि उन्होंने गलत यूटिलाइजेशन किया है । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा था शिकायत का उत्तर यहां पर देना मुमकिन नहीं है । लेकिन माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं और उन सुझावों को लेकर इस्तेमाल करने की पूरी चेष्टा हम करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह मांग पेश करते हुये आशा करूंगा कि वह इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--उद्योग के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--उद्योग के अन्तर्गत ११,४९,३९ ३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१८ मार्च, १९६४ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

बयान श्री रामबचन साहू, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम सभा बबुइया, हरपुर

बयान किया कि हम पंचायत के दूसरे चुनाव से तीसरे चुनाव तक गांव पंचायत बबुइया हरपुर के प्रधान रहे। हमने अपने प्रधान पद के कार्य काल में एक पंचायत घर तथा स्कूल बनवाया था। इस स्कूल और पंचायत भवन के बनवाने का काम मेरे प्रधान होने के २ साल पहले से जब कि श्री देवराज चौबे ग्राम सभा के प्रधान थे किया जा रहा था और इस काम में श्री चौबे जी की मदद करना था। इस पंचायत घर के अनुदान के लिये मैंने आवेदन पत्र दिया था। मुझे यह नहीं याद है कि स्कूल तथा पंचायत भवन की लम्बाई चौड़ाई क्या है। इस पंचायत भवन एवं स्कूल में ३ कमरे और बरमदा है। छत शहतीर और बरंडा देकर उस पर कुटाई करके तैयार किया गया है। मुझे श्री चौबे जी ने दूसरे पंचायत निर्वाचन में ग्राम सभा प्रधान चुने जाने के बाद ३८००० के भट्ठे को चार्ज में नहीं दिया था। इन्होंने गांव सभा की ओर से कोई ईंट का भट्टा नहीं लगवाया था श्री चौबे ने मुझे प्रधान पद का चार्ज प्राप्त कराते समय मैंने कोई महुआ की लकड़ी का चार्ज नहीं लिया था बल्कि हमने स्वतः २ पेड़ महुआ, गांव समाज से पंचायत घर में शहतीर लगवाने हेतु कटवाया था। इन दोनों पेड़ों की लकड़ी पंचायत घर में शहतीर और बरंडे में लग गयी। बाकी लकड़ी साल भर तक कोठिलवाघाट पर पड़ी हुई थी। मेरी जानकारी में इस पंचायत भवन के बनवाने के लिये कैन यूनियन पड़रोना से १,०५० रु० गांव वालों से चन्दा २०० रु० प्लानिंग, विभाग से ८०० रु० अनुदान प्राप्त हुआ था। श्री बृजराज सिंह से १२ गाड़ी ईंटा दान में नहीं मिला था। श्री मोती से भी मुझे कोई सहायता नकद अथवा श्रमरूप में कभी नहीं मिली थी। मैंने उनसे ११,००० ईंट पंचायत घर के निर्माण हेतु उधार नहीं लिया है। पंचायत भवन निर्माण हेतु ईंट श्री विन्ध्याचल और श्री रघुनाथ से श्री रामदेव बबुइया हरपुर से लिया था। इन सबकी कीमत मैंने २२ रु० हजार की दर से चुकता कर दिया है। इस पंचायत भवन में लग-भग ८५००० ईंट लगी है जिसमें से १५ या १६ हजार ईंट श्रमदान से ढोई गई है बाकी सब पंचायत कोष से धन देकर ढुलाया गया है। पंचायत कोष से नवसे कई रुपया दीवार में निकालकर लगाया गया है। हम पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं केन यूनियन से मिला हुआ १०५० गांव का चन्दा २०० रु० प्लानिंग से मिले ८०० रु० के अनुदान कुल २०५० का अंकन पंचायत कोष बही पर नहीं किया गया है।

द० रामबचन साहू

पंचायत कोष से तीन कुयें के लिये सहायता दी गयी। दो कुयें मेरे नाम से तथा एक मेरे भाई रामदेव साहू के नाम से हैं। इनमें प्रत्येक कुयें के लिये ३०० रु० का भुगतान किया गया है। यह दो कुयें कोठिलवा टोले में तथा एक मसही टोले के हरिजन टोली में बनवाये गये हैं। यह तीनों कुयें मेरे अथवा रामदेव के दरवाजे पर नहीं हैं। इन तीनों कुवों की जगत सीमेन्ट न मिलने के कारण नहीं बनवायी गयी है। इन तीनों की जगत बनवाने के लिये प्रस्ताव पास हुआ था। यह प्रस्ताव गांव पंचायत से पास नहीं हुआ था कि नये कुओं के निर्माण का अनुदान किस को दिया जाय। पंचायत की बैठक दिनांक ३-८-६० के प्रस्ताव संख्या २ से तय किया गया है कि हरिजन टोले में १ तथा कोठिलवा टोले में २ कुएं बनवाये जाय। इन कुओं के बनवाने का वाउचर कुल रूप में मैंने भूतपूर्व सहायक जिला पंचायत अधिकारी को जांच के समय दिया था।

द० देवराज चौबे

हमारे गांव में विन्ध्याचल डोम था। अनुदान से उसके दरवाजे पर हैण्ड पम्प लगवाया गया। वह उजड़कर कलकत्ता चला गया। पम्प की मशीन फूट गयी थी, मैंने उसे उखड़वा कर सन् १९६० में अपने घर रख लिया था। उसे सप्त बहादुर सिंह उस को ले गये और उन्होंने मुझको हैण्ड पम्प ले जाने की रसीद दी थी जिसकी प्रतिलिपि मैं प्रमाणित करा कर प्रस्तुत कर रहा हूं।

कुएं के जो भी वाउचर दाखिल हैं वह सभी सन् १९६१ के हैं और भुगतान भी सन् ६१ में किया गया है।

दिनांक २७-११-६१ को स० विकास अधिकारी पंचायत श्री अमरनाथ त्रिपाठी बबुइया हरपुर में प्रधान श्री देवराज चौबे के दरवाजे पर मुझको बुला कर बयान लिया था। मैंने कुछ बयान दिया था किन्तु मुझसे ३८,००० भट्टे का ईंट पुराने प्रधान से प्राप्त करने तथा मोती से ११,००० ईंट का देना तथा उस की कीमत २७५ रु० का बकाया होना मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया। मारे डर के मैंने यह लिख दिया था।

मैंने २७-११-६१ से आजतक कहीं भी इस मजमून की दरख्वास्त नहीं दिया है कि श्री देवराज चौबे प्रधान के घर पर दिनांक २७-११-६१ को मुझ से जबरदस्ती गलत बयान लिखवा लिया गया है।

द० रामबचन साहू बयान पढ़कर तसदीक किया।
६-११-६२

द० देवराज चौबे,
६-११-६२

प्रमाणित
यदुनन्दन राय, स० जि० पं० अ०, ६-११-६२।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर ।)

सहारनपुर जिले में सरकार द्वारा अप्रूव्ड पानी के पम्प एवं इन्जन का नाम जिस पर सरकार सहायता प्रदान करती है ।	सहारनपुर जिले में स्वीकृत पम्प एवं इन्जन विक्रेताओं का नाम
१—कूपर इन्जन एवं पम्प	बरमा एण्ड को०, ब्लाक टावर सहारनपुर
२—किर्लोस्कर इन्जन एवं पम्प	पी०सी० माल एण्ड सन्स, कोर्ट रोड, सहारनपुर
३—रस्टन इन्जन एवं पम्प	पंजाब मशीनरी स्टोर, रेलवे रोड, सहारनपुर
४—इम्पीरियल इन्जन	जैम्स इन्जीनियरिंग कम्पनी, कोर्ट रोड, सहारनपुर
५—रसल न्यू वरी इन्जन	" " " "
६—टैक्स टौल इन्जन एण्ड पम्प	कपूर एण्ड को०, अम्बाला रोड, सहारनपुर
७—इमानी इन्जन	सायर मशीनरी स्टोर, स्टेशन रोड, सहारनपुर
८—नवयुग इन्जीनियरिंग	कार०, कोर्ट रोड, सहारनपुर
९—अजीत इन्जन	कपूर एण्ड को०, अम्बाला रोड, सहारनपुर
१०—कैम्बल इन्जन	" " " "

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

निरीक्षण का विवरण

१—श्री बांके लाल पुत्र गोविन्द राम भट्ठे वाले—सर्वेक्षण के समय भट्ठे के मालिक और मुंशी दोनों ही वहां पर नहीं पाये गये। ८ या ९ मजदूर काम करते पाये गये। करीब २ लाख ईंट तैयार और २ लाख ईंट पकनेके लिये भट्टे में पाई गई। यह भट्ठा बदायूं सेल्स टैक्स के दफ्तर के रिकार्ड में दर्ज है और इस पर बराबर सेल्स टैक्स लगता रहा है।

२—श्री बृजपाल गिरेन्द्रपाल भट्ठे वाले—यह भट्ठा पहले बदायूं सेल्स टैक्स दफ्तर के रिकार्ड में दर्ज था पर अब यह बन्द पड़ा है। इसके बन्द होने के बारे में सूचना व्यापारी के कार्यालय को दे दी थी। सर्वेक्षण के समय भी यह भट्ठा बन्द पाया गया।

३—श्री बाबू राम सर्राफ—सहायक बिक्रीकर अधिकारी के सर्वेक्षण के समय यह दुकान पर नहीं मिले और नहीं कोई हिसाब की किताबें दुकान में पाई गईं पर बाद में आकर उन्होंने कहा कि वह केवल गिरवी का व्यापार करते और जो किताबें वह दुकान से बाहर लेकर गये उनका सम्बन्ध केवल गिरवी के कारोबार से था। सर्वेक्षण के समय इनकी दुकान पर लगभग ५,००० रुपये के मूल्य के आभूषण पाये गये थे पर उनको भी दुकानदार ने गिरवी का सामान बताया था। क्योंकि सहायक बिक्रीकर अधिकारी के २४-२-६३ के सर्वेक्षण में ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाये थे जिनके आधार पर इस दुकानदार पर बिक्री कर लगाया जा सके इसलिए बिक्री कर अधिकारी ने स्वयं ३१-१२-१९६३ को फिर दुकान का निरीक्षण किया। इन्होंने जांच में पाया कि यह दुकानदार मुख्यतया आभूषणों के गिरवी तथा लेन देन का कार्य करता है। कागजात के देखने से मालूम हुआ कि वह कभी कभी उन जेवरात की बिक्री भी करता है जो गिरवी रखनेवाले समय के अन्दर वापस नहीं ले जाते। बिक्रीकर अधिकारी के अनुमान के अनुसार इस दुकान की बिक्री सर्राफे से समय लगभग २५,०००रुपये प्रतिवर्ष की होगी। यह भी मालूम हुआ कि यह व्योपारी दिसम्बर, ६३ से खंडसारी का भी काम करता है। सर्वे के समय केवल राब तैयार मिली। खाड़ नहीं बनी थी। इस लिए उस समय व्योपारी द्वारा खांड की बिक्री का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर।)

प्रदेश भर में सब्सिडाइज्ड होम्योपैथिक डिस्पेन्सरीज की वांछित स्थिति निम्न प्रकार है :--

क्रम-संख्या	स्थान	सन् ६२-६३ में व्यय (रुपयों में)	विवरण
१	दानगंज, वाराणसी	१,४२०.०८	
२	इल्किल (मंडारा), झांसी	१,४०४.०३	
३	कौवा, इटावा	१,२०४.२६	
४	कोंहडारा, इलाहाबाद	१,५९४.९४	
५	मंझावन, कानपुर	१,२८८.५८	
६	जलालपुर, आगरा	१,४२९.७१	
७	मझौवा, बलिया	१,१६९.१६	
८	देघाट, अल्मोड़ा	१,३२३.२२	
९	शेरग्राम, बलिया	१,३५६.६४	
१०	बलचन्दपुर, बहराइच	१,४००.६३	
११	श्यामपुर, बिजनौर	१,०२५.५६	
१२	सेखुई, बस्ती	१,२४३.७८	
१३	चोपड़ा नागपुर, चमोली	१,३३६.४५	
१४	जलालपुर करीरा, बुलन्दशहर	५९८.३३	
१५	भुड्डी देहरादून	१,०५४.५७	
१६	जटहा, देवरिया	१,३३५.९५	
१७	घूमनगंज, इलाहाबाद	१,३२३.२५	
१८	रशीदाबाद, फर्रुखाबाद	१,३४१.७९	
१९	नेतवार, कोठी, गोरखपुर	१,१७०.८२	
२०	सोना, गाजीपुर	१,१९४.२६	
२१	दलेलनगर, हरदोई	१,४४७.७९	
२२	सेवाइजपुर, हरदोई	७५८.७३	
२३	मीरकनगर, लखनऊ	१,३९८.९२	
२४	सिमरई, मैनपुरी	१,३१७.३४	
२५	नसीठी, मथुरा	१,३०२.२१	
२६	अगवानपुर, मुरादाबाद	१,३७४.४५	
२७	धानगांव, मथुरा	८९१.२४	
२८	बमरौली, पीलीभीत	९६३.७५	
२९	नसीराबाद, रायबरेली	१,३००.००	
३०	जोहवाशर्की, रायबरेली	१,१९४.२३	
३१	मछरेहटा, सीतापुर	१,१५३.३५	
३२	राजापुर अठहा, प्रतापगढ़	१,३७५.९४	
३१	कोटा, मिर्जापुर ..	४१.०७	मार्च ७, १९६३ से प्रारम्भ होने के कारण १९६२-६३ में कम व्यय हुआ

क्रम-संख्या	स्थान	सन् १९६३ में व्यय (रुपयों में)	विवरण
१	२	३	४
३४	सारंगपुर, बुलन्दशहर ..	११५.३०	जनवरी ७, १९६३ से प्रारम्भ होने के कारण १९६२–६३ में कम व्यय हुआ।
३५	नगला सबला, आगरा	कुछ नहीं	क्योंकि औषधालय अगस्त ९, १९६३ से प्रारम्भ हुआ। '(१९६३–६४ में)
३६	नईडोंगी पट्टी, टेहरी गढ़वाल	कुछ नहीं	क्योंकि औषधालय अगस्त १६, १९६३ से प्रारम्भ हुआ। (१९६३–६४ में)
३७	बांसुलीसेरा, अल्मोड़ा ..	कुछ नहीं	औषधालय अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
३८	रामपुर, खंझड़ी, उन्नाव ..	१,२३१.०५	चूंकि सम्बन्धित जिला परिषद् सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत वांछित अपने भाग के व्यय का वहन नहीं करती थी अतः हाल ही में सरकार ने इस औषधालय को बन्द करने के आदेश जारी किये हैं।
३९	ईंटों, जालौन ..	१९३.००	इस औषधालय को भी उक्त कारण से बन्द करने के आदेश जारी हो चुके हैं।
४०	अम्बेहटा, सहारनपुर ..	५१०.९३	" " " "
४१	चिरियाकोट, आजमगढ़ ..	कुछ नहीं	यह डिस्पेंसरीज १९६२–६३ से पूर्वा ही उक्त कारण से बन्द कर दी गईं।
४२	ढकिया, रामपुर ..		
४३	ईंटगांव, लखनऊ ..	कुछ नहीं	इस डिस्पेंसरी को स्थानान्तरित करने का प्रश्न विचराधीन है।
४४	ग्राम नारा जिला इलाहाबाद		इन औषधालयों पर सन् ६२–६३ में कोई खर्च न हुआ क्योंकि स्थापन्न की स्वीकृत १९६३–६४ में दी गई।
४५	सलीमपुर बीबी, एटा ..		
४६	ग्राम तुंगौली, मखलोगी, पट्टी, जिला टेहरी गढ़वाल		
४७	ग्राम फोलगांव, बासर पट्टी जिला टेहरीगढ़वाल।		
४८	उरावर, जिला मैनपुरी		